शिक्षा के बढ़ते चरण

अभिप्रेरण

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियों की आख्या

(प्रथम पुष्प)

NIEPA DC
D07714

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय सी० पी० आई०)
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7914
Date 01-09-93

अभिप्रेरण

प्रमुख बिन्दु

- विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान
- वित्तीय प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन
- अध्यापक कल्याण योजनाएँ
- विभिन्न छात्र निधियाँ
- [illegible] और आपत्तियों का निराकरण
- शैक्षिक नियोजन
- संस्थागत नियोजन
- शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और सामुदायिक सहभागिता
- शिक्षा के नये आयाम और सम्बोध
- लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति
- विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं आचार्य राममूर्ति समिति
- नवीन मूल्यों की शिक्षा
- जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका
- दूर शिक्षा
- शैक्षिक तकनीकी
- विशेष शिक्षा
- कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य
- व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रशासन : समस्याएँ एवं समाधान

प्राक्कथन

शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति और समाज का विकास और उत्कर्ष करना है साथ ही इन्हें इस इस योग्य बनाना है कि अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय उत्थान में अपना महत्तम योगदान दे सकें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक नियोजन, प्रशासन और कार्य संचालन में युगानुरूप परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन की आवश्यकता बनी रहती है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश का प्रधान लक्ष्य विद्यालयीय शिक्षा में गुणात्मक विकास करना है तथा विद्यालयीय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में शोधपरक दृष्टिकोण के साथ अभिनव, समसामयिक प्रवृत्तियों को जन्म देना है एवं विद्यालयों के उत्कर्ष तथा विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर कर इन्हें राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप प्रगतिशील स्वरूप प्रदान करना है।

उक्त ध्येयों की प्राप्ति के लिए परिषद् ने विगत वर्ष से शैक्षिक शोध प्रणाली में परिवर्तन का संकल्प लिया और सत्र 90-91 में अपने समस्त विभागों को परामर्श दिया कि शैक्षिक शोध, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों आदि को अपनी चहारदीवारी के बाहर निकालें तथा उन्हें वास्तविक कार्यक्षेत्र (फील्ड) में ले जायें जहां शिक्षा और उसकी कार्यप्रणाली की सही समझ प्राप्त हो सके तथा शिक्षा के विभिन्न अभिकरण—शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी, अभिभावक एवं प्रबुद्ध नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बन सकें। इस दृष्टिकोण के पीछे यह धारणा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले इन अभिकरणों में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए जो योग्यता, कौशल एवं सूझबूझ है, परिषद् के अनुसंधित्सुओं को उसकी सही जानकारी मिल सके जिससे उनके द्वारा कृत शोधकार्य मात्र बायवी न बने अपितु वास्तविक परिस्थितियों का ठोस आधार प्राप्त कर सकें।

प्रदेश स्तर पर शैक्षिक जन जागरण एवं शिक्षा के उत्कर्ष में शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को सहभागी बनाने के लिए परिषद् ने प्रथम चरण में छः मण्डलों—मेरठ, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर एवं पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा के कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरणों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया। इन संगोष्ठियों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों एवं राजनेताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया तथा वाद-संवाद, तर्क-वितर्क एवं विचार-

के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों पर अपने अनुभवपूर्ण मन्तव्य प्रकट किये और किसी समन्वित निष्कर्ष तक पहुँचने में मूल्यवान सहयोग दिया।

प्रस्तुत पुस्तक-प्रणयन का उद्देश्य विभिन्न संगोष्ठियों से प्राप्त सुझावों, संस्तुतियों एवं कार्यपरक बिन्दुओं से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षा-चिन्तकों को अवगत कराना है जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकें एवं शैक्षिक उन्नयन के अभिनव दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकें।

इन गोष्ठियों के कार्य संचालन एवं अभिलेखीकरण का दायित्व मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग इलाहाबाद को सौंपा गया था। कुशलतापूर्वक कार्यक्रमों को सम्पन्न करने हेतु वहाँ के प्राचार्य एवं उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं। सम्बन्धित मण्डलों के शिक्षा उप निदेशकों के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इसकी सहायता के लिए पूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। गोष्ठियों में पधारे सभी महानुभावों के प्रति मैं आदरभाव प्रकट करता हूँ।

उत्प्रेरक एवं दिशाबद्धक विचारों का स्वागत है।

(हरि प्रसाद पाण्डेय)
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश

अनुसंधान-भवन
निशात गंज, लखनऊ

निवेदन

शिक्षा एक सतत प्रवहमान सामाजिक प्रक्रिया है। समाज सदैव परिवर्तन की स्थिति में रहता है। फलतः शैक्षिक गतिविधियों में अनवरत, परिवर्द्धन और संशोधन की अपेक्षाएँ निहित होती हैं। आज भी शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां और समस्याएँ विद्यमान हैं। विभिन्न शैक्षिक अभिकरण उनके समाधान में संघर्षरत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ये विभिन्न अभिकरण और घटक शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो अनुभव, समझ और ज्ञान रखते हैं उन्हें समन्वित करके किसी निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया जाय क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही अधिक कल्याणकारी होता है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निदेशक-राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की प्रेरणा, निर्देशन एवं मार्ग-दर्शन में प्रदेश के छः मण्डलों—मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर एवं पौड़ी गढ़वाल में मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन गोष्ठियों में विद्यालयों की कार्यपरक व्यावहारिक समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों एवं प्रबुद्ध अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श किया किया गया, उनके अनुभव सुने गये, समस्याओं के समाधान में उनकी कार्य प्रणाली समझी गयी तथा समवेतरूप में उनके सुझावों और संस्तुतियों को अभिलेखित किया गया।

इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन करने का संस्थान का प्रथम अनुभव था। हमें अतीव प्रसन्नता है कि इनके आयोजन-संचालन में मण्डल एवं जनपद स्तरीय शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों, कर्मचारियों, शिक्षाविदों आदि का भरपूर क्रियात्मक सहयोग प्राप्त हुआ जिसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। ये समस्त उपलब्धियाँ निदेशक, परिषद की प्रेरणा, सक्रियता और कार्यक्षमता का प्रतिफलन हैं जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हमारे विभाग के प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु अथक प्रयास किया, मैं उनके

प्रति शुभ कामनाएँ प्रगट करता हूँ। संस्थान के प्रवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने विभिन्न गोष्ठियों की बिखरी हुई मणियों को एक पुस्तक माला में गूँथने का प्रशंसनीय प्रयास किया है।

हमारे इस कार्य की सार्थकता तभी होगी जब शैक्षिक अभिकर्ता इससे लाभान्वित होंगे, अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की शैक्षिक योजनाओं में रुचि पूर्वक सक्रिय सहायता करते रहेंगे।

(श्याम नारायण राय)
प्राचार्य
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय सी० पी० आई०)
इलाहाबाद

दिनांक 23 जुलाई, 1992

अनुक्रम

1 – मेरठ मण्डल

- विषय प्रवर्तन एवं उद्‌बोधन 1
- सुझाव एवं संस्तुतियाँ 6
- कार्यपरक विन्दु 8
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 19
- प्रतिभागियों की सूची 22

2 - झाँसी मण्डल

- विषय प्रवर्तन 26
- उद्‌बोधन 27
- सुझाव एवं संस्तुतियाँ 28
- कार्य परक विन्दु 29
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 71
- प्रतिभागियों की सूची 72

3 – इलाहाबाद मण्डल

- विषय प्रवर्तन 77
- उद्‌बोधन 78
- समापन वक्तव्य 80
- सुझाव और संस्तुतियाँ 82
- कार्यपरक विन्दु 92
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 107
- प्रतिभागियों की सूची 108

4 – वाराणसी मण्डल

- विषय प्रवर्तन 113
- उद्‌बोधन 115
- मार्ग दर्शन 117
- सुझाव और संस्तुतियाँ 119
- कार्यपरक विन्दु 125
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 155
- प्रतिभागियों की सूची 159

5—गोरखपुर मण्डल

- विषय प्रवर्तन 165
- उद्‌बोधन 168
- सुझाव एवं संस्तुतियाँ 170
- कार्यपरक विन्दु 174
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 186
- प्रतिभागियों की सूची 188

6—गौड़ी गढ़वाल मण्डल

- विषय प्रवर्तन 191
- उद्‌बोधन 193
- समापन वक्तव्य 195
- सुझाव और संस्तुतियाँ 197
- कार्यपरक विन्दु 200
- विचार पत्रक एवं कार्यक्रम 205
- प्रतिभागियों की सूची 226

मेरठ–मण्डल

विषय प्रवर्तन एवं उद्‌बोधन

श्री हरिप्रसाद पाण्डेय
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०
एवं
मुख्य अतिथि

गोष्ठी के अध्यक्ष श्री पी०सी० श्रीवास्तव, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० श्री विष्णु शंकर शर्मा, संयोजक डा० ध्यानी, सह संयोजक कु० शान्ति वैश्य, जनपदों से आये निरीक्षक गण एवं प्रधानाचार्य गण, रा० सी० पी० आई, इलाहाबाद के प्रचार्य एवं प्रोफेसर-गण व उपस्थित गणमान्य विद्वत-जन ।

आप यहाँ इस शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी के कारण उपस्थित हुए हैं । मेरठ प्रदेश का प्रथम मण्डल है । यह शैक्षिक संगोष्ठी भी प्रथम है । यह अच्छा है कि प्रथम मण्डल में प्रथम शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित है । एक चीज जिसका अनुभव हम आप करते आये हैं वह यह है कि हम लगभग सभी लोग शिक्षा विभाग में अध्यापक के रूप में प्रवेश करते हैं और निरन्तर अनुभव से विकास करते रहते हैं । प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, मण्डलीय निदेशक आदि पदों पर प्रोन्नति करके पहुँचते हैं । हर व्यक्ति पहले अध्यापक होता है फिर प्रशासन का सहकर्मी होता है फिर भी कभी-कभी प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारीगण एक दूसरे की कठिनाई नहीं समझ पाते । इसका मूल कारण है कि विचारों का आदान-प्रदान आपस में समुचित ढंग से नहीं हो पाता । पहले ऐसी गोष्ठियाँ नहीं होती रहीं जिनमें प्रधानाचार्य और प्रशासन के अधिकारी एक साथ बैठ कर समस्याओं को समझते । रा० सी० पी० आई, इलाहाबाद में कभी-कभी छोटा कार्यक्रम कर दिया जाता था किन्तु उसमें केवल राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य बुलाये जाते हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था का दो तिहाई भाग अशासकीय विद्यालयों द्वारा पोषित है । अतः इस प्रकार की शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियों में अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं उनके सहकर्मियों को आमंत्रित किया जाना

चाहिए। एस०सी०ई०आर०टी० के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाएं शोध कार्य करती हैं किन्तु शोध के लिए समस्याओं की जानकारी आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि समस्याएँ और कठिनाइयाँ विद्यालयों से ली जायें और संस्थाएँ उनके समाधान और निराकरण के लिए शोध करें। अत: प्रधानाचार्यों और शोधकर्त्ताओं, दोनों को एक साथ बैठकर विचार करना आवश्यक है। क्षेत्र में कार्य करनेवाले ही समस्याओं को बाकायदा जान सकते हैं। उनसे समस्याएँ प्राप्त की जायें और कठिनाइयाँ जानी जाँय, तब उन पर शोध हो। चूंकि आप क्षेत्र में कार्य करते हैं, अत: आपको समस्याओं और कठिनाइयों की जानकारी ज्यादा है। उनकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर ही हम उनके समाधान के उपाय ढूंढ़ेंगे। यह शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी इस प्रयत्न की एक कड़ी के रूप में आयोजित की गयी है।

सरकार जो शैक्षिक अधिनियम बनाती है, उसका आधार शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशकों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव निर्माण में फील्ड के अधिकारियों की सहायता नहीं ली जाती, अत: अधिनियमों में कमी रह जाती है और दोष-दर्शन होने लगता है। फिर संशोधनों की आवश्यकता पड़ती हैं। आप ही लोग यह जान लेते हैं कि अधिनियमों के पालन में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है। हमारे और आपके बीच विचार विनिमय में अवरोध रहा है। आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को अधिकारियों को बता रहे हैं किन्तु अधिकारी इतने व्यस्त रहते हैं कि वे उन पर ध्यान देने के लिए समय नहीं निकाल पाते। आवश्यकता इस बात की है कि अधिकारी समय निकालें। हम आप एक साथ बैठें। समस्याएँ और कठिनाइयाँ जानें और विचार-विमर्श से उनका समाधान ढूंढ़ें।

सभी अधिनियमों की जानकारी आपको है, उनकी जानकारी हमको आपको नहीं देना है। एक्ट से कहाँ काम लेना है, उसका उपयोग कहाँ करना है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। व्याकरण का नियम जान लेना पर्याप्त नहीं है। उसका प्रयोग जानना जरूरी है। यहाँ 'एक्ट इन अप्लाइड फार्म' में वार्ता होगी। अधिनियम की धाराओं के प्रयोग में आपको फील्ड में क्या-क्या कठिनाइयाँ होती हैं, इनको जानना है और आपकी राय लेकर उनका समाधान ढूंढ़ना है।

श्री पी० सी० श्रीवास्तव का माध्यमिक शिक्षा के अधिनियमों में दखल है। यही अनुभव श्री विष्णु शंकर शर्मा को भी है। ये अधिनियमों के प्रयोग की चर्चा करेंगे। प्राचार्य, विद्यालय निरीक्षक सब अनुभवी हैं। क्षेत्र का अनुभव जो आपको है वह हमको सीधे नहीं पिन्च करता है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक सूझ-बूझ हमारे भीतर नहीं है। गोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम आपके अनुभवों से लाभान्वित

हों। गोष्ठी का उद्देश्य है कि हम आपकी समस्याएँ जानें। हम उसकी प्रतिक्रिया को भी नोट करेंगे। उसकी पुस्तिका बनायेंगे। ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष हुआ करेगा ताकि निरन्तर सम्पर्क में रह सकें और हम आपकी कठिनाइयों में सहायक बन सकें। आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को जिला विद्यालय निरीक्षक तक पहुँचाते हैं किन्तु उनसे मार्ग दर्शन नहीं मिलता। फैसला लटक जाता है। बाद में कोर्ट में जाता है। इसी दृष्टि से इसका आयोजन हुआ कि हम इससे अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करें।

गोष्ठी का दूसरा विषय क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है ? कैसे किया जाय ? इसके करने से क्षेत्र में परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन इसमें बुद्धि-विलास न हो। इसके द्वारा क्षेत्र की समस्या उभारें। दोनों मिलकर समाधान ढूँढ़ें। हम आपके सहयोग से सफल होंगे। मैं एस०सी०ई०आर०टी० की ओर से, अपनी ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह शुरूआत है। यावद-जीवन गुरु पढ़ाते-पढ़ते रहते हैं, जलता दीपक ही दूसरों को प्रकाश दे सकता। अध्यापक का चिन्तन समाप्त हो जाने पर वह अध्यापक नहीं रह जाता। यह गोष्ठी बड़ी संख्या की नहीं है। थोड़े लोग हैं, किन्तु लम्बे अनुभव वाले हैं। हम आपसे विचार-विमर्श कर अनुभव प्राप्त करेंगे।

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

(क) शिक्षा के विभिन्न अधिनियम :

1. इण्टरमीडिएट अधिनियम 1921 की धारा 7 ग के अनुसार छात्रों से प्रवेशादि के लिए चन्दा लेना दण्डनीय अपराध है। विद्यालय का प्रधानाचार्य या कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी छात्रों से चन्दा नहीं ले सकता किन्तु सामाजिक सहभागिता के नाम पर अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन के माध्यम से चन्दा लिया जा सकता है। ऐसे चन्दे की रसीद पर प्राधानाचार्य की मोहर लगाना चाहिए। संरक्षक के रूप में प्रधानाचार्य चन्दे की रसीद पर मुहर लगाता है।

2. दूसरा सुझाव प्रबन्ध समिति के कार्य काल से सम्बन्धित है। जब किसी प्रबन्ध समिति का कार्य काल समाप्त हो जाता है तो अन्य कुछ लोग उसके अधिकार प्रयोग पर और उसके कार्य पर रोक लगाते हैं। किन्तु यह गलत है। अब तक नई प्रबन्ध समिति का चुनाव न हो जाय पुरानी प्रबन्ध समिति को कार्य करते रहना चाहिए। तीन माह के भीतर नई प्रबन्ध समिति का चुनाव करा लिया जाय।

3. प्रचानाचार्यों और अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र अलग-अलग हों अध्यापक-अध्यापक को चुने और प्रधानाचार्य-प्रधानाचार्य को चुने।

4. माध्यमिक शिक्षा परिषद को सभी अध्यापक चुनाव द्वारा भेजे जाँय।

5. प्रबन्ध संचालकों की नियुक्ति पर रोक लगायी जाय।

6. अचल सम्पत्ति बेचने के पूर्व शिक्षा निदेशक की अनुमति ली जाय। उचित प्रपत्र पर उचित माध्यम से निदेशक की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

7. विद्यालयीय सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए 1974 के आस्तियों के अप-व्यय के नियम का पालन किया जाय।

8. विद्यालय की सम्पत्ति विद्यालय के रजिस्टर में विद्यालय के नाम जमा धनराशि और अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक विद्यालयीय सम्पत्ति की सूचना शिक्षा निदेशक को दे देनी चाहिए।

9. सम्पत्ति सम्बन्धी 1975 के अधिनियम के पूर्व जो अचल सम्पत्ति विक्री कर दी गई, उसके सम्बन्ध में नियमत: कुछ नहीं हो सकता। यदि 1975 के बाद कोई सम्पत्ति बेची गई तो इसके लिए बोर्ड के सचिव को लिखा जाना चाहिए क्योंकि बोर्ड सम्पत्ति के शर्त के अनुसार ही संस्थाओं को मान्यता देता है।

ख–माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड 1982

1. प्रायः देखा गया है कि यदि आयोग द्वारा चयनित-व्यक्ति प्रबन्धक के मनोनुकूल नहीं है तो वह प्रबन्धक उसे नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं करता, अतः यह अधिकारी प्रबन्धक से लेकर शिक्षा निदेशक को दे दिया जाय।

2. यदि आयोग वांछित समय के भीतर अभ्यर्थी का चयन नहीं करता और विद्यालय में रिक्तियाँ लम्बी अवधि तक बनी रहती है तो उस दशा में तदर्थ नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धक समिति को दे दिया जाय। ऐसी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होगी और आयोग द्वारा व्यक्ति के आ जाने पर तदर्थ नियुक्ति वाले व्यक्ति को हटा कर उसे नियुक्ति दे दी जाय।

3. आरक्षण सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय। इस सम्बन्ध में सही सूचना समय से शिक्षा आयोग को प्रेषित की जाय। हरिजनों एवं जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उन्हीं के द्वारा भरी जाय।

4. शिक्षकों की सेवा शर्तें पहले जैसी हैं, आयोग शैक्षिक योग्यता में शिथिलता नहीं कर सकता। अधिनियम के अन्तर्गत ही लोकहित में उपनियम बना सकता है। चयन प्रक्रिया में शिथिलता सरकार कर सकती है।

कार्य परक बिन्दु

1. प्रायः आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति की प्रबन्ध समिति नियुक्ति पत्र नहीं देती, यदि वह चयनित व्यक्ति सदस्यों के मनोनुकूल नहीं होता। शासन से अनुरोध किया जाय कि ऐसे मामलों में शिक्षा निदेशक को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए अधिकृति करे।

2. माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक सदस्यों का मनोनयन न कर उन्हें चुनाव द्वारा भेजा जाय।

3. प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए अलग-अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य को चुने और शिक्षक-शिक्षक को। यह परिवर्तन भी सरकार से प्रस्तावित किया जाय और उसकी स्वीकृत ली जाय।

4. रिक्तियों की सूचना आयोग को प्राप्त हो जाने पर भी, यदि वह चुनकर किसी को नहीं भेजता, तो प्रबन्ध समिति को अधिकार दिया जाये कि वह तदर्थ नियुक्ति कर रिक्ति पूर्ति कर ले। इसके लिए शासन को लिखा जाय।

5. प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति पर रोक लगायी जाय। इसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए शासन से अनुरोध किया जाय।

6. शासन का स्पष्ट आदेश हो कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह कार्यवाहक प्रबन्ध समिति के रूप में कार्य करती रहेगी जब तक नयी प्रबन्ध समिति का चुनाव न हो जाय। नयी प्रबन्ध समिति के निर्माण की अवधि शीघ्र निर्धारित कर दी जाय। अधिकतम तीन माह में नयी प्रबन्ध समिति बना ली जाय।

मंडलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

मेरठ—मण्डल

दिनांक—12, 13, 14, दिसम्बर 1990

विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान

1. विचारणीय तत्व :

1. क्रियात्मक अनुसंधान क्यों ?
2. क्रियात्मक अनुसंधान किसके लिए ?
3. क्रियात्मक अनुसंधान के शोधकर्ता कौन ?
4. क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र एवं साक्ष्य संग्रह के स्रोत क्या हैं ?
5. क्रियात्मक अनुसंधान कैसे ?
6. शैक्षिक क्रियाकलापों के विभिन्न स्तरों पर आने वाली समस्याओं की पहचान कैसे ?
7. क्रियात्मक अनुसंधान का अनुसरण एवं मूल्यांकन कैसे ?
8. विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए वातावरण का सृजन एवं उत्प्रेरण कैसे ?

2. क्रियात्मक अनुसंधान-स्वरूप और सर्वेक्षण :

शिक्षा के अकादमिक, शैक्षिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार नई दिशाओं एवं कार्य प्रणाली का उद्भव हो रहा है, जिसके नियोजन एवं क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है और जिनका वैज्ञानिक समाधान तत्काल अपेक्षित होता है।

इन अनुभूत कठिनाइयों को समझने, उनका सुनियोजित हल निकालने तथा शिक्षा को वांछित गति प्रदान करने के लिए, उनके विभिन्न बिन्दुओं पर सर्वेक्षण, समीक्षा एवं विश्लेषण की आवश्यकता रहती है। इन कठिनाइयों के वैज्ञानिक विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए अनुसंधानों की आवश्यकता होती है।

तात्कालिक अनुभूत कठिनाइयों को पहचानने और हल का मार्ग ढूंढ़ने के लिए तात्कालिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए क्रियात्मक अनुसंधान ही आवश्यक, उपयोगी और सार्थक होता है।

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारी एवं अभिकर्ता अपनी अनुभूत कठिनाइयों के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के स्वरूप एवं प्रक्रियाओं को समझें और दैनिक-व्यवहार की कठिनाइयों के निराकरण हेतु उपयुक्त विधि का अनुसरण कर सकें।

विद्यालय की कार्यपरिधि में क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक कार्य-प्रणाली में उद्देश्यपरक सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। इसमें अनुसंधानकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति न होकर विद्यालय का अध्यापक, प्रधानाध्यापक अथवा किसी शैक्षिक क्रिया में लगे हुए व्यक्ति होते हैं, जो अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावकारी ढङ्ग से प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अनुभूत समस्याओं को पहचान कर सरल वैज्ञानिक विधियों के आधार पर समाधान का मार्ग ढूंढ़ते हैं तथा तदनुसार उपलब्धि की अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करते हैं। वस्तुतः अनुसंधान की मुख्य तीन धाराएँ—मूलभूत अनुसंधान, व्यवहृत अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में से क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के परिमार्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी एवं सरल होता है।

3. समस्या की पहचान और उसका निर्धारण :

वांछित उपलब्धि को ध्यान में रखकर उन कठिनाइयों, समस्याओं को ढूंढना आवश्यक होता है, जिनके कारण उत्कृष्टता में बाधा पड़ती है। समस्त कठिनाइयों एवं समस्याओं का अध्ययन करके लिपिबद्ध करना और उनमें कठिनाई स्तर की वरीयता तैयार करना सबसे पहले अपेक्षित है।

विद्यालय की बहुत सी समस्याएँ जब उभर कर सामने आती हैं और उनकी पहचान कारणों सहित स्पष्ट हो जाती है तो अनुसंधान हेतु उसका परिमाणीकरण एवं सीमांकन आवश्यक हो जाता हैं तथा उनका पूर्व विश्लेषण करना पड़ता है जिसे तर्क-संगत परीक्षणीय, विशिष्टता एवं वास्तविकतायुक्त तथा नियन्त्रणमुक्त होना चाहिए। उदाहरण के के लिए विद्यालयीय परिवेश में विभिन्न समस्याओं के परिक्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के कतिपय प्रकरण निम्नवत् हो सकते हैं :—

1. मॉनीटोरियल सिस्टम से कक्षा 9 (गणित) में लिखित कार्य संशोधन की प्रभावकारिता का अध्ययन।

2. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हेतु छात्रों के निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था।

3. कक्षा 9 (सामान्य गणित) में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्रों के लिए उपचारात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था।

4. प्रारम्भिक हिन्दी पठन शिक्षण में संश्लेषणात्मक वर्णमाला एवं विश्लेषणात्मक (शब्द) विधियों का तुलनात्मक अध्ययन।

5. हिन्दी भाषा में छात्रों की उच्चारण एवं वर्त्तनी सम्बन्धी त्रुटियों का अध्ययन एवं उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनका निराकरण।

6. इण्टरमीडिएट गणित में 'प्रायिकता' के शिक्षण में परम्परागत विधि तथा 'मूल्यांकन तकनीक' की प्रभावकारिता का तुलनात्मक अध्ययन।

7. विद्यालयीय पुस्तकालय के सुनियोजित प्रयोग द्वारा हिन्दी भाषा के ज्ञान का संवर्द्धन।

8. कक्षा 9 विज्ञान में गृह कार्य के संशोधन हेतु 'स्वयं संशोधन विधि' की प्रभावकारिता का अध्ययन।

9. पंजाबी एवं बंगाली उच्चारण से प्रभावित बालिकाओं के हिन्दी उच्चारण एवं वर्तनी का सुधार।

10. सामूहिक वी०टी० एवं योगाभ्यास के माध्यम से कक्षा 6-8 के छात्रों का शारीरिक एवं नैतिक विकास तथा अनुशासनात्मक वातावरण का सृजन-एक अध्ययन।

11. परीक्षा में नवीन प्रकार के प्रश्न-पत्रों के समावेश से छात्रों पर उनके प्रभाव का अध्ययन।

12. छात्राध्यापकों के उच्चारण एवं अभिव्यक्ति में गुणात्मक सुधार।

13. सामाजिक विषय में नवीन प्रकार के प्रश्न पत्रों एवं परम्परागत प्रश्न पत्रों में छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन।

14. गृह कार्य की पूर्ति तथा वार्षिक परीक्षा में तदर्थ देय अधिभार के अध्ययन का प्रस्ताव।

15. अंग्रेजी एवं गणित विषयों में छात्रों के पिछड़ जाने के कारणों की खोज तथा उपचारात्मक अनुसूचियों का प्रयोग।

16. हाई स्कूल स्तर पर रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करने में होने वाली त्रुटियों का निदान एवं उनका उपचार।

17. कक्षा 6 के प्रबुद्ध एवं पिछड़े हुए बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था एवं उनका अध्ययन।

4—क्रियात्मक अनुसंधान का नियोजन प्रारूप :

(रूपरेखा प्रस्तुतीकरण प्रारूप)

किसी अनुसंधान को प्रारम्भ करने के पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि अनुसंधान प्रक्रिया का नियोजन कर लिया जाय और उसके आधार पर अनुसंधानोपरान्त आख्या, प्रस्तुत की जा सके। इसके दो पक्ष होते हैं :

(क) अकादमिक।

(ख) प्रबन्धकीय।

(अ) अकादमिक पक्ष :

(1) शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सार्थक होना चाहिए।

(2) अनुसंधान की आवश्यकता/पृष्ठभूमि—इसके अन्तर्गत दो बातों का समावेश होना चाहिए।

(क) अनुसंधान को विद्यालय में किन समस्याओं के समाधान अथवा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिया जा रहा है।

(ख) अनुसंधान के द्वारा किस समस्या के समाधान की आशा है अथवा इससे कौन से प्रयोजन पूर्ण हो सकेंगे ?

(3) अनुसंधान के उद्देश्य—

इसके अन्तर्गत उद्देश्य विशिष्ट रूप से निरूपित किये जाने चाहिये तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य वही निश्चित किये जाय, जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया जा सकता हो।

(4) परिकल्पना—

यह समस्या का पूर्व कल्पित समाधान होता है, जिससे क्रिया विधि का आभास होता है। इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) परिसीमन—

परिसीमन मे उस क्षेत्र/क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र लिए जाने हैं, स्पष्ट होना चाहिए। इसके अन्तर्गत शीर्षक में प्रयोग की गई कठिन शब्दावली की परिभाषा भी दे देनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अन्वेषक ने उस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है।

(6) कार्यविधि—

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित का विवरण अंकित किया जाना चाहिए :

(1) न्यादर्श का चयन—इसके अन्तर्गत न्यादर्श का चयन किस प्रकार होगा, स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

(2) आवश्यक उपकरण—इसके अन्तर्गत अनुसंधान के क्रियान्वयन में जिन आवश्यक उपकरणों यथा विभिन्न प्रकार के परीक्षण, प्रपत्र प्रश्नावली, अन्वेषिका, पुस्तकें तथा अन्य सामग्री) का विवरण अंकित किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया गया है तो उनका भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

(3) प्रदत्त संग्रह—इसके अन्तर्गत उपकरणों एवं प्रविधियों के प्रयोग द्वारा आँकड़ों के संग्रह करने की प्रक्रिया का विवरण दिया जाना चाहिए।

(4) समय सारिणी—विभिन्न सोपानों के अन्तर्गत कार्य करने की अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(7) प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या—

इसके अन्तर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण करने की विधि, प्रक्रिया तथा प्रदत्तों की व्याख्या का विधिवत उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी सांख्यिकी विश्लेषण की विधि का प्रयोग किया गया है तो उसका भी परिचय दिया जाना चाहिए। प्राप्त परिणामों की परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की जानी चाहिए तथा त्रुटियों के संभावित कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(8) निष्कर्ष एवं सुझाव—

विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि निर्धारित परिकल्पनाओं की पुष्टि होती है अथवा नहीं। यदि निष्कर्ष अपेक्षा के अनुकूल हो तो उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु संस्तुति की जानी चाहिए और यदि किसी अन्य क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता का संकेत मिलता हो तो उस पर भी समुचित प्रकाश डालना चाहिए। निष्कर्षों की उपादेयता का परिचय अवश्य दिया जाना चाहिए।

(9) अनुवर्ती कार्यक्रम—

इसके अन्तर्गत अनुसंधान के परिणामों की उपयोगिता के आधार पर उनके प्रसार हेतु सम्भावित कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ब) प्रबन्धकीय पक्ष :

1—वातकीय संसाधन (सामान्य सूचनाएँ)

(क) विद्यालय का नाम।

(ख) अनुसंधान के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले सदस्यों का विवरण (नाम, पद, योग्यता एवं अनुभव)।

(ग) परामर्शी (यदि कोई हो)।

(2) आर्थिक संसाधन—इसके अन्तर्गत यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों से अनुसंधान कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा अथवा नहीं।

यदि अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होगी तो कितनी और क्यों? इसे निम्न-लिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(1) पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री रु०———

(2) सहायक शिक्षण सामग्री, उपकरण आदि रु०———

(3) टंकण, मुद्रण तथा आकस्मिक व्यय रु०———

(4) स्टेशनरी तथा अन्य आकस्मिक व्यय रु०———

(5) विविध—यदि कोई हो रु०———

———

योग रु०———

———

संस्था का अंशदान

———

कुल आवश्यक अनुदान

———

5 आख्या प्रस्तुतीकरण :

अनुसंधान कार्य का अन्तिम महत्वपूर्ण क्षेत्र आख्या लेखन एवं प्रस्तुतीकरण है। मुख्यतः इसके तीन भाग होते हैं।

(क) प्रारम्भिक विवरण—

इसमें शीर्षक, शोधकर्त्ता का नाम, प्राक्कथन, आभार, विषय सूची, सारिणी तथा चित्र आदि का विवरण उल्लिखित रहता है।

(ख) मुख्य भाग—

इसमें प्रस्तावना, क्रियाविधि, प्रदत्त संग्रह एवं विश्लेषण के साथ सारांश एवं निष्कर्ष का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) संदर्भ ग्रन्थों की सूची —

आख्या के अन्त में प्रयुक्त संदर्भ ग्रन्थों की सूची दी जाती है।

अपेक्षाएँ :

शैक्षिक अभिकर्त्ता से अपेक्षा है कि वे अपने क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का उपलब्धिपरक मूल्यांकन कर उन समस्याओं की पहचान करें जो उनके कार्य की उत्कृष्टता को परिलक्षित कर सकें। इस अनुसंधान के माध्यम से परिणामों के पुर्नमूल्यांकन कर अग्रेत्तर नियोजन की सम्भावनाओं पर विचार करें और तदनुरूप कार्यवाही सम्पादित करें।

———

परिशिष्ट

क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान

सामान्यतः क्रियात्मक अनुसंधान के सम्पादन में निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है—

भाग—1 अकादमिक पक्ष

(1) समस्या का शीर्षक

(2) समस्या की पृष्ठभूमि

(3) उद्देश्य

(4) परिकल्पना

(5) परिसीसन

(6) कार्य विधि

(i) न्यादर्श का चयन

(ii) आवश्यक उपकरण

(iii) प्रदत्त संग्रह

(iv) अवधि विभाजन

(7) मूल्यांकन

(8) अनुवर्ती कार्यक्रम

भाग—2 प्रबन्धकीय पक्ष

1—मानवीय संसाधन

(i) विद्यालय का नाम ।

(ii) अनुसंधान के क्रियान्वयन में सहयोगी सदस्यों के नाम, पद, योग्यता का विवरण ।

(iii) परामर्शी (यदि कोई हो) ।

2--वित्तीय संसाधन :

(i) पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा अन्य सामग्री रु०———

(ii) सहायक शिक्षण सामग्री, उपकरण, रसायन आदि रु०———

(iii) टंकण, चक्रमुद्रण, मुद्रण आदि रु०———

(iv) स्टेशनरी तथा अन्य आकस्मिक व्यय रु०———

(v) विविध (यदि कोई हो) रु०———

———

योग रु०———

———

विद्यालय का अंशदान

———

कुल आवश्यक अनुदान

———

अन्तिम सोपान—आख्या का प्रस्तुतीकरण :

1—प्रारम्भिक विवरण—

शीर्षक, शोधकर्ता का नाम, प्राक्कथन, आभार प्रदर्शन, विषय सूची, सारणी सूची, चित्र सूची।

2—मुख्य भाग—

(क) प्रस्तावना

(ख) विधि

(ग) प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

(घ) सारांश एवं निष्कर्ष

3—सन्दर्भ सामग्री—

———

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

मेरठ-मण्डल

(दिनांक 12, 13, 14, दिसम्बर 1990)

प्रकरण

1. शिक्षा के विभिन्न अधिनियम
2. विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान

कार्यक्रम

दिनांक 12-12-90

प्रथम पाली	(1) प्रतिभागियों का पंजीयन	प्रातः 12.00 बजे से 11.00 बजे तक
	(2) उद्घाटन सत्र (उद्बोधन)	11.00 बजे से 12 00 बजे तक
	(3) विषय प्रवर्तन	12.00 बजे से 01.00 बजे तक
	मध्यान्तर	01.00 बजे से 02.00 बजे तक
द्वितीय पाली	(1) उ०प्र० इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 सामान्य परिचय एवं महत्वपूर्ण धाराएँ	02.00 बजे से 03.30 बजे तक
	(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982	03.30 बजे से 05.00 बजे तक

दिनांक 13-12-90

प्रथम पाली	(1) क्रियात्मक अनुसंधान की संकल्पना, नियोजन एवं क्रिया-न्वयन	प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
	(2) वेतन वितरण अधिनियम	11.00 बजे से 12.00 बजे तक
	(3) शिक्षा संहिता के महत्वपूर्ण अनुच्छेद	12.00 बजे से 01.00 बजे तक
	मध्यान्तर	01.00 बजे से 02.00 बजे तक

द्वितीय पाली	(1) अस्तियों के अपव्यय निवारण अधिनियम	02.00 बजे से 03.30 बजे तक
	(2) क्रियात्मक अनुसंधान-सोपान समस्याएँ-अनुश्रवण	03.30 बजे से 05.00 बजे तक

दिनांक 14-12-90

प्रथम पाली	(1) सामान्य सत्र-समीक्षा एवं विवेचन	प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
	समूह-गत विचार-विमर्श	11.00 बजे से 12.00 बजे तक
	आख्या लेखन	12.00 बजे से 01.00 बजे तक
	मध्यान्तर	01.00 बजे से 02.00 बजे तक
द्वितीय पाली	(1) विचार विमर्श एवं आख्या स्वरूप निरूपण	02.00 बजे से 03.00 बजे तक
	(2) आख्या प्रस्तुतीकरण	03.00 बजे से 04.00 गजे-तक
	(3) समापन सत्र	04.00 बजे से 05.00 बजे तक

विशेष—समयानुसार आख्या लेखन हेतु दल निरूपण अपेक्षित होगा।

दिनांक 12-12-90 को मेरठ में सम्पन्न शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी में सम्मिलित होने वाले जनपदों से आये शिक्षाविद् प्रतिभागी

1. श्री ए० एस० नेगी	जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
2. श्री ए० के० बिश्नोई	जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फर नगर।
3. श्री ए० पी० तिवारी	जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
4. श्री वी० एस० मेहता	जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिद्वार।
5. श्री एस० पी० लायक	सह जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर।
6. श्री योगेश्वर दयाल	कार्यवाहक सह जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
7. श्री कीर्ति राय सिंह	सह जिला विद्यालय निरीक्षका, मुजफ्फरनगर।
8. श्रीमती शैल शर्मा	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिक, सहारनपुर।
9. श्री मन्नीलाल वर्मा	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कान्लेज, मुजफ्फर नगर।
10. श्री आर० डी० सक्सेना	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, सहारनपुर।
11. श्री के० के० गुप्त	प्रधानाचार्य, बी० ए० वी० इ० का०, बुलन्दशहर।
12. श्री राजपाल सिंह	प्रधानाचार्य, डी० एस० बी० इ० का०, मुजफ्फरनगर।
13. डा० एस० एन० गुप्त	प्रधानाचार्य, वी० वी० इ० का०, शामली, मुजफ्फर नगर।
14. श्री आर० ए० गुप्त	प्रधानाचार्य, सर्वोदय इ० का०, गाजियाबाद।
15. श्री जगदीश्वर प्रसाद शर्मा	प्रधानाचार्य, सर्वोदय इ० का पिलखुवा, गाजियाबाद।
17. सुश्री शान्ति शर्मा	प्रधानाचार्य, राम स्वरूप आर्य कन्या इ० का०, अनूपशहर बुलन्दशहर।
18. सुश्री दया सिरोही	प्रधानाचार्य, सनातन धर्म कन्या इ० का० सहारनपुर।

19. श्रीमती चन्द्र प्रभा घोष	प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इ० का० ज्वालापुर, हरिद्वार।
20. श्रीमती के० के० वाकिया	प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इ० का० कांधना, मुजफ्र नगर।
21. श्री खुशीराम आर्य	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, रुड़की, हरिद्वार।
22. श्रीमती उषा वर्मा	कार्यवाहक प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इ० का० बुलन्दशहर।
23. कु० उषा मित्तल	प्रधानाचार्या, सनातन धर्म कन्या इ० का० मुजफ्फरनगर।
24. श्री ईश्वर सिंह	प्रधानाचार्य, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार।

दिनांक 12-12-90 को मेरठ में सम्पन्न शैक्षिक संबोध संगोष्ठी में सम्मिलत होने वाले प्रतिभागियों की सूची

क्रमांक	नाम (मेरठ स्थानीय)	पद
1.	सर्वश्री गंगाशरण शुक्ल	जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
2.	श्रीमती सुशीला शर्मा	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ ।
3.	श्री के० सी० गोविल	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ ।
4.	सुश्री राना त्रिखा	प्रधानाचार्या, दुर्गा बाड़ी कन्या इण्टर कालेज, मेरठ ।
5.	सुश्री शैफी भाटिया	प्रधानाचार्या, श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इ० का० द्वारिका, मेरठ ।
6.	कु० शान्ति वैश्य	सह मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ ।
7.	डा० आर० पी० ध्यानी	उप शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ ।
8.	श्री मनमोहन शर्मा	प्रधानाचार्य, एस० एस० डी० ब्वायज इ० का० साकुर्ती मेरठ ।
9.	श्रीमती शीला सिंघल	प्रधानाचार्या, एस० एस० डी० कन्या इ० का०, मेरठ ।
10.	श्रीमती शशी गौड़	प्रधानाचार्या, एस० एस० डी० कन्या इ० का० बुढ़ाना गेट, मेरठ ।
11.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा	प्रधानाचार्या एस० एस० डी० कन्या इ० का० बुढ़ाना गेट, मेरठ ।
12.	श्रीमती कमला वर्मा	प्राधानाचार्य रघुनाथ गर्ल्स इ० का०, मेरठ ।
13.	श्रीमती उर्मिला गोयल	प्रधानाचार्या, चावली देवी कन्या इ० का० ब्रह्मपुरी, मेरठ ।
14.	श्री सीताराम राय	प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इ० का०, मेरठ ।

15. श्रीमती मुकेशबाला भाटिया	मनोवैज्ञानिक, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, मेरठ।
16. श्रीमती इन्दु निगम	सहायक मनोवैज्ञानिक, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र, मेरठ।

मेरठ जनपद

1. श्री आर० पी० सिंह	प्रधानाचार्य, सलावा इण्टर कालेज सलावा।
2. श्री विक्रम सिंह	प्रधानाचार्य, एम० जी० इ० का० ढिकौली।
3. श्रीमती शोभा प्रकाश	प्रधानाचार्य, आर्य कन्या इ० का०, मवाना।
4. श्रीमती एस०पी० श्रीवास्तव	प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या उ० मा० वि० बावली।
5. श्री जयदेव सिंह	प्रधानाचार्य, कृषक इ० का० मवाना।

सन्दर्भदाताओं की सूची

1. डा० राम प्रसाद ध्यानी	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल ।
2. श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय	प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान' इलाहाबाद ।
3. श्री बच्चा प्रसाद वर्मा	उप प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ।
4. श्रीमती सुमित्रा धूलिया	प्रोफेसर, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ।
5. श्री मोहन लाल सिंह	प्रोफेसर, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद ।

विशेषज्ञों की सूची

गोष्ठी के प्रथम दिन निम्नलिखित तीन अधिकारियों ने विषय पर प्रकाश डाला ।

1. श्री हरि प्रसाद पाण्डेय	शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र० ।
2. श्री पी० सी० श्रीवास्तव	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० ।
3. श्री विष्णु शंकर शर्मा	उप शिक्षा निदेशक (सेवायें) माध्यमिक ।

झांसी मण्डल

विषय प्रवर्तन

श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय
प्राचार्य
राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान
इलाहाबाद

मण्डल स्तर पर चिन्तन एवं परस्पर प्रतिक्रियाओं से नये-नये आयाम तथा सम्बोध प्राप्त हों, इस उद्देश्य से इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दस संस्थाएँ तपोपूर्ण साधना स्थल हैं, जहाँ से योजना का स्वरूप निर्धारित होता है।

इस प्रकार संगोष्ठी के माध्यम से उन शैक्षिक समस्याओं को उभार कर सम्मुख लाना है जिनका वास्तविक अनुभव प्रशासन में रत अधिकारियों को होता है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु परस्पर चर्चा, परिचर्चा कर सुझाव एवं निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। वे अवश्य ही इस दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। संगोष्ठी का विषय "वित्तीय प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन" जो प्रेरणा दायक है, और यह जिज्ञासाओं को अवश्य ही कोई नई दिशा दे पायेगा। विचारों के मन्थन की कोई सीमा नहीं है। विचार-विमर्श द्वारा मन्थन से जो विचार उभर कर आयेंगे वे हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस विचार गोष्ठी में शिक्षा विद श्री० पी० सी० श्रीवास्तव, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, श्री बी० एस० यादव, मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद, दिल्ली से आये नीपा के अधिकारी, उत्साही प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्याओं को आमंत्रित किया गया है। अतः यह सक्षम सभा है। शैक्षिक नियोजन और प्रशासन पर विशेषज्ञगण जो प्रकाश डालेंगे वह शिक्षाविदों के लिए आधार स्तम्भ बन सकेंगे, जिससे वे अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकेंगे, समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे तथा राज्य एवं समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने मे समर्थ होंगे।

उद्‌बोधन

माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय
नगर विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश ।

उप शिक्षा निदेशक झांसी के आग्रह पर मैं इस शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी में आया हूँ । मै एक इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य हूँ । राजनीति में कार्य करते हुए भी मै अपने को प्रधानाचार्य कहते हुए गौरव का अनुभव करता हूँ । इस संगोष्ठी के दोनों विषय वित्तीय प्रशासन और शैक्षिक नियोजन प्रधानाचार्य से सम्बन्धित हैं । प्रधानाचार्य दोनों विषयों से सम्बन्धित कार्य करते हैं । विद्यालय प्रशासन प्रधानाचार्य की प्रतिष्ठा का विषय हैं । अतएव इस कार्य को बहुत सावधानी से करना आवश्यक है ।

शैक्षिक नियोजन का कार्य जितना शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है उतना अन्यत्र नहीं । किन्तु यह सब कार्य कमरें में बैठ कर हुआ है । इसलिए वह केवल पुस्तकों की चीज रह गयी है और उससे शिक्षक छात्र को लाभ नहीं हुआ । शिक्षा में सुधार शिक्षा अधिकारी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि शिक्षा की स्थिति क्या है ? क्या निर्धारित लक्ष्य है, लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हो गयी, कितनी शेष है ? आदि के विषय में उन्हें जानकारी नहीं रहती ।

मेरे विद्यालय में नकल नहीं होती क्योंकि अध्यापक छात्रों को शिक्षा में पूर्ण सहयोग देते हैं । शिक्षा में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो । आशा है संगोष्ठी अपने लक्ष्य को पूर्ण करेगी ।

सुझाव और संस्तुतियाँ

शैक्षिक नियोजन

1. सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त विद्यालयों के भेदभाव को समाप्त किया जाय जिससे प्रशासन और नियोजन करने में कठिनाई न हों।

2. शैक्षिक नियोजन के समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की राय लेना आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने विभाग की समस्याओं का ज्ञान भली प्रकार है और वे उसके निराकरण के उपाय को भी भली प्रकार जानते हैं।

3. नियोजित ढंग से विद्यालयों का कार्य संचालित करने हेतु पद की आवश्यकता है।

4. धनराशि की स्वीकृतियाँ निर्धारित समय के अन्तर्गत किया जाना चाहिए जिससे उसका उपयोग समय से हो सके।

5. सीमिति योजनाओं को जिला जनपद योजना में सम्मिलित किया जाय जिससे वित्तीय सहायता सुलभ हो सके।

6. संस्थागत नियोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय के सहयोग से योजनाएँ तैयार करें और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कोई भी शैक्षिक नियोजन मानवीय संसाधनों के अभाव में सफल न होगा।

वित्तीय प्रशासन

1. पेंशन सम्बन्धी पत्रजातों को सेवा निवृत्ति से 24 माह पूर्व तैयार कर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

2. पेंशन प्रपत्रों के सरलीकरण की आवश्यकता है।

3. कार्यालय सहयोग वांक्षित है।

4. वह व्यवस्था की जा रही है कि पेंशन भुगतान भी वेतन की भाँति ही उसी कार्यालय से हो।

कार्यपरक बिन्दु

शैक्षिक-नियोजन

1. शैक्षिक नियोजन की सफलता हेतु सही आंकड़ों को प्राप्त किया जाय।
2. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाय।
3. कार्यक्रमों के संचालन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाय।
4. संचालित परियोजनाओं का मूल्यांकन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जाय जिससे परियोजनाओं को अन्तिम स्वरूप प्रदान किया जा सके।

वित्तीय प्रशासन

1. जिस संस्था से कर्मचारी को सेवा निवृत्त होना है उसी संस्था से उसके पेंशन सम्बन्धी पत्रजातों को प्रस्तुत कर पूर्णतया निस्तारण किया जाय। यह कार्य अवकाश प्राप्ति के दिन तक पूर्ण हो जाना चाहिए और उसी माह की अन्तिम तिथि से उसी कार्यालय या संस्था द्वारा पेंशन का भुगतान भी किया जाय। यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी अन्यथा चाहता हैं—बैंक से, तो उसकी व्यवस्था उसकी इच्छानुसार किया जाय।

2. पेंशन से सम्बन्धित पूरित किये जाने वाले प्रपत्रों का सरलीकरण किया जाय तथा सम्बन्धित कार्यालय से ही उपलब्ध कराया जाय।

3. भविष्य निर्वाह निधि के 90 प्रतिशत भुगतान की प्रक्रिया से कर्मचारी शीघ्र लाभान्वित हो सकें, इसके लिए भुगतान हेतु अधिकृत पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद तुरन्त भुगतान की कार्यवाही की जाय।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

झाँसी मण्डल

वित्तीय प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन

आवश्यकता :

शिक्षा जगत में नये प्रयोगों, नवाचारों एवं व्यावहारिक अनुसंधानों के साथ-साथ विकेन्द्रित शिक्षा की विचारधारा के समावेश से नित्य परिवर्धन तथा परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। शिक्षाधिकारियों एवं शैक्षिक अभिकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन नवीन सम्बोधों का नियोजन में भरपूर उपयोग करें। प्रायः यह देखा जाता है कि अधिकतर शैक्षिक प्रशासक, जो कि एक लम्बी अवधि तक अध्यापन कार्य करने के उपरान्त शैक्षिक प्रशासक का दायित्व संभालते हैं; वे आत्म विश्वास के साथ वित्तीय प्रशासन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह स्थिति उनके प्रशाशन एवं शैक्षिक नियोजन के पक्ष को प्रभावित करती है, जबकि वित्तीय प्रशासन वह धुरी योक्ति है जिस पर शैक्षिक नियोजन टिका हुआ है, यह कहना कदाचित अतिशयोक्ति नहीं है।

शिक्षाविदों द्वारा समय-समय पर प्रभावी शैक्षिक नियोजन हेतु प्रतिपादित अवधारणाओं एवं नवाचारों को शैक्षिक संस्थाओं में मूर्त रूप प्रदान करने के लिए शैक्षिक प्रशासक को वित्तीय प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के विभिन्न आयामों के व्यवहार में दक्ष बनाना आज की आवश्यकता है।

उद्देश्य :

1. मण्डल के शिक्षाधिकारियों और शैक्षिक अभिकर्ताओं को वित्तीय प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन के कतिपय आयामों से परिचित कराना।

2. वित्तीय प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन की वर्तमान समस्याओं की पहचान कराना।

3, प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव संकलित करना।

नियोजन किसी भी योजना की धुरी होती है, जिसकी आहुतियाँ वित्तीय संसाधनो से होती हैं। शैक्षिक नियोजन और वित्तीय अनुदान के समुचित उपयोग का आपस में गहरा सम्बन्ध हैं। इस संगोष्ठी में हम वित्तीय प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के उन

विन्दुओं पर चर्चा-परिचर्चा करने जा रहे हैं जो जनपदीय शिक्षाधिकारियों के व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमारी चर्चा के विचारबिन्दु निम्नवत् होंगे—

विचार बिन्दु :

1. उपादेयता के अनुरूप वित्तीय प्रशासन का कार्यान्वयन कहाँ तक हो पाता है ?

2. वित्तीय प्रशासन को युगीन बनाने के लिए क्या सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं ?

3. हमारी अध्यापक कल्याण योजनाएँ लक्ष्य के अनुरूप किस सीमा तक कारगर भूमिका निभा रही है ?

4. छात्र प्रोत्साहन की हमारी योजनाओं से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र कहाँ तक लाभान्वित हो रहे हैं ।

5. विभिन्न छात्र निधियाँ वित्तीय नियोजन में कहाँ तक सहायक हो पा रही है ?

6. वित्तीय व्यवस्था में आडिट को और प्रभावी बनाने के लिए क्या करना उचित होगा ?

7. शैक्षिक अभिकर्त्ता को शैक्षिक नियोजन की संकल्पना एवं उद्देश्य के अनुरूप नियोजन करने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

8. उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूर्ण-नियोजन के आधार पर करके अधिकाधिक उपलब्धि की सम्प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं ?

9. जिला योजनाओं द्वारा नियोजन प्रणाली किस सीमा तक विकेन्द्रित हो सकी है ?

10. संस्थागत नियोजन प्रणाली द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक परिवेश में गुणात्मक सुधार को दिशा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उपयुक्त वित्तीय प्रशासन

1. वित्तीय प्रशासन का अर्थ एवं उसकी संकल्पना :

वित्तीय प्रशासन का अर्थ आय और व्यय की प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं संचालन है जिसके अन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण, आयोजन, पूर्वानुमान का विशेष महत्व है। इनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सम्भव होती हैं और प्राप्त आय का उपलब्धिपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना सरल हो जाता है। वित्तीय प्रशासन का तात्पर्य कुशल वित्तीय व्यवस्था को स्थापित करना, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता, भूल-चूक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान न हो।

1 :2–वित्तीय प्रशासन की आवश्यकता :

आहरण-वितरण अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रशासन के आवश्यक तत्वों को

आत्मसात कर उन्हें व्यवहार में उतारना अत्यन्त आवश्यक है। वित्तीय प्रकारणों के निस्तारण में किंचितमात्र भूल भी एक अक्षम्य अपराध का रूप ग्रहण कर लेती है। अतः आहरण-वितरण अधिकारियों को सामान्य लेखन निर्देशों से भली प्रकार अवगत होना चाहिए और उनके अनुपालन हेतु सजग एवं सक्रिय होकर कार्यरत रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में वि० ह० पु० खण्ड–5 भाग–1 तथा कोषागार नियमों का परिज्ञान अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

वित्तीय प्रशासन की आवश्यकता इसी बात से सिद्ध है कि लेखा परीक्षण के दौरान यदि आहरण-वितरण अथवा प्राप्त धन के रखरखाव में कहीं भी कोई अनियमितता पायी जाती है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता तो एक असम्मानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उपयुक्त वित्तीय प्रशासन, आहरण-वितरण अधिकारी की निष्ठा, कर्तव्य दक्षता तथा कार्य कुशलता का स्वयं एक प्रमाण होता है।

1 : 3—वित्तीय प्रशासन की कार्य विधि :

वित्तीय प्रशासन हेतु आहरण वितरण अधिकारी को वित्तीय हस्त पुस्तिका, ट्रेजरी रूल, विभागीय नियम, अधिनियम तथा समय-समय पर निर्गत राजाज्ञाओं के अनुरूप अपने विवेक, कौशल तथा कार्यदक्षता के आधार पर कार्य सम्पादित करना चाहिए। उसे वित्तीय अभिलेखों का नियमित रूप से स्वयं निरीक्षण कर लेखा कार्य करने वाले लिपिकों को उचित निर्देश एवं मार्ग दर्शन प्रदान करना चाहिए। उसे आहरण और वितरण, व्यय और उपभोग, क्रय तथा भुगतान सम्बन्धी क्रियाओं का दक्षता पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। उसे वेतन बिल, प्रासंगिक व्यय बिल, यात्रा भत्ता बिल, रोकड़ बही (कैश बुक) का विधिवत अवलोकन करके उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करनी चाहिए।

1 : 4—विचारणीय विन्दु :

(1) वर्तमान समय में जब वित्तीय हस्त पुस्तिका में अनेक संसोधन हो चुके हैं तथा राजाज्ञाओं पर राजाज्ञाएँ निर्गत की जा चुकी हैं, ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रशासन की दक्षता अधिकारियों में कैसे सम्भव है ?

(2) वित्तीय प्रशासन की क्षमता को विकसित करने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

(3) वित्तीय प्रशासन को सरल बनाने के लिए लेखांकन, रखरखाव, तथा आपत्तियों से बचने के लिए किस प्रकार उपाय सुझाये जा सकते हैं ?

(4) कुशल वितीय प्रशासन के लिए किन-किन दक्षताओं की अनिवार्यता होती है ?

(5) प्रायः कार्यालय क्षमता घटती जा रही है और प्रशासक पर अन्य कार्यों के दबाव बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुशलता एवं दक्षता स्थापित करने के लिए किस प्रकार की योजना का निर्माण किया जा सकता है ?

वित्तीय प्रशासन और प्रधानाचार्य

2 : 1—वित्तीय प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका :

संस्था का प्रधानाचार्य विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों का केन्द्रबिन्दु होता है। उसका प्रमुख दायित्व होता है कि वह अपने शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन करते हुए संस्था के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे। इस दायित्व निर्वहन हेतु उसे न केवल शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रतिभा से युक्त होना चाहिए वरन उसमें संस्था के वित्तीय नियन्त्रण की भी पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। संस्था का संचालन केवल मानवीय संसाधनों से ही सम्भव नहीं होता वरन उसमें भौतिक और वित्तीय संसाधनों का भी पर्याप्त योगदान होता है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में संस्था की अन्य क्रियाएँ संचालित करना कठिन ही नहीं असम्भव भी होता है। अत: प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है कि वह संस्था को प्राप्त होने वाले राज्यानुदान एवं अन्य आय की मदों की पूर्ण जानकारी रखे, उन्हें नियमानुसार प्राप्त कर उनका लेखा जोखा रखे और उनका नियमान्तर्गत उपलब्धिपरक उपयोग करे तथा उपयोग का भी विधि सम्मत लेखा जोखा रखे। इस व्यवस्था का ईमानदारी और कड़ाई से पालन करना ही उसके वित्तीय प्रशासन का प्रमुख अंग होना चाहिए। उसे वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा शिक्षा संहिता में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत भुगतान व्यवस्था करने, विद्यालय को प्राप्त होने वाली आय का सप्ताह के अन्दर कोषागार अथवा बैंक में जमा करवाने तथा वार्षिक वित्तीय आयों तथा विवरण को तैयार करवाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के साथ आडिट सम्बन्धित सावधानियों को दृष्टि में रखते हुए अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

2 : 2—वित्तीय प्रशासन में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की भूमिका :

1. प्रधानाचार्य अपनी संस्था का आहरण-वितरण अधिकारी होता है, अत: उसका दायित्व होता है कि वह संस्था की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत उसे प्रशासनिक एवं गणितीय कार्यों का सम्पादन करना होता है।

(क) प्रशासनिक कार्य :

वित्तीय प्रशासन का अर्थ है वित्तीय आयोजन करना, धन की समुचित व्यवस्था करना, पूँजीगत व्यय से निर्मित सम्पत्तियों को लेखाबद्ध करना, उनके उचित उपयोग को

सुनिश्चित करना तथा उनका सामयिक सत्यापन कराना। इसी के साथ उसे वित्तीय नियन्त्रण का कार्य भी करना होता है जिससे धन, सम्पत्ति को दुरुपयोग, दुर्विनियों, अस्थायी व्यवहरण, गबन आदि की सम्भावना को रोकना सम्भव हो सके। उसका यह भी दायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति बिना गति रोध के सम्पन्न की जा रही है।

(ख) नैत्यिक कार्य :

1—नैत्यिक कार्यों के अन्तर्गत उससे निम्नलिखित कार्यों के सम्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है—

(1) वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहरणों को लेखांकित करना तथा प्रतिदिन की प्राप्तियों तथा भुगतानों का ज्ञान प्राप्त करना।

(2) वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शिक्षा संहिता में दिए गए निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार भुगतान करना जिससे धन के दुरुपयोग तथा अस्थायी व्यवहरण की सम्भावना न रहे।

(3) विद्यालय को प्राप्त, होने वाली आय को प्राप्त होते ही लेखाबद्ध करना तथा निर्धारित समय के अन्दर कोषागार में जमा करने की व्यवस्था करना।

(4) वित्तीय हस्त पुस्तिका, शासन तथा विभाग की ओर से निर्धारित वित्तीय प्रपत्रों तथा विवरण की तैयार करना तथा सक्षम अधिकारियों को प्रेषित करना।

2—वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रमुख पंजिकाओं यथा —

(1) कैश बुक (2) छात्र उपस्थिति पंजिका (3) फीस एकाउन्ट पंजिका (4) बिल बुक (5) एक्वीटेन्स रोल रजिस्टर (6) गार्ड फाइल बाउचर (7) कोटेशन फाइल (8) यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर (9) वेतन बिल रजिस्टर (10) बिल बुक (11) जी० पी० एफ० पंजिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए (12) छात्र वृत्ति पंजिका (13) छात्र कोषों की अलग-अलग पंजिकाएँ (14) मासिक आय व्यय पंजिका तथा (15) आडिट पत्रावली आदि का उचित रखरखाव करना।

3—वेतन बिल, प्रासंगिक बिल, यात्रा भत्ता बिल नियमानुसार तैयार कराना तथा इनसे सम्बन्धित धनराशि आहरित और वितरित करना।

इनके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रकरणों का नियमान्तर्गत निस्तारण करना प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होता है।

वित्तीय प्रशासन में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की भूमिका :

(1) इण्टरमीडिएट अधिनियम की धारा 16 क तथा 16 ख के अन्तर्गत बनाये गये अध्याय 1 के विनिमय 10 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य समस्त छात्र निधियों के नियन्त्रण तथा प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निधि जिस कार्य के लिए स्वीकृत है, उसी मद में व्यय की जाय। विद्यालय में निःशुल्कता तथा अर्द्ध निःशुल्कता प्रदान करने, वृत्तियों तथा छात्र वृत्तियों की धनराशि को निकालने तथा वितरण करने के लिए भी वह उत्तरदायी होता है।

(2) छात्रों से निर्धारित शुल्क प्राप्त करना दैनिक शुल्क प्राप्ति पंजिका में लेखांकित कराना, अनुरक्षण निधि वेतन संवाय खाते तथा छात्र निधियों की पंजिकाओं में पुस्तांकित करना तथा पोस्ट–आ०/बैंक में जमा करने की व्यवस्था कराना प्रधानाचार्य का दायित्व होता है।

(3) शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के वेतन बिल तैयार करना, जिला विद्यालय निरीक्षक से पारित कराना, शिक्षकों के खाते में शुद्ध वेतन की हस्तांतरित करना तथा वेतन से सामान्य निधि की कटौतियाँ आदि को कोषागार में जमा कराना उसका दायित्व होता है।

(4) विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति तथा उन्हें छात्रों के हित में व्यय करना और उस व्यय का पुस्तांकन करना प्रधानाचार्य का दायित्व होता है।

(5) अनुरक्षण निधि से कार्यालय व्यय, बिजली व्यय, भवनसाज-सज्जा की मरम्मत आदि पर व्यय करना तथा उसका पुस्तांकन करना उसका दायित्व है।

(6) विद्यालय की सम्पत्तियों, भूमि, भवन तथा भण्डार पंजिकाओं का अनुरक्षण तथा उनका सामयिक भौतिक सत्यापन करना भी उसका दायित्व है।

(7) प्रपत्र "क" जिसमें छात्र संख्या का विवरण होता है, प्रपत्र "ख" जिसमें शुल्काय का विवरण दिया होता है तथा प्रपत्र "ग" जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की शुल्काय की क्षति पूर्ति का विवरण निहित होता है, प्रत्येक माह जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करना प्रधानाचार्य का दायित्व है।

(8) वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लेखा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों का विधिवत सम्पादन प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। उपरिलिखित दायित्वों के निर्वहन के लिए यह आवश्यक है कि प्रधानाचार्य प्रशासकीय वित्तीय विषयों तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिए गए शिक्षा-संहिता तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् नियम संग्रह के नियमों से भली प्रकार अवगत हों।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-7714
DOC, No .....

विचारणीय बिन्दु :

(1) क्या प्रधानाचार्यों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सम्बन्धित अनुच्छेदों तथा ट्रेजरी रूल से सम्बन्धित अंशों का पालन किया जा रहा है ?

(2) क्या सम्प्रति विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था संतोषजनक है ? यदि नहीं तो उसमें सुधार के लिए क्या उपाय अपेक्षित हैं ?

(3) क्या सामान्य लेखा नियमों का प्रधानाचार्यों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ?

(4) क्या छात्र निधि का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जा रहा है जिन मदों हेतु उनकी वसूली की जाती है ।

अध्यापक कल्याण योजनाएँ

3 : 1—शिक्षा के समस्त कार्य कलापों का व्यवस्थापक एवं प्रमुख अभिकर्ता शिक्षक होता है। निश्चय ही शिक्षा को वांछित गति देने के लिए शिक्षक की व्यक्तिगत, सामाजिक एवं दक्षता सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कर उसे पूर्ण आश्वस्त एवं संतुष्ट करना समाज एवं राज्य का दायित्व है। इसी दृष्टि से अध्यापक के कल्याण की योजनाएँ अन्य राजकीय सेवकों की भाँति कार्यान्वित करने हेतु बनाई गयी हैं, जिनमें महत्वपूर्ण योजना पेंशन, भविष्य निधि, सामूहिक जीवन बीमा के विभिन्न बिन्दु विचारणीय हैं :—

3 : 2—पेंशन

सेवाकाल में अध्यापक को वेतन मिलता रहता है, वृद्धवस्था में उसके जीवन के लिए पेंशन ही सहारा होती है। यह पेंशन शासकीय आदेशों एवं निर्देशों के अधीन दी जाती है, जिसके लिए अध्यापक को अपने नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से सेवाकाल के आधार पर पेंशन की धनराशि प्राप्त होती है।

पेंशन प्राप्ति हेतु सेवा निवृत्त होने के पूर्व कतिपय औपचारिकताएँ पूरी करनी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

- पेंशन सम्बन्धी पत्रजातों को सेवा निवृत्त होने के चौबीस माह पूर्व प्रेषित किया जाता है।
- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समस्त पत्रजातों को सेवा निवृत्त के छः माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रेषित करना।
- पेंशन पत्रजातों के साथ अन्तिम अदेय प्रमाण पत्र तथा अन्य वसूलियों के अनुदेश यदि हों, सेवा-पंजिका, पूर्ण सेवा का सत्यापन पत्र, पति-पत्नी के संयुक्त फोटो, नमूने के हस्ताक्षर आदि भेजा जाय।
- पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही सेवा निवृत्ति होते ही सम्पन्न किया जाना।

3 : 3—विचारणीय बिन्दु

- क्या सेवा निवृत्ति के पश्चात तत्काल शिक्षक पेंशन का लाभ उठाने लगते हैं ?
- क्या उनके द्वारा पूरित किए जाने वाले प्रपत्र व्यावहारिक हैं ?
- क्या पूरित किए जाने वाले प्रपत्रों को और सरल बनाने की आवश्यकता है ?

- क्या सेवा सम्बन्धी अभिलेख कार्यालयों द्वारा पूर्ण तैयार पाये जाते हैं ?
- क्या पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में कोई कठिनाई उपस्थित होती है ? समय अन्तर्गत पेंशन निस्तारण की प्रक्रिया को और सरल कैसे बनाया जा सकता है ?

3 : 4—भविष्य निर्वाह निधि

भविष्य निर्वाह निधि की व्यवस्था कर्मचारी और उसके परिवार के कल्याण की दृष्टि से लागू की गयी है। इसके अभिदान की कटौती अध्यापक/कर्मचारी के वेतन से सीधी कटौती करके राजकोष में भविष्य निर्वाह निधि के मद में जमा रखी रहती है। निर्वाह निधि की राशि अधिनियम 1925 के प्राविधान के अन्तर्गत अभिरक्षित है। इससे अभिदाता के किसी कर्ज को चुकता नहीं किया जा सकता।

3 : 5—ध्यातव्य

भविष्य निर्वाह के निधि के लेखों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का ज्ञान आवश्यक है :—

(1) प्रत्येक कर्मचारी एक वर्ष की सेवा के उपरान्त भविष्य निर्वाह निधि में अंशदान के लिए महालेखाकार कार्यालय से खाता संख्या निर्धारित कराकर उसकी कटौती का प्रावधान है।

(2) यह कटौती पूर्ण रुपये में वेतन का दस प्रतिशत होनी चाहिए।

(3) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का अभिदाता होने पर कर्मचारी से नामांकन पत्र भरना एवं उसे अपनी संरक्षा में रखना आवश्यक है।

(4) निलम्बन एवं अवकाश अवधि में जब वेतन देय नहीं होता है तो भविष्य निधि की कटौती नहीं की जायगी किन्तु निलम्बन समाप्त होने पर उसका वेतन निकालते समय उस अवधि की कटौती निश्चित रूप से की जाती है।

(5) सभी कर्मचारियों हेतु अलग पास बुकों का निर्माण कराना तथा उसे प्रतिमाह कटौती की धनराशि एवं अग्रिम भुगतान यदि किया गया हो तो उसकी प्रविष्टि कराना, हस्ताक्षरित करना सम्बन्धित अधिकारी का कर्त्तव्य है।

(6) सेवा निवृत्ति से 4 माह पूर्व कटौती बन्द कर दी जाती है।

(7) कर्मचारी का स्थानान्तरण होने पर अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के साथ ही साथ उसकी पासबुक भी स्थातान्तरित किया जाना आवश्यक होता है।

(8) प्रतिवर्ष ब्याज की प्रविष्टियाँ अंकित कराना तथा महालेखाकार कार्यालय की लेखापर्ची से मिलान करना। त्रुटि पाये जाने पर महालेखाकार कार्यालय से उसे सही कराना उपयुक्त होता है।

(9) अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्तिम भुगतान का आवेदन पत्र प्राप्त कर देय होने की तिथि से एक माह के भीतर दावे की जाँच कर सेवा निवृत्ति की तिथि को या देय तिथि के तीन माह के भीतर अभिदाता को भुगतान करने के निर्देश हैं।

(10) अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन पत्र फार्म 452-ए पर 6 माह पूर्व प्राप्त कर 5 वर्षों की आगणन शीट तैयार कर पास बुक के साथ एक माह के भीतर आगणन शीट एवं आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ विभागाध्यक्ष के वरिष्ठतम लेखाधिकारी के पास 90 प्रतिशत भुगतान पारित करने हेतु अग्रसारित किया जाना चाहिए।

(11) 90 प्रतिशत के भुगतान हेतु अधिकृत करने के पत्र प्राप्ति पर उसका तत्काल भुगतान करने के आदेश हैं।

3 : 6—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है :

1. सभी शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके वेतन 10 प्रतिशत की दर से कटौती सुनिश्चित की जाय।

2. अभिदाता के विकल्प पत्र भरवाकर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक से हस्ताक्षर कराकर प्रधानाचार्य को अपने संरक्षण में रखना चाहिए।

3. अभिदाता को, अस्थायी अग्रिम की उसके तीन माह के वेतन अथवा उसकी निधि में जमा धनराशि का आधा, इसमें जो भी कम हो की स्वीकृति देना एवं वसूली की किस्त निर्धारित करना चाहिए।

4. वर्ष के अन्त में ब्याज माँग मुख्यालय से करना एवं अध्यापक/कर्मचारी द्वारा उसका आगणन कराकर कर्मचारियों के खाते में जमा कराना तथा लेखापर्ची निर्गत करना आवश्यक है।

5. जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में रखे गये सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ पंजिका प्रपत्र 5 एवं प्रपत्र 6 की पूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

6. जी० पी० एफ० पंजिका का मिलान कोषागार की पास बुक से अथवा ट्रेजरी शिड्यूल से प्रतिमास नियमित रूप से करना अपेक्षित है।

3 : 7—विचारणीय बिन्दु :

- क्योंकि भविष्य निर्वाह निधि वास्तव में कर्मचारी/अध्यापक की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इस निधि में जमा की गयी धनराशि को जमा करने की प्रक्रिया में और सरलता लायी जा सकती है ?
- भविष्य निर्वाह निधि के खातों के संचालन को और उपयोगी बनाने के लिए कौन सी कार्यवाही की जा सकती है ?
- भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम भुगतान हेतु वर्तमान प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किये जाँय जिससे सम्बन्धित व्यक्ति को सेवा निवृत्त होने पर कठिनाई का अनुभव न हो ।
- क्या वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती का प्रावधान औचित्यपूर्ण है ? क्या उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है ?

3 : 8—सामूहिक जीवन बीमा :

राज्य कर्मचारियों के कल्याण हेतु एवं सेवारत मृत्यु की अवस्था में उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने तथा बुढ़ापे में आर्थिक कठिनाइयों से बचाकर सुखमय अन्तिम जीवन को बनाने के लिए जीवन बीमा योजना लागू की गयी है, जिसमें बचत की बोनस धनराशि सूद एवं बोनस के साथ अभिकर्ता को एकमुश्त उपलब्ध करा दी जाती है । जीवन बीमा की औपचारिकताओं के सम्बन्ध में जानकारी अधिकारी-अभिकर्ता के लिए अपेक्षित है ।

1. प्रत्येक अभिदाता से निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन भराकर कार्यालयाध्यक्षों से प्रति- हस्ताक्षरित कराकर एक प्रति बीमा निदेशालय को भेजना एवं उसकी एक प्रति उसकी सेवा पंजिका में चस्पा करना तथा एक प्रति उसकी व्यक्तिगत पत्रावली में रखना ।

2. नामांकन भराने में राजाज्ञा बीमा 56/दस-86-36/1981 दिनांक 10-1-86 के प्रतिबन्धों एवं नियमों का पालन करना ।

3. सेवा निवृत्ति के उपरान्त तथा पुनर्नियुक्ति एवं सेवा विस्तरण होने वाले कर्मचारियों के लिये यह योजना लागू नहीं होगी ।

4. अल्पकालिक, अंशकालिक नियुक्तियों पर भी यह योजना प्रभावी नहीं होगी।

5. इसकी कटौती प्रथम वेतन से की जाय। निलम्बन अवधि में भी इसकी कटौती होगी।

6. अवैतनिक अवकाश अवधि में वेतन प्राप्त होते ही इसकी कटौती की जायेगी।

7. कर्मचारी के स्थानान्तरण पर अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख किया जायगा।

8. सामूहिक जीवन बीमा के दावे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तीन दिन के भीतर संयुक्त निदेशक सामूहिक जीवन बीमा निदेशालय, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर सही लाभग्रही के नाम अंकित करते हुये प्रेषित करना।

3 : 9—अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी होना आवश्यक है :

1. अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारी/अधिकारी के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि शिक्षा निदेशालय द्वारा सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम कानपुर से किया जाता है। अतएव इन विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती के अनुरूप विद्यालय को दिये जाने वाले अनुराशि में कमी करना।

2. जनपद में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/लिपिक/चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की संख्या, जिनका वेतन वितरण किया जाता है निदेशालय को निर्धारित समय, प्रत्येक त्रैमास में भेजना चाहिए।

3. नामांकन प्रपत्र निर्धारित प्रपत्रों पर भराकर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर से पुष्टि कराकर उसकी सेवा पंजिका, व्यक्तिगत पत्रावली एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सुरक्षित रखना चाहिए।

4. सेवा निवृत्ति/सेवारत मृत्यु पर अभिदाता के दावे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे जाते हैं। अतः ऐसे दावे प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से समय से प्राप्त कर तत्काल उसके प्रेषण की व्यवस्था करना।

5. भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त दावे की चैकों की धनराशि स्थानीय कोषागार में जी० पी० एफ० लेखा खोलकर रखा जायगा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसी से क्रास चेक के माध्यम से भुगतान करना चाहिए।

3 : 10—विचारणीय बिन्दु :

- क्या अध्यापक कल्याण के लिए सामूहिक जीवन बीमा योजना की वर्तमान व्यवस्था प्रर्याप्त हैं ?
- इसके रख-रखाव को और व्यावहारिक एवं सरल बनाने के लिये क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?
- क्या सामूहिक जीवन बीमा की वर्तमान प्रक्रिया पूर्ण व्यावहारिक है ?
- क्या सामूहिक जीवन बीमा के प्रारम्भ व अन्त में भरे जाने वाले प्रपत्रों के प्रारूप एवं इनको भरने की व्यवस्था सरल बनाई जा सकती है ? यदि हाँ तो कैसे ?
- सामूहिक जीवन बीमा के भुगतान में किन-किन कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है उनका निराकरण कैसे सम्भव है ?

———

विभिन्न छात्र निधियाँ

4—अनुदान, शुल्काय और छात्रवृत्तियां

4 : 1 किसी भी संस्था के संचालन के लिए उसका मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों से पर्याप्त रूप से सम्पन्न होना अनिवार्य है। इन संसाधनों की अपरिहार्यता को नकारा नहीं जा सकता। संस्था के विभिन्न अंगों की गत्यात्मकता एवं कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ीकरण एक विशिष्ट महत्व रखता है। इसी दृष्टि से शासन, समाज, विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की निधियों की व्यवस्था की गयी है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अभिभावकों का विशेष योगदान है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान, शुल्काय तथा छात्रवृत्तियां सम्मिलित हैं जिनका कि विवरण निम्नवत् है।

4 : 2—अनुदान

शैक्षिक संस्थाओं के विधिवत संचालन के लिए सञ्जानुदान की समुचित व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान दो प्रकार के होते हैं।

(1) आवर्तक अनुदान (2) अनावर्तक अनुदान

4 : 2—(अ) आवर्तक अनुदान

(1) अशासकीय विद्यालयों को दिये जाने वाले इस अनुदान के दो भाग हैं :—

[क] गैर सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रारम्भिक सूची पर लाने हेतु अनुदान।

[ख] छठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से अनुदान सूची पर लिए गये सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के नियमित भुगतान हेतु अनुदान।

(2) अशासकीय विद्यालयों को दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति अनुदानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान आते हैं :—

[क] वेतन वितरण अनुदान

[ख] अनुरक्षण अनुदान

[ग] क्षतिपूर्ति अनुदान

क्षतिपूर्ति अनुदान के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षतिपूर्तियाँ की जाती हैं ।

(1) कक्षा 7 व 8 तथा कक्षा 7 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे का 15 एवं 20 प्रतिशत [प्रबन्धकीय अंश] की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति ।

(2) असहाय्यिक मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले बालक/बालिकाओं हेतु नि:शुल्क शिक्षा के फलस्वरूप हुई क्षति की प्रतिपूर्ति अनुदाव ।

(3) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 में पढ़ने वाले बालक/बालिकाओं के नि:शुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे का 15 एवं 20 प्रतिशत प्रबन्धकीय अंश की क्षतिपूर्ति अनुदान ।

2 अ - त्रिभाषा अनुदान

नियमानुसार नियुक्त त्रिभाषा अध्यापकों के वेतन की क्षतिपूर्ति हेतु यह अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

2 ब—प्राइमरी क्षतिपूर्ति

इससे वर्ष 74-75 के पूर्व सहायता प्राप्त बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संलग्न प्राइमरी पाठशालाएँ, असहायिक जू० हा० स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत पाठशालाओं से संलग्न प्राइमरी पाठशालाएँ तथा स्वतन्त्र प्राइमरी पाठशालाएँ इस अनुदान से लाभान्वित होती हैं ।

4 : 2 अनावर्तक अनुदान

(क) अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं साज सज्जा हेतु अनुदान

छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप अनुभागों की संख्या में वृद्धि होती है जिसके लिए अतिरिक्त भवनों तथा साजसज्जा एवं काष्ठोपकरण की भी आवश्यकता पड़ती हैं । इसके लिए शासन/विभाग समय-समय पर अस्थायी अनुदान स्वीकृत करता है ।

(ख) विज्ञान के लिए अनुदान :

सबके लिए विज्ञान शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान की पढ़ाई के लिए विद्यालयों को विज्ञान की मान्यता के साथ विज्ञान के उपकरणों के क्रय हेतु तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं जिसमें राजकीय अनुदान, प्रबन्धकीय अंशदान के अनुपात के अनुसार देने का प्रावधान है ।

(ग) पुस्तकालय सम्वर्द्धन अनुदान :

संस्थाओं में पुस्तकालय की स्थापना एवं उसके सम्बर्द्धन हेतु प्रबन्धकीय अनुदान के परिप्रेक्ष्य में राजकीय अनुदान अनुपातानुसार स्वीकृत किया जाता है ।

(घ) दक्षता अनुदान :

परीषदीय परीक्षाफल की उत्कृष्टता (75 प्रतिशत) के आधार पर वरीयता क्रम में विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था है जिसमें प्रथम श्रेणी में तथा द्वितीय श्रेणी में चयनित विद्यालयों को क्रमशः 10 हजार रुपये तथा 7 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

(ङ) विशेष अनुदान :

विद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत कॉमन रूम, प्रक्षालन कक्ष आदि की व्यवस्था हेतु 25 हजार रुपये तक का राजकीय अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(च) प्रोत्साहन अनुदान :

प्रदेश के वरिष्ठता क्रम में सर्वोत्कृष्ट 3 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को एक-एक लाख रुपये की दर से अनावर्तक विकास अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(छ) प्राकृतिक प्रकोप के अनुदान :

प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए आयोजनेतर अनुदान ।

चिन्तन के बिन्दु :

(1) क्या अनुदानित विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं ?

(2) क्या राज्यानुदान की अपर्याप्तता में कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत की जा सकती है ?

(3) प्रबन्धकीय अंशदान किस सीमा तक उपलब्ध कराना उपयुक्त होगा ?

(4) प्रचलित अनुदानों के अतिरिक्त क्या अन्य अनुदानों की अपेक्षा है ? यदि हाँ, तो उसके क्या स्रोत हो सकते हैं ?

(5) उपलब्ध अनुदानों की अधिकतम इकाई तक उपयोग हेतु क्या सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं ?

4 : 3—शुल्काय :

सम्प्रति प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण शुल्क इण्टरमीडिएट स्तर तक समाप्त कर दिया गया किन्तु विद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों पर पड़ने वाले व्यय की उपयुक्त व्यवस्था हेतु अन्य मदों पर निर्धारित शुल्क लिये जा रहे हैं। इनका निर्धारण शिक्षा संहिता एवं विभिन्न राजाज्ञाओं तथा विज्ञप्तियों के आधार पर होता है। ये शुल्क शिक्षा के विभिन्न स्तरों (आधारिक, पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों) में विभिन्न दरों पर लिए जाते हैं। प्राप्त किये जाने वाले शुल्कों की मदों का विवरण निम्नवत् है :—

4 : 3—(ख) शुल्क विवरण :

1. चिकित्सा शुल्क
2. संगीत वादन शुल्क

   (कक्षा 9–10 तथा कक्षा 11–12 के सम्बन्धित छात्रों से)
3. मँहगाई
4. विकास
5. पंखा शुल्क
6. विज्ञान शुल्क
7. पुस्तकालय एवं वाचनालय शुल्क
8. पुनः प्रवेश शुल्क
9. टी० सी० शुल्क
10. अनुपस्थिति दण्ड
11. क्रीड़ा शुल्क
12. श्रव्य दृश्य शुल्क
13. परीक्षा शुल्क
14. जलपान शुल्क
15. पत्रिका शुल्क
16. काशन मनी (कक्षा 11, 12 के विज्ञान छात्रों से)
17. निर्धन छात्र कोष
18. स्काउटिंग (कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों से)

उपरिलिखित शुल्क मदों के अतिरिक्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन हेतु अभिभावकों का अंशदान प्राप्त किया जाता है तथा जिन विद्यालयों में साईकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है, वहाँ साइकिल शुल्क भी जमा किया जाता है।

राजकीय विद्यालयों में क्रमसंख्या 1 से 10 तक प्राप्त शुल्काय को कोषागार में जमा करने की व्यवस्था है। क्रीड़ा शुल्क शासकीय पी० एल० ए० में तथा अन्य छात्र निधियाँ अलग-अलग खातों में डाकखाना/बैंक में जमा की जाती है।

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के सम्बन्ध में अलग व्यवस्था है : इन विद्यालयों में टी० सी० शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क तथा दण्ड के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विज्ञान वर्ग के छात्रों से प्राप्त शुल्काय का 80 प्रतिशत तथा

अन्य छात्रों से प्राप्त शुल्काय का 55 प्रतिशत तथा महगाई भत्ते का शत प्रतिशत तथा विकास शुल्क का 50 प्रतिशत वेतन संदाय खाते में जमा करने का प्रावधान है। अन्य शुल्क जैसे क्रीड़ा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पंखा शुल्क आदि को सम्बन्धित निधियों के पोस्ट आफिस अथवा बैंक खातों में जमा किया जाता है। कोई भी धनराशि हाथ में रखने का प्रावधान नहीं है।

4 : 3 ख—विचारणीय बिन्दु

(1) क्या विद्यालय के विभिन्न क्रिया कलापों के संचालन हेतु छात्र निधियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले निर्धारित शुल्क पर्याप्त हैं ?

(2) क्या छात्र निधियों के अन्तर्गत शुल्क की मदों में वृद्धि उपयुक्त होगी ?

(3) क्या इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षण शुल्क समाप्त कर देने से शिक्षा के अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव हो पायेगी ?

(4) क्या शिक्षण शुल्क समाप्त कर देने के बाद विलम्ब दण्ड लेने का प्रावधान अनावश्यक नहीं हो गया है ?

(5) क्या विद्यालयों में शुल्क प्राप्ति रसीद देने की नियमित परम्परा का पालन किया जा रहा है ?

(6) क्या छात्र निधियों का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जा रहा जिनके लिए शुल्क प्राप्त किया जाता है ?

(7) क्या काशन मनी वापस करने की कोई प्रभावी तथा दोषमुक्त प्रणाली अपेक्षित है ?

(8) क्या प्राप्त क्रीड़ा शुल्क का खेलकूद को अपेक्षित प्रोत्साहन देने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है ?

4 : 4—छात्रवृत्तियाँ

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 6-8 व 9-12 में विभिन्न प्रकार की योग्यता छात्रवृत्तियाँ मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके अध्ययन हेतु आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके सहायतार्थ प्रदान की जाती हैं :—

(1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को केन्द्रीय योजनान्तर्गत माध्यमिक स्तर पर 2956 छात्रवृत्तियां 60 रु० प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्र को 100 रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

(2) हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर इण्टरमीडिएट के छात्रों को दी जाने वाली योग्यता छात्र वृत्तियाँ, कुल संख्या 1564 प्रतिमाह 40 रु० की दर से।

(3) प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति।

(4) सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) के कर्मियों के बच्चों को/आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता।

(5) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9—10) के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ (रजिट्रार विभागीय परीक्षाएँ द्वारा संचालित) परीक्षा में उत्तीर्ण क्रम में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ (ख) सूची के अन्तर्गत।

(7) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति।

(8) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकीय सहायता।

(9) सीमान्त क्षेत्रों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू०पी०पी०, पी०ए०सी० के जवानों तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता।

(10) अनुमोदित आवासीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सुविधा (केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत)।

(11) सन् 1962 तथा 1965 के युद्धों में मारे गये/अथवा अस्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध बन्दियों तथा लापता घोषित प्रतिरक्षा कर्मियों के छात्रवृत्तियाँ।

(12) सन् 1965 तथा 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके बच्चे तथा आश्रितों को शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत।

(13) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में संस्कृत लेकर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ।

(14) उत्तरा खण्ड स्थित संस्कृत संस्थाओं की विभिन्न कक्षाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ।

(15) पर्वतीय क्षेत्र में स्थित संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ।

(16) उत्तराखण्ड स्थित विद्यालयों में कक्षा 7 से 12 के छात्रों को विशेष सुविधा के अन्तर्गत।

(17) सुदूर सीमांत क्षेत्रों (जिलों) में छात्रों को शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत।

(18) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियाँ ।

(19) चम्बल घाटी में आत्म समर्पणकारी डाकुओं के बच्चों आदि को शैक्षिक सुविधाएँ ।

(20) वर्मा से प्रत्यावर्तित के भारतीय राष्ट्र के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा ।

(21) बंगला देश के नये विस्थापितों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा ।

(22) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना ।

(23) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय छात्र वृत्ति योजना ।

(24) एकीकृत परीक्षा के अन्तर्गत (1) राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 9–12 तक के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति (ग) सूची । (2) राज्य के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति (क) सूची ।

उपरिलिखित छात्रवृत्तियों में से 'क्रमांक 1, 5 एवं 22 के सम्बन्ध में आय सीमा प्रतिवर्ष 6000/–रु० निर्धारित है । इन छात्रवृत्तियों की स्वीकृत निदेशालय द्वारा निर्गत होती है । अन्य छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियाँ मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/जिला विद्यालय निरीक्षक तथा निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशालय के निर्देशानुसार निर्गत की जाती हैं ।

: 5—**विचारणीय बिन्दु :**

(1) क्या सभी छात्रवृत्तियों का समुचित लाभ सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को अपेक्षा-नुसार प्राप्त हो पाता है ?

(2) क्या छात्रवृत्तियाँ समय पर छात्र/छात्राओं को मिल पाती है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं ?

(4) क्या धनराशि अनुदान अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है ?

(5) क्या अनुदान समय से सम्बन्धित विद्यालयों को उपलब्ध करा दिये जाते हैं ?

(6) क्या बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की क्षतिपूर्ति के साथ ही हरिजन छात्राओं की स्थिति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायी जाती है ?

(7) क्या अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता के नवीनीकरण के प्रकरणों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जाता है ?

(8) क्या त्रिभाषा अध्यापकों के लिए अनुमन्य वेतनमान पुनरीक्षित करने तथा उनके स्थायी पद सृजन की आवश्यकताएँ अनुभव की जा रही है ?

(9) क्या भवन अनुदान तथा कक्षा कक्ष निर्माण अनुदान के उपभोग की उपयोगिता का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

(10) क्या विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था के प्रभावी संचालन में पुस्तकालय सम्बर्द्धन अनुदान की भूमिका प्रभावी है ?

(11) क्या दक्षता अनुदान अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल योगदान कर रहा है ?

आडिट और आपत्तियों का निराकरण

5 : 1—आडिट व्यवस्था :

वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए अपने कार्यालयाधीन लेखों को सही तरीके से रखना सभी आहरण वितरण अधिकारियों का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। वे अभिलेख भली प्रकार से रखे गये हैं अथवा नहीं, इसकी जाँच विभिन्न आडिट एजेन्सियों द्वारा की जाती है।

5 : 2—राजकीय संस्थाओं में आडिट व्यवस्था :

राजकीय शिक्षण संस्थाओं व कार्यालयों के लेखों का आडिट सम्प्रति निम्नलिखित एजेन्सियों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है—

(क) विभागीय आडिटरों द्वारा (ख) महालेखाकार द्वारा

5 : 3—विभागीय आडिट :

विभागीय आडीटर किसी संस्था या कार्यालय के प्रायः समस्त अभिलेखों का शत प्रतिशत आडिट करते हैं, जबकि महालेखाकार के आडीटर किसी विशेष अवधि के राजकीय निधि सम्बन्धी अभिलेखों की केवल परीक्षणात्मक जांच (टेस्ट आडिट) करते हैं। विभागीय आडिट का उद्देश्य व प्रयोजन केवल गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को प्रकाश में लाना एवं कमियों को इंगित करना मात्र न होकर आडिट रिपोर्ट के माध्यम से संस्थाध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को भविष्य में अपने अभिलेखों को अधिकाधिक शुद्ध एवं सही रखने एवं सक्षम बनाना भी होता है, जिससे वे वित्तीय नियमों परि-नियमों से भली प्रकार अवगत हो जाएँ और भविष्य में गम्भीर वित्तीय अनिमितताओं से बच सकें।

5 : 4—महालेखाकार द्वारा ऑडिट :

महालेखाकार द्वारा किये जाने वाले आडिट का उद्देश्य तथा प्रयोजन अन्य बातों के साथ अनियमित व्यय की मदों, विद्वान मण्डल द्वारा प्राधिकृत सीमा से बाहर की मदों का परीक्षण कर कमी अथवा अन्य कारणों से सरकारी धन की हानि तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों को विभागाध्यक्ष तथा शासन की जानकारी में लाना होता है।

5 : 5—सहायता प्राप्त संस्थाओं में ऑडिट व्यवस्था :

राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का आडिट तीन विभागों द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(1) शिक्षा विभाग की आडिट इकाई द्वारा ।

(2) स्थानीय निधि लेखा परीक्षण विभाग द्वारा ।

(3) महालेखाकार, उ०, प्र०, इलाहाबाद के आडिट संगठन द्वारा ।

5 : 6—**विभागीय ऑडिट :**

शिक्षा विभागीय आडिट इकाई वर्तमान में तीन स्तरों पर बँटी हुई है ।

(1) जिला स्तर, (2) मण्डल स्तर, (3) मुख्यालय स्तर ।

5 : 6 (क) **जिला स्तर:**

जिला स्तर आडिट इकाई अपने जनपद की प्रत्येक अनुदानित संस्था के अभिलेखों की जांचे इस प्रकार करती है कि प्रत्येक वर्ष में हर संस्था के लेखों की जांच की जा सके वह अपने कार्यालय में संस्थाओं के अभिलेख मँगाकर जाँच कर सकती है । इसके द्वारा अपने जाँच कार्य में शुल्काय से शत प्रतिशत जमा की स्थिति की विशेष रूप से जाँच की जाती है ।

5 : 6 (ख) **मण्डल स्तर :**

मण्डल स्तर की आडिट इकाई मण्डल की समस्त संस्थाओं की सामान्य जांच करती है इसके द्वारा मण्डल की प्रत्येक संस्था की 3 वर्ष में एक बार जांच अवश्य की जाती है । मण्डल अधिकारी तथा मुख्यालय के विशेष निर्देश पर किसी संस्था का शत प्रतिशत विशेष आडिट भी इसके द्वारा कराया जा सकता है । यदि आडिट तत्काल महत्व के हों और सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त हों तो इस इकाई द्वारा राजकीय विद्यालयों तथा कार्यालयों का आडिट भी कराया जा सकता ।

5 : 6 (ग) **मुख्यालय स्तर :**

मुख्यालय आडिट इकाई का कार्य क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । इस आडिट इकाई को विभाग की (टास्क फोर्स) के रूप में मानना चाहिए । गम्भीर एवं महत्वपूर्ण शिकायतों के आधार पर यह प्रदेश की शासकीय संस्थाओं एवं राजकीय कार्यालयों का शत-प्रतिशत आडिट तथा शिकायती विन्दुओं की जाँच कर सकती है ।

5 : 7—**स्थनीय निधि लेखा द्वारा**

स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा इकाई भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का लेखा परीक्षण शासन के आदेशों के अनुसार करती है । इस कार्य हेतु उन्हें विभाग द्वारा धनराशि का भुगतान उनके द्वारा संपरीक्षित धनराशि के निश्चित अनुपात में करने पर किया जाता है । यह संस्था का उत्तरदायित्व होता है कि सम्प्रेक्षकों को सम्प्रेक्षण हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध करायें ।

5 : 8—**महालेखाकार द्वारा :**

महालेखाकार, उ० प्र० के लेखा संगठन द्वारा उन विद्यालयों का आडिट किया जाता

है जिनकी वार्षिक अनुदान धनराशि 5 लाख या उससे अधिक होती है।

5 : 9 (क)—अशासकीय विद्यालयों द्वारा आडिट आपत्तियों का निराकरण :

विभागीय आडिट द्वारा आपत्तियों का निराकरण अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अभिलेखों के निरीक्षण एवं जाँच में विभागीय आडिट द्वारा निम्न-लिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है :—

(1) राजकोष से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएँ निर्धारित आय व्ययकों का लेखा निर्धारित प्रपत्रों पर रखती है अथवा नहीं।

(2) संस्था के अभिलेखों का रख रखाव नियमान्तर्गत है अथवा नहीं।

(3) वेतन वितरण अधिनियम 1971 का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोई त्रुटि अथवा अनियमितता तो नहीं की जा रही है।

(4) संस्था को दिये गये अनुदान से क्रय में गबन, जालसाजी अथवा धनापहरणतो नहीं किया गया है। धन का सही उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

(5) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान का ठीक ढंग से उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

(6) प्रबन्धक अपना अंशदान ठीक प्रकार से लगाते हैं अथवा नहीं।

(7) लाभत्रयी योजना में कोई अनियमितताएँ तो नहीं की जा रही हैं ?

(8) बालक तथा बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ ठीक प्रकार से दी जा रही है अथवा नहीं।

(9) प्रबन्धक छात्रों से अनियमित फीस तो नहीं ले रहे हैं ?

(10) छात्र कोष आदि का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं।

(11) अध्यापकों का वेतन ठीक ढंग से वितरित हो रहा है अथवा नहीं।

(12) चयन वेतनमान स्वीकृत करने में नियमों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(13) आडिट दल को वांछित अभिलेख उपलब्ध करने तथा सम्प्राप्ति कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा रहा है अथवा नहीं।

5 : 9 (ख)—उपरिलिखित बिन्दुओं के आधार पर संतोषजनक स्थिति न पायी जाने की दशा में विभागीय आडिट द्वारा आख्या तैयार की जाती है जिसकी प्रति शिक्षण संस्था के प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य को प्रेषित की जाती है। यह शिक्षण संस्था के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य का दायित्व है कि वह निर्धारित समयान्तर्गत आडिट आपत्तियों का निराकरण किये जाने की ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें। आडिट आख्याओं में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण न होने की स्थिति में विभाग द्वारा नियमानुसार संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। यह ध्यान रखने की बात है कि आडिट आख्याओं को पालन हेतु संस्था के प्रबन्धक अथवा वह व्यक्ति जो प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हो तथा संस्था का प्रधानाचार्य सीधे तौर पर उत्तरदायी है। अतः दोनों स्तर के पदा-

धिकारी । अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निराकरण करके निर्धारित अवधि में ही निदेशित ढंग से अपनी संस्था को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करेंगे । प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य का दायित्व है कि यदि आडिट आख्याओं राज्य-कोष में या सम्बन्धित खातों में उत्तरदायित्व व्यक्तियों से धनराशि की वसूली कर जमा कराने के निर्देश हो तो उनकी पूर्ति करे । सेवा सम्बन्धी मामलों में आपत्तिगत बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही करके आख्या प्रस्तुत करें । यदि किसी प्रकरण में प्रक्रियागत त्रुटियाँ पायी जाती है तो उनका निराकरण करें तथा भविष्य में अधिक सजगता तथा सतर्कता बरते जाने हेतु उचित कदम उठाए । शिक्षण संस्थानों का यह कर्त्तव्य है कि वह विभागीय नियमों तथा शासकीय अधिनियमों में निहित कार्यवाहियों का शत प्रतिशत पालन करें ।

5 : 9 (ग) स्थानीय लेखा परीक्षा की आपत्तियों का निराकरण :

स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पायी गई प्रारम्भिक वित्तीय अनियमितताओं और दोषों का समाधान स्थल पर ही करने का प्रयास करना चाहिए । आडिट इन्सपेक्शन रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले लेखा परीक्षा अधिकारी प्राय: संस्थाध्यक्ष से महत्वपूर्ण अनियमिताओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते है । आडिट द्वारा उठाये गये प्रश्नों और अभिलेखों में उपलब्ध संगत तथ्यों को समझने और उनकी जाँच करने में प्रधानाचार्य । प्रबन्धक को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए उन्हें आडिट इन्सपेक्शन रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए वरन् आडिट के दौरान जानकारी में लायी गई अनियमितताओं, भूलों तथा दोषों के परिशोधन की तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आडिट रिपोर्ट को अन्तिम रूप प्रदान कर लेखाकार द्वारा यह महत्वपूर्ण अनियमितताओ की सूचना पृथक पृथक विभागाध्यक्षों तथा शासन की प्रेषित की जाती है । आडिट रिपोर्ट निर्गत हो जाने के बाद महालेखाकार के पास प्रथम उत्तर भेजने के लिये एक माह का समय दिया जाता है । जिन प्रकरणों का निस्तारण में इससे अधिक समय लगने की सम्भावना हो, उनमें एक अन्तरिम उत्तर भेज देना चाहिए । आडिट-आडिट रिपोटों में कुछ आपत्तियाँ या प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनको विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में आडिट पैरों के रूप में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना होती है । अत: इन आडिट आपत्तियों का शीघ्र निराकरण परमावश्यक होता है ।

5 : 9 (घ)--ड्राफ्ट पैरा

महालेखाकार द्वारा आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित करने के लिये पैरा का आलेख शासन के सम्बन्धित सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र के साथ प्रेषित किया जाता है । ड्राफ्ट पैरा पर तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित होती है क्योंकि आडिट रिपोर्ट को तत्परता से अन्तिम रूप देना होता है । सामान्य तथा ड्राफ्ट पैरा का उत्तर देने के लिए महालेखाकार द्वारा 6 सप्ताह का समय दिया जाता है । ड्राफ्ट पैरा की सावधानी से जांच करके निर्धारित समय के भीतर उसका विस्तृत, पूर्ण ब्योरे बार उत्तर महालेखाकार को दिया जाना चाहिए ।

5 : 9 (ड़)—आडिट पैरा

जिन ड्राफ्ट का पैरा का संतोषजनक उत्तर निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार को प्राप्त नहीं होता, उसे वह भारत के नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक की आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित कर लेता है। भारत के नियन्त्रक महालेखा द्वारा आडिट एवं एकाउन्ट्स आर्डर 1936 के पैरा 11 (4) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये विनियोग लेखे और उन पर आडिट रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। संविधान के अनुसार आडिट रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति पर वित्त विभाग उन प्रतियों को राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त कर विधान मण्डल में सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अनन्तर के आडिट रिपोर्ट्स लोक लेखा समिति की जांच और प्रतिवेदन के लिये निर्देशिय है।

5 : 9 (च)—लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति, विधान सभा की एक समिति है और उसका गठन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अधीन किया जाता है। लोक लेखा समिति सामान्य तथा आडिट रिपोर्ट विनियोग लेखा तथा वित्त लेखों में किये गये आडिट की भिन्न-भिन्न पर्यालोचनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ मांगती है। तत्पश्चात शासन के सम्बन्धित सचिव तथा विभागाध्यक्ष द्वारा इसकी सिफारिशों तथा पर्यालोचनाओं को विभाग के मंत्री की जानकारी में लाना अनिवार्य होता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की प्रतियाँ परिचालित होते ही सतकार के सचिव स्वयं इस बात की जांच करते हैं कि क्या समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये नियमों में संशोधन करना आवश्यक है या प्रक्रिया बदलनी अपेक्षित है। सरकार के सचिव द्वारा लोक लेखा समिति को सभी सिफारिशों तथा पर्यालोचनाओं के सम्लन्ध में त्वरित कार्यवाही अपेक्षित होती है।

5 : 10—ध्यातव्य

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु ध्यातव्य हैं।

(1) क्या त्रुटि पूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान किया जा रहा है ?

(2) क्या संस्था द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर अनियमित नियुक्तियाँ करायी जाती हैं या गलत ढंग पद सृजित कराये जाते हैं ?

(3) क्या शुल्काय शुद्ध व सही धनराशि वेतन संदाय में जमा की जा रही है ?

(4) क्या विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्तियों को विधिवत जमा किया जाता है ?

(5) क्या सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की कटौतियां राज कोष में समय से जमा करायी जाती है ?

(6) क्या विभिन्न छात्र निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्यों के लिए ही किया जाता रहा है ?

(7) क्या विद्यालय सम्पत्ति (प्राभूत सुरक्षित कोष) का दुरुपयोग एवं बुर्विनियोग तो नहीं किया जा रहा है ?

(8) क्या बिना पंखा लगे पंखा शुल्क लिया जा रहा है ?

(9) आडिट कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा तो नहीं की जाती है ?

5 : 11 - राजकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा आडिट आपत्तियों का निराकरण

शासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण सामान्य । विभागीय नियमों के अन्तर्गत किया जाता है । इस कार्य से निस्तारण हेतु अविलम्ब कार्यवाही अपेक्षित होती है । वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 5 भाग 1 के पैरा 79 के अनुसार प्रत्येक संस्थाध्यक्ष का यह दायित्व है कि आडिट द्वारा उठायी गई आपत्तियों का निराकरण करके 15 दिन के भीतर आडिट मेमों आपस कर दें अथवा आपत्तियों के ऊपर भेज दें । यदि उत्तर भेजने में विलम्भ हो तो बिलम्भ का कारण स्पष्ट करते हुए पत्र लिख दें । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल इस आधार पर कि कुछ आपत्तियाँ अब भी विचाराधीन है, आडिट मेमो को रोका नहीं जाना ।

अनिस्तारित लेखा परीक्षा टिप्पणियों (आडिट आबजर्वेशन्स) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (आडिट रिपोर्टों) का तत्परता से निस्तारण करने के साथ सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन, जालसाजी जैसे महत्वपूर्ण मामलों की नियमान्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी जानी चाहिए ताकि दोषी व्यक्तितों को समय से दंडित किया जा सके ।

5 : 12 - लेखा आपत्तियों के तुरन्त निराकरण की आवश्यकता

लेखा परीक्षा आख्याओं का तुरन्त निराकरण न करने के कारण विभागीय कार्यवाही की सम्भावना तो रहती है साथ ही शासन/महालेखाकार/निदेशालय के मध्य पत्र व्यवहार में समय श्रय तथा धन का अनावश्यक व्यय होता है तथा लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है । जिन आपत्तियों में किसी कर्मचारी से धन की वसूली के निर्देश दिये होते हैं उनके अनुपालन में विलम्ब होने से सम्बन्धित कर्मचारी के स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति या मृत्यु के फलस्वरूप वैसा करना दुरुह हो जाता है । अतः महालेखाकार अथवा विभागीय आडिट की लेखा परीक्षा में इंगित त्रुटियों का निराकरण करते हुए उनके अनुपालन को उच्च वरीयता प्रदान करना चाहिए ।

5 : 13 - ध्यातव्य

(1) कार्यालयी दायित्व हेतु प्राप्त धन तत्काल लेखांकित एवं लेखा बद्ध कर कोषागार में जमा किया जाता हैं अथवा नहीं ?

(2) छात्रों से प्राप्त शुल्क धनराशि अपने कार्य दिवस पर कोषागार में जमा की जाती है अथवा नहीं । प्राप्त आय का सीधे शासकीय कार्य में उपयोग तो नहीं किया जा रहा है ।

(3) रोकड़ पंजिका (कैश बुक) प्रतिदिन बन्द की जाती है अथवा नहीं। माह के अन्त में तिजोरी के शेष से सत्यापन करके हाथ में रखी धनराशि को गिन कर अंकों तथा शब्दों में रोकड़ पंजिका में प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है अथवा नहीं ?

(4) कैश बुक तथा कैश चेस्ट के रख रखाव में नियमानुसार सतर्कता बरती जाती है अथवा नहीं।

(5) कैश बुक लेखों में ओवर राइटिंग तथा ईरेजिंग तो नहीं की जा रही है। अशुद्धि को काटकर कटिंग को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है अथवा नहीं।

(6) कोषागार से आहरित धनराशि कोषागार अभिलेखों से सत्यापित की जाती है और कोषागार संख्या कैश बुक में अंकित की जाती है अथवा नहीं। क्या कोषागार में जमा की गई धनराशियों का मासिक सत्यापन कोषागार से प्रतिमाह कराया जा रहा है ?

(7 जिन कर्मचारियों से जमानत लेना आवश्यक है उनसे अपेक्षित धनराशि की जमानत निर्धारित प्रपत्र पर ली जाती है अथवा नहीं ?

(8) क्या शिक्षा संस्था से सम्बन्धित सम्पत्ति के लिये निर्धारित प्रपत्र अभिलेख नियमित रूप से रखे जा रहे हैं तथा सम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली आय शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार व्यवस्थित हो रही है।

(9) शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क नियमित वसूली की जा रही है अथवा नहीं। कक्षा रजिस्टर में वसूले शुल्क विवरण तथा जमा शुल्काय में अन्तर तो नहीं पाया जा रहा है ?

(10) विभिन्न खरीदों में रेट कान्ट्रेक्ट, टेन्डर आदि नियमों की उपेक्षा तो नहीं की जा रही है।

(11) विभिन्न छात्र निधियों का हिसाब विधिवत परखा जाता है अथवा नहीं। प्राप्त धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है।

(12) स्टाकों की वार्षिक जांच तथा सत्यापित करने की कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं शीर्ष कमियों को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं अथवा उपेक्षा की जा रही है।

(13) वेतन तथा छात्रवृत्तियों के वितरण की व्यवस्था संतोषजनक है अथवा नहीं।

छात्रवृत्तियों का भुगतान छात्रों के नाम से खाता खुलवा कर उनके खाते में जमा किया जाता है अथवा नकद भुगतान किया जा रहा है।

(14) निष्प्रयोज्य वस्तुओं को खारिज करने की कार्यवाही नियमान्तर्गत की जाती है अथवा नहीं।

(15) कन्टिन्जेन्सी रजिस्टर का रख रखाव निर्धारित प्रपत्र पर किया जाता है अथवा नहीं। रजिस्टर की प्रत्येक प्रविष्टि पर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं।

(16) यात्रा भत्ता बिलों का रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र पर बनाया जाता है अथवा नहीं। इनके पारित करने में नियमों का पालन किया जाता है अथवा नहीं।

(17) कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे समय-समय पर जारी किये गये शासकीय निर्देशों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा पूर्ण रखे जा रहे हैं अथवा नहीं।

(18) वेतन निर्धारण तथा चयन वेतनमान स्वीकृत करने में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।

(19) क्या डाक टिकट पंजिका का रख रखाव भली प्रकार किया जा रहा है?

विचारणीय बिन्दु :

(1) क्या शैक्षिक प्रशासक एवं अधिकारी आहरण वितरण वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों उप नियमों एवं अधुनातन राजाज्ञाओं से पूर्ण भिज्ञ हैं? क्या वित्तीय प्रशासन हेतु उनके द्वारा सामान्य लेखा निर्देशों का पालन किया जा रहा है?

(2) क्या वित्तीय हस्त पुस्तिका में दी गई भुगतान सम्बन्धी महत्वपूर्ण धाराओं एवं राजाज्ञाओं का अनुपालन किया जा रहा है?

(3) क्या छात्रनिधियों का उन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा रहा है जिनके लिए उनकी वसूली का प्राविधान है?

(4) क्या आडिट रिपोर्ट समय से विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है?

(5) क्या आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के निराकरण हेतु सक्षम उच्चाधिकारी द्वारा त्वरित अनुपालन प्रक्रिया अपनायी जाती है?

(6) क्या आडिट द्वारा उठाई गयी आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रशासन में सुधार आया है ?

(7) क्या प्रत्येक आडिट आख्या में आपत्तियों की पुनरावृत्ति नहीं पायी जाती है ?

(8) आडिट की आपत्तियों का समय से निराकरण न हो पाने के लिये कौन घटक उत्तरदायी है ?

(9) क्या विभाग सम्बन्धित अधिकारियों को वित्तीय प्रकरणों के निस्तारण में सक्षम बनाने हेतु उनके लिए किसी पुनर्बोधन प्रशिक्षण की अपेक्षा है ?

आगामी दो दिनों में उपर्युक्त समस्याओं पर विचार-विमर्श और क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा समस्याओं का आकलन और सम्मानित समाधान ढूँढना हमारा प्रयास होगा।

शैक्षिक नियोजन

6 : 1 राष्ट्रीय और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप निर्धारित नीतियों और संकल्पों को वांछित उपलब्धिपरक बनाने एवं निश्चित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभी क्रिया कलापों का पूरा नियोजन कर लिया जाय। अतः शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु शैक्षिक नियोजन को नकारा नहीं जा सकता।

6 : 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में विभिन्न स्तर पर शैक्षिक नियोजन हेतु पर विशेष बल दिया गया है—

(क) राष्ट्रीय स्तर

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा और कार्यान्वयन सम्बन्धी देख रेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बोर्ड उपयुक्त समितियों के माध्यम से एवं मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाए गये प्रक्रमों के माध्यम से कार्य करेगा। केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए इसमें व्यवसायिक दक्षना वाले व्यक्तियों को लाया जायेगा।

(ख) राज्य स्तर

राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह के राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगे। मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के समाकलन के लिए कारगर उपाय किये जानने चाहिए।

(ग) जिला तथा स्थानीय स्तर

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए जिला बोर्डो की स्थापना की जायेगी। शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजन, समन्वयन, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन में केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर की एजेन्सियाँ सहभागिता निभाएंगीं। विद्यालय संगमों (स्कूल काम्प्लेक्सों) को विकसित किया जायेगा। उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमो में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे।

6 : 3 योजना आयोग द्वारा शैक्षिक नियोजन की निम्नांकित परिभाषा दी गई है :--

Educational planning implies taking of decisions for futnre actions with a view of achieving pre determined objectives through the optimum use of scare resources.

यूनेस्को के "डिवीजन आफ एजूकेशनल पालिसी एण्ड प्लानिंग" द्वारा तैयार किये गये Training material in Educational planning administration and facilities. विषयक माड्यूल में शैक्षिक नियोजन की कार्यकारी परिभाषा निम्नवत् दी गयी है :-

"Educational planning is an attempt to achieve an efficient and national allocation of resources to the educational system of a nation or part of one."

6 : 4 स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय भावी शैक्षिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्णय लेकर योजना तैयार किए जाने से है। दूसरे शब्दों में शैक्षिक नियोजन, संसाधनों का शैक्षिक व्यवस्था एवं प्रणाली को दक्ष और युक्तिसंगत बनाने हेतु आवंटन है। इस प्रकार शैक्षिक नियोजन से सीमित साधनों के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों/लक्ष्यो को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

6 : 5 शैक्षिक नियोजन में तीन प्रमुख प्रक्रियाएँ निहित होती हैं :—

(1) शैक्षिक विकास के लिए नीति निर्धारण

(2) परियोजनाओं का निर्माण

(3) परियोजनाओं का कार्यान्वयन

6 : 6 नीति निर्धारण मुख्यतः शासन द्वारा होता है। परियोजनाओं का निर्माण तकनीकी विशेषता की अपेक्षा रखता है और परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रशासनिक व्यवस्था पर अवलम्बित रहता है। नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार के आधारभूत आंकड़ों की आवश्यकता होती है जो सामान्य शैक्षिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं हैं। शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से सबसे पहले विभिन्न नीतियों के अनुरूप कार्य योजना (प्लान आफ एक्शन) तैयार करना होता।

6 : 7 योजनाओं की संरचना उपयुक्त विश्वसनीय शैक्षिक आंकड़ों पर वर्तमान शैक्षिक स्थिति की समीक्षा करते हुए होनी चाहिए। अन्यथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम अपेक्षानुरूप प्रभावी नहीं हो सकेंगे क्योंकि नियोजन का अभिप्राय आवंटित परिव्यय का विभिन्न परियोजनाओं में विभाजन मात्र नहीं है। हमारी आवश्यकताएँ अधिक

हैं और साधन कम। अतः संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाना है कि महत्तम सेवाएं/उत्पादन प्राप्त हों। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले विनियोग से शैक्षिक सुविधाओं की अधिकाधिक सुलभता ही शैक्षिक नियोजन का लक्ष्य है।

6 : 8 आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की समीक्षा समिति ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने परिप्रेक्ष्य पर्चे "प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर" में भी शैक्षिक नियोजन की जो संकल्पना प्रस्तुत की है उसका सार संक्षेप निम्नवत् है :—

(1) नियोजन को व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक सन्दर्भ के साथ जीवन्त रूप से जोड़ना होगा।

(2) शैक्षिक नियोजन एवं विकास में शिक्षक एवं समाज की भूमिका लगातार घटती जा रही है।

(3) नियोजन और क्रियान्वयन को क्षेत्र विशेष और विविधतापूर्ण दृष्टियों के अनुसार विकेन्द्रित करना होगा।

(4) स्कूली शिक्षा को "उच्च स्तरीय" नियोजन और प्रबन्ध के चंगुल से मुक्त कराना होगा। शिक्षक एवं स्थानीय समुदाय को केन्द्र बिन्दु बनाना होगा।

(5) प्रत्येक संस्था में प्रमुख को सही मायनों में प्राधिकार देने होंगे। स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें अफसरशाही एवं निरीक्षण प्रणाली के दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए।

(6) नियोजन की विकेन्द्रित प्रबन्ध प्रणाली अपनानी होगी। केन्द्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय तमाम स्त्रोत संस्थाओं एवं स्तर निर्धारण करने वाली एजेन्सियों को अपनी भूमिकाएँ पुनः परिभाषित करना होगा ताकि सभी स्थानीय इकाइयों में संस्थागत क्षमताएं विकसित हों।

6 : 9 शैक्षिक नियोजन हेतु परियोजनाओं के निर्माण में प्रमुख रूप से जिन आंकड़ों की सामान्यतः आवश्यकता होती है वे निम्नवत् हैं :---

(1) विभिन्न आयु वर्गों के बालक/बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचना अलग से)

(2) आगामी कम से कम पाँच वर्षों के लिए जनसंख्या का अनुमान।

(3) विभिन्न प्रकार/स्तर की शिक्षण संस्थाओं की सूचना जैसे-शासकीय/अशासकीय, बालक/बालिका, हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट, मान्यता प्राप्त/अनुदानित अथवा नहीं आदि।

(4) विभिन्न स्तर की शैक्षिक सुविधाओं की क्षेत्रवार उपलब्धता, असेवित क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना।

(5) क्षेत्रवार अनौपचारिक तथा प्रोढ़ केन्द्रों की संख्या एवं आवश्यकता।

(6) विभिन्न स्तरों की छात्र संख्या-स्कूलवार, कक्षावार, विषयवार लिंगवार तथा क्षेत्रवार।

(7) अध्यापक-आयु लिंग, वेतनक्रम, योग्यता, सृजित पदों एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या

(8) अध्यापक आवश्यकाओं के प्रोजेक्शन्स।

(9) भवन, उनके प्रकार, स्वामित्व, कक्षा-कक्षों की संख्या, वर्तमान स्थिति, पेय जल, खेलकूद आदि की स्थिति।

(10) साज-सज्जा, भौतिक सुविधायें, फर्नीचर, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि से सम्बन्धित सूचना।

(11) शिक्षणेतर कर्मचारी-तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, एवं स्थिति।

(12) परीक्षा-परीक्षार्थियों की संख्या, विषयवार, लिंगवार, क्षेत्रवार, परीक्षा परीणाम।

(13) आय-व्यपक की सूचना स्कूलवार. परियोजनावार, आवर्तक-अनावर्तक, पूँजीगत आदि मदों के अन्तर्गत।

6 : 10 वर्तमान में शैक्षिक नियोजन करते समय निम्नलिखित प्रकरणों/कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(क) शैक्षिक सुविधाओं के कार्यक्रमों का विकास :

(1) नये स्कूलों की स्थापना

(2) वर्तमान स्कूलों का उच्चीकरण

(3) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो का प्रावधान

(4) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का प्राव्धान

(5) अशासकीय विद्यालयों को प्रदत्त सुविधायें

(6) व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था

(ख) भवन :

(1) नये भवनों का निर्माण

(2) वर्तमान विद्यालयों का रख-रखाव तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण।

(ग) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी :

(1) वर्तमान स्कूलों में अतिरिक्त स्टाफ

(2) नये विद्यालयों एवं अनुभागों के लिए स्टाफ

(घ) विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाएँ :

(1) नवीन विषयों का समावेश

(2) पुस्तकालयों का विकास

(3) पठन-पाठन सामग्री का प्रावधान

(4) फर्नीचर एवं साज-सज्जा की आपूर्ति

(5) खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का विकास

(ङ) छात्रों को प्रोत्साहन :

(1) छात्रवृत्ति

(2) बुक बैंक

(3) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें

(4) स्कूल यूनीफार्म

6 : 11 शैक्षिक नियोजन का स्वरूप :

(क) प्रदेश की विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली

नियोजन की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर वांछित भूमिका प्रदान कर जन-आकाक्षाओं को सरकार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982-83 से विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली प्रारम्भ की गयी। इस प्रणाली के अन्तर्गत नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करके इसे क्रमशः जनपद, विकास खण्ड और संस्था स्तर पर पहुँचाया जाना है। जिला योजना विकेन्द्रीकरण की पहली कड़ी है। इस व्यवस्था में जिले को नियोजन की इकाई बनाया है इस प्रणाली के आधारभूत बिन्दु निम्नवत् हैं :—

(1) समस्त योजनाएँ राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर में विभक्त रहती हैं। राज्य सेक्टर में ऐसी योजनाएँ सम्मिलित की जाती हैं जिनका लाभ किसी एक जनपद तक सीमित नहीं होता अर्थात् एक से अधिक जनपद इनसे लाभान्वित होते हैं। जिला सेक्टर में ऐसी योजनाएँ रखी जाती हैं जिनका नियोजन अथवा कार्यान्वयन एवं उनके स्थान विशेष का चयन जनपद स्तर पर अपेक्षाकृत भलीभाँति हो सकता है। इससे उसी जनपद विशेष को लाभ पहुंचता है।

(2) प्रत्येक वर्ष आयोजनागत परिव्यय का 70 प्रतिशत राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए और शेष 30 प्रतिशत जिला सेक्टर योजनाओं के लिए आवंटित किया जाना प्रस्तावित रहता है।

(3) "जिला सेक्टर" की योजनाओं के लिए निर्धारित परिव्यय का 30% भाग

विभिन्न जनपदों मे वस्तुपरक मानक (Objective Criteria) के आधार पर आवंटित किया जाता है ।

(4) आवंटित "जिला सेक्टर" परिव्यय की सीमा के भीतर रहते हुए जनपद में जिला योजनाएँ तैयार की जाती हैं ।

(5) राज्य सेक्टर की योजना मे संरचना का कार्य वर्तमान प्रणाली के अनुसार मुख्यालय में ही सम्बन्धित विभागों या संगठनों द्वारा किया जाता है।

(6) जनपद में योजनाएँ तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने का कार्य जिला-धिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित दो समितियों द्वारा किया जाता है :—

[क] जिला योजना समन्वय और कार्यान्वयन समिति

[ख] जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति

(7) मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति विकेन्द्रित नियोजन की व्यवस्था से प्राप्त वार्षिक जिला योजनाओं के प्रारूप पर विचार करती है और संशोधनों सहित (यदि कोई हो) इनको अनुमोदित करती है । इस प्रकार अनुमोदित योजना की एक प्रति नियोजन विभाग को तथा योजना सम्बन्धित विभिन्न अध्यायों की प्रतियाँ सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग और विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाती हैं । यदि विभागाध्यक्ष की योजना के किसी भाग पर आपत्ति हो तो उस आपत्ति पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार शासन स्तर पर निम्नांकित अधिकारियों की समिति को दिया गया है :—

[क] वित्त सचिव

[ख] सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव

[ग] नियोजन सचिव

(8) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जिला योजनाओं पर शासन के नियोजन विभाग में सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता हैं । संसाधनों की सीमाओं एवं राज्य की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत यदि किसी जिला योजना में कोई संशोधन, परिवर्तन करना अपरिहार्य हो तो उसका समावेश करते हुए जिला नियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है ।

[ख] जिला योजना की विकास प्रक्रिया के सोपान :

जिला स्तर पर नियोजय प्रक्रिया को मुख्य रूप से चार चरणों में बाँटा जा सकता :—

(1) पहला चरण— पूर्व नियोजन (Pre Planning)

नियोजन के पूर्व सम्बन्धित आँकड़ों के संग्रह का कार्य सम्पन्न किया जाता है और

इन्हीं के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप नियोजन की प्रक्रिया अपनायी जाती है। आँकड़ों के विश्लेषण से आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं।

(2) दूसरा चरण--नियोजन (planning)

इस चरण में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है जिसके अनुसार शैक्षिक विकास कार्यक्रमों हेतु विभिन्न परियोजनाएँ संचालित होती है।

(3) तीसरा चरण—क्रियान्वयन (Implementation)

योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनका सफल क्रियान्वयन भी अत्यधिक महत्व-पूर्ण है। जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाता है। जनपद स्तर पर जिला योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए "समन्वय और कार्यान्वयन समिति" उत्तरदायी होती है। उपर्युक्त समिति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग-निर्देश और जनपद के परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जनपद के लिए योजनाओं के प्रारूप को निर्धारित करती है, प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा करती है और "पुनर्विनियोग" का प्रस्ताव जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति को भेजती है।

(4) चौथा चरण—अनुश्रवण और मूल्यांकन (monitoring and evaluation)

जिला योजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के कर्त्तव्य निम्नवत् हैं।

(1) जिला योजना समन्वय और कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित योजना के आलेख को जिला स्तर पर अन्तिम रूप देना।

(2) जनपद की समस्त योजनाओं का दो माह में एक बार अनुश्रवण करना।

(3) जिले के विभागीय परिव्ययों को मानकों के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों में वितरित करना।

(4) जिला योजना समन्वय और कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित पुनर्विनियोग के प्रस्ताओं को मण्डलीय समिति को अग्रसारित करना।

6 : 12 समुचित शैक्षिक नियोजन द्वारा ही सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर नियन्त्रण किया जा सकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है। लोगों में वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार सम्भव हो सकता है। विभिन्न वर्गों तक शिक्षा पहुँचाने, उसका स्तर सुधारने और विस्तार करने, मूल्यों के ह्रास को रोकने, समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र, व्यावसायिक नैतिकता तथा निरक्षरों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लक्ष्यों को उपयुक्त शैक्षिक नियोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

6 : विचारणीय बिन्दु :

(1) वे कौन-कौन से स्थल हैं जहाँ शैक्षिक नियोजन में बाधा उत्पन्न होती हैं ?

(2) शैक्षिक नियोजन हेतु आवश्यक विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं ?

(3) नियोजन प्रक्रिया के लिए जिस पूर्व तैयारी की आवश्यकता है उस पर अपेक्षित ध्यान देने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

(4) विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली द्वारा "अन्तराल एवं समस्या प्रधान अवधारणा" (backlogcum problem oriented concept में कहाँ तक परिवर्तन आया है ?

(5) शैक्षिक व्यवस्था को पूर्ण नियोजित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में नियोजकों से क्या अपेक्षा की जा सकती है ?

———

संस्थागत नियोजन

7 : 1 संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था के स्तर पर शैक्षिक विकास के लिये विस्तृत योजना तैयार करना है। संस्थागत नियोजन में संस्था के संचालन से सम्बन्धित सभी लोगों अर्थात् शिक्षक, छात्र, अभिभावक और स्थानीय समुदाय के सदस्यों को नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। यह सहभागी नियोजन के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अन्तर्गत संस्था अपनी निजी आवश्यकताओं का अनुमान लगाती है समस्याओं का समाधान ढूंढ़ती है और स्व-अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समुचित कार्ययोजना तैयार करती है।

7 : 2 प्राय: ऐसा देखने में आया है कि भ्रमवश विद्यालयी पंचांग (कलैण्डर) को ही संस्थागत नियोजन मान लिया जाता है। विद्यालय कलैण्डर के अन्तर्गत शिक्षकों के कार्य और दायित्व निर्धारण से सम्बन्धित प्रधानाचार्य की कार्य योजना और कक्षा-शिक्षण की इकाइयों, पाठ तथा गृह कार्य के विवरण सम्मिलित होते हैं जब कि संस्थागत नियोजन में विद्यालय/संस्था के विकास कार्यक्रम का निरूपण होता है, इन विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्यतया विद्यालय में शिक्षा का सुधार करना होता है।

7 : 3 संस्थागत नियोजन में पद्धति मूलक उपागम (सिस्टमस् एप्रोच) द्वारा संस्था विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना अभीष्ट होता है। संस्थागत नियोजन द्वारा निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

(1) संसाधनों का इष्टतम उपयोग

(2) समय का इष्टतम उपयोग

(3) साधनों एवं साध्यों की स्पष्टता

(4) व्यक्तियों एवं प्रक्रियाओं के बीच ताल-मेल

(5) हताशाओं को कम करना

(6) अनिश्चितताओं को कम करना

7 : 4 संस्थागत नियोजन में प्रधानाचार्य, शिक्षकों छात्रों, अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय के सहयोग से कार्यक्रम/परियोजनाओं को तैयार करता है। नियत अन्तराल पर सम्बन्धित लोगों की बैठकें आयोजित करके संस्था की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है और तदनुरूप परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। एक बार

में ही संस्था के समूचे विकास के लिये योजना तैयार करना सम्भव नहीं हो पाता परन्तु संस्था की कतिपय आवश्यकताओं को जान लिया जाता है और कुछेक प्राथमिकताओं को निश्चित करने के बाद वर्तमान एवं अतिरिक्त संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए एक या दो परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाता हैं सतत प्रयास से क्रमशः संस्थागत नियोजन में परिष्कार आता है ।

7 : 5 संस्थागत नियोजन हेतु कुछ विशेष कदम उठाया जाना आवश्यक हैं ।

(1) प्राप्त भौतिक सुविधाओं, शिक्षा-कार्यक्रमों, आदि का सर्वेक्षण करना और इन सभी क्षेत्रों की कमियों का पता लगाना ।

(2) विद्यालय में भावी नामांकन का पता लगाना ।

(3) शिक्षकों तथा कर्मचारियों की आवश्कताओं एवं भौतिक सुविधाओं का अनुमान लगाना ।

(4) एक निश्चित अवधि में सरकारी आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना ।

(5) भावी आवश्यकताओं और निर्धारित संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकतायें एवं उनके विकल्प निश्चित करना ।

(6) निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर सूक्ष्मता से विचार करना ।

(7) मूल्य वृद्धि और प्राप्त संसाधनों के उचित प्रयोग को दृष्टि में रखते हुए विस्तार एवं सुधार कार्यक्रमों के व्यय का मूल्यांकन करना ।

(8) प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रमों एवं व्यय के चरणों में बांटना ।

(9) योजना की प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के लिए योजना को समुदाय के सामने रखना ।

(10) विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए योजना को अन्तिम रूप देना ।

7 : 6 किसी भी परियोजना की रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाना चाहिए ।

(1) परियोजना की आवश्यकता तथा उसका औचित्य

(2) परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य

(3) परियोजना में सम्मिलित व्यक्तियों का विवरण

(4) क्रियान्वयन हेतु अवधि का अनुमान

(5) संसाधन

(6) मूल्यांकन विधि

7 : 7 उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि असफलताओं एवं निराशाओं से बचने के लिए समय की अपव्ययता रोकने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थागत नियोजन किया जाना आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य है। हम सब इससे भी सहमत होंगे कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी कारण विभाग और शासन द्वारा विद्यालय स्तर पर संस्थागत नियोजन के महत्व को बराबर दोहराया जा रहा है।

7 : 8 विचारणीय विन्दु

(1) शिक्षण संस्थानों के प्रधान संस्थागत नियोजन की संकल्पना को किस सीमा तक व्यावहारिक रूप दे पा रहे हैं ?

(2) संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया में अनुभूत कठिनाइयाँ कौन-कौन सी हैं तथा इसका समाधान कैसे किया जा सकता है ?

(3) संस्थागत नियोजन में पर्याप्त सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना होगा।

(4) संस्थागत नियोजन को और भी अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है ?

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

झांसी मण्डल

दिनांक 9, 10 जनवरी 1991

प्रकरण—वित्तीय प्रशासन और शैक्षिक नियोजन

कार्यक्रम

दिनांक 9-1-91

प्रथम पाली—(1) प्रतिभागियों का पंजीकरण	10.00 से 11.00 तक
(2) उद्घाटन सत्र (उद्बोधन)	11.00 से 12.00 तक
(3) विषय प्रवर्तन	12.00 से 01.00 तक
मध्यान्तर	01.00 से 02.00 तक
द्वितीय पाली—(1) उपयुक्त वित्तीय प्रशासन, क्या, कैसे, आवश्यकता और स्वरूप	02.00 से 03.30 तक
(2) शैक्षिक नियोजन की संकल्पना और स्वरूप	03.30 से 05.00 तक

दिनांक 10-1-91

द्वितीय पाली— 1) शैक्षिक अनुदान निधियाँ और नियन्त्रण, छात्र वृत्ति और क्षतिपूर्ति	10.00 से 11.30 तक
(2) विकेन्द्रीय नियोजन प्रणाली (जिला योजना सहित)	11.00 से 02.00 तक
मध्यान्तर	01.00 से 02.00 तक
द्वितीय पाली—(1) सामान्य सत्र समीक्षा एवं विवेचना	02.00 से 02.00 तक
(2) विचार विमर्श एवं आख्या लेखन।	03.00 से 04.00 तक
(3) समापन सत्र-आख्या प्रस्तुतिकरण	04.00 से 05.00 तक

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

9-19 जनवरी 1991

प्रतिभागियों की सूची

जनपद झाँसी

1—श्री शान्ति स्वरूप त्रिवेदी	जिला विद्यालय निरीक्षक झासी ।
2—श्री गोपाल कृष्ण गर्ग	प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज झासी
3—श्री प्रेम नारायण द्विवेदी	प्रधानाचार्य रा० इ० का० तकरार झासी
4—श्री विन्दा रामपाल	प्रधानाचार्य रा० इ० का० समथर झासी
5—सुश्री राजेश्वर गोस्वामी	प्रधानाचार्या सु० प्र० ब० इ० का० झासी
6—सुश्री एम० पी० सोनी	प्रधानाध्यापिका रा० उ० म० वि० बरुआ सागर
7—श्री गोविन्द प्रसाद खरे	प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाना पुरुष झासी
8—श्री राम लोटन	प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान बरुआ सागर झाँसी ।
9—श्री आर० सी० बादल	प्रधानाचार्य श्री कृष्णा आदर्श इ० का बड़ा गांव झांसी ।
10—श्री राजाराम तिवारी	प्रधानाचार्य राम सहाय इ० का० बरुआ सागर
11—श्री सीता राम गुप्ता	प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर इ० का०
12—श्री ओ० पी० अग्रवाल	प्रधानाचार्य दमेले इ० का० मछरानीपुर झांसी
13—श्री उदकी लाल	प्रधानाचार्य स० प० इ० का० चिनगांव
14—सुश्री रेखा राय	प्रधानाचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान महिला
15—श्री माता प्रसाद मिश्र	अप्र० प्राचार्य गोरक्षा इ० का० गैरहा

16—श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता	अ० प्रा० प्राचार्य स० प० इ० का० झांसी
17—श्री लखन लाल मिश्र	अ० प्रा० प्राचार्य हनुमन्त इ० का० बामौर झासी
18—श्री मती गार्गी शुक्ला	प्रधानाचार्या न० प० का० इ० का मऊरानीपुर
19—श्री छोटे लाल गुप्त	प्रधानाचार्य सु० मा० वि० ललितपुर

जनपद बांदा

1—डा० दलजीत सिंह पुरी	जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा
2—श्री कृष्ण राम सिंह	प्रधानाचार्य रा० इ० का० बांदा
3—श्री मति जाकिया खान	प्रभारी प्रधानाचार्य रा० इ० का० बांदा
4—श्री मती दिनेश्वर नन्दनी	रा० का० इ० का० कर्वी बांदा
5—श्री ललित प्रसाद अग्रवाल	प्रधानाचार्य चित्रकूट इ० का० कर्वी बांदा
6—श्री महमूद हुसेन खान	प्रधानाचार्य उ० मा० वि० बांदा
7—श्री बाबू लाल गुप्ता	उभ० ए० बी० इ० का० बांदा

जनपद हमीर पुर

1—श्री राम नरेश सुमन	विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर
2—श्री शंकर दयाल अवस्थी	प्रधानाचार्य रा० इ० का० सरीला
3—श्री बाबू लाला	प्रधानाचार्य रा० इ० का० जैतपुर
4—श्री [illegible] प्रसाद तिवारी	प्रधानाचार्य रा० इ० का० [illegible]
5—कुमारी सुधा रानी यादव	प्रधानाचार्या रा० इ० का० हमीरपुर
6—श्री मती सरला श्रीवास्तव	रा० इ० का० महोबा
7—श्री राम कृपाल सिह	प्रधानाचार्य रा० उ० मा० वि० मुस्करा हमीरपुर
8—श्री आर० एस० त्रिपाठी	प्रधानाचार्य डी० आर० वी० इ० का० राठ
9—श्री यादवेन्द्र शर्मा	प्रधानाचार्य डी० ए० वी० इ० का० महोबा

जनपद जालौन

1—श्री एम० पी० शर्मा	प्रधानाचार्य रा० इ० का० उरई
2—श्री कमलेश कुमार शास्त्री	प्रधानाचार्य रा० इ० का० बगरा

3—श्री राम नारायण शिहरे	प्रधानाचार्य रा० इ० का० दौरा
4—श्री बलबीर सिंह	प्रधानाचार्य एस० आर० पी० इ० का० कोच
5—श्री एस० जी दीक्षित	प्रधानाचार्य डी० ए० वी० का० उरई
6—श्री सी० के० शुक्ल	एम० एल० पी० इ० का० कालपी

जनपद ललितपुर

1—श्री भगवान स्वरूप सिंह	जिला विद्यालय निरीक्षक
2—श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा० इ० का०
2—श्री शंकर लाल तिवारी	प्रधानाचार्य शान्ति निकेतन महारानी
4—श्री रामेश चन्द्र प्रेमी	प्रधानाचार्य रा० उ० मा० वि० माताटीला
5—श्री मती दुर्गा सक्सेना	प्रधानाचार्या रा० इ० का०
6—श्री अजय कुमार जैन	प्रधानाचार्य जैन इ० का०
7—श्री महेन्द्र पाल सिंह	मदन सिंह इ० का० तालबेहट

अतिरिक्त

1—श्री के० के० शर्मा	प्रधानाचार्य आदर्श जनप्रिय उ० मा० वि० दरौली झाँसी
2—कु० कृष्णा शर्मा क्यूर	प्रधानाचार्या आर्य इ० का० झाँसी
3—श्री रामनगीना सिंह	प्रवक्ता समा सिंह इ० का० रामपुरा जालौन
4—श्री विष्णु कुमार श्रीवास्तव	मण्डलीय मनोवैज्ञानिक अधिकारी झाँसी
5—श्री जय प्रकाश	प्रवक्ता रा० सी० पी० आई इलाहाबाद

अन्यान्य प्रधानाचार्य

1—श्री आर० एस० सिंह	प्रधानाचार्य क्रिश्चियन इ० का० झाँसी
2—श्री लखन लाल अहिरवार	उप० वि० निरीक्षक उर्दू झाँसी
3—श्री लखन राम अहिरवार	सहायक लेखाधिकारी उप शिक्षा निदेशक
4—श्री मुन्ना लाल मुगदल	प्रधानाचार्य, रा० कु० दा० अण्डन हा० से० स्कूल झाँसी

सन्दर्भ दाता की सूची

1—श्री बच्चा प्रसाद वर्मा	उप प्राचार्य राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद
2—श्री उमेश दत्त पांडेय	प्रो० राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद।
3—श्री मती कमला सिन्हा	प्रो० राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद।
4—श्री मती शान्ती श्रीवास्तव	प्रो० राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद।

[redacted]

1—श्री पी० सी श्रीवास्तव	सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—श्री बी० एस० यादव	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3—श्री एन० पी० पारगीव	नीप
4—श्री अग्रवाल	नीप

इलाहाबाद-मण्डल

विषय-प्रवर्तन

बच्चा प्रसाद वर्मा
उप प्राचार्य
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

सम्माननीया मुख्य अतिथि डा० (श्रीमती) उर्मिला किशोर जी, संगोष्ठी के अध्यक्ष मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक जी, जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वय) जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गोष्ठी में उपस्थित विद्वान साथी एवं समस्त प्रतिभागी प्रधानाचार्य-प्रधानाचार्या गण।

शैक्षिक संस्थाओं के अधिकारियों के सामने समस्याएँ आती हैं, अतः वे एकत्र हों और सामने आयें, समस्याओं को प्रस्तुत करें तथा मिल बैठकर उनके समाधान खोजें। इसी उद्देश्य से निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सात मण्डलों में इस प्रकार की शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसके पूर्व मेरठ तथा झाँसी मण्डलों की संगोष्ठियाँ सम्पादित हो चुकी हैं। अन्य मण्डलों की गोष्ठियों के सम्पादन की तिथियाँ लगभग सुनिश्चित हो गई हैं' जिन्हें शीघ्र ही सम्पादित कर लिया जाएगा।

प्रस्तुत शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी की समस्याओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है :—

(1) शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता।
(2) शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन।
(3) शिक्षा के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों के सम्भावित क्षेत्र।
(4) समान शिक्षा व्यवस्था।
(5) माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास की प्राथमिकताएँ।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य है कि प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार उभरें, उनके निराकरण के उपाय सोचे जायँ एवं उनका संकलन कर एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाय।

उद्बोधन

डा० (श्रीमती) उर्मिला किशोर
सदस्या
माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
तथा मुख्य अतिथि

गोष्ठी के अध्यक्ष, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक श्री भट्ट जी, जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वय), जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, श्री वर्मा जी तथा समुपस्थित प्रतिभागीगण।

प्रसन्नता की बात है कि निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठियाँ और प्रशिक्षण की जा रही हैं, उनके विषय सामयिक पुकार के अनुकूल है, विशेषकर इस गोष्ठी का विषय बहुत ही सामयिक है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम शैक्षिक संसाधन जुटाने के सहयोग के विषय में कुछ सोच सकें।

वास्तविकता यह है कि हम विद्यालयों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्राप्त संसाधनों के ऊपर निर्भर रह गये तो उनकी प्रगति तथा विकास बहुत कठिन है।

बालिकाओं के लिए शैक्षिक संसाधनों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बरेली में छात्राओं के प्रवेश का दबाव अत्यधिक है और संसाधन बहुत कम। स्थिति यह है कि छात्राओं से कक्षाएँ खचाखच भरी रहती हैं, जिसके कारण अध्यापिकाओं की आवाज कक्षा के पीछे तक नहीं पहुँच पाती। ऐसे में ज्ञानवर्धन कैसे सम्भव है? अतः आवश्यक है कि अभिभावकों तथा स्थानीय समाज से सहयोग लिया जाय।

यद्यपि नीति निर्धारण का कार्य शासन के हाथ में है, तथापि संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या होने के नाते संस्था के विकास का उत्तरदायित्व आप प्रधानाचार्यों पर आता है। आपके लिए संस्था की अच्छाई की भावना से ओत-प्रोत रहना आवश्यक है।

समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है। अतः मानवीय संसाधन की कमी

नहीं है, पर वित्तीय संसाधन का अभाव अवश्य है। सर्वाधिक आवश्यकता सुयोग्य शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं की है।

शिक्षा का विकास तभी सम्भव होगा जब हम सभी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ सकें। इसके लिए एक मार्ग और दिखाई देता है और वह है अध्यापक अभिभावक एसोसियेशन की महभागिता। अध्यापक और अभिभावक दोनों ही शिक्षा का विकास चाहते हैं। अतएव आशा की किरण दिखाई देती है।

वैसे अब लोगों के विचारों में बड़ा अन्तर आ गया है। आज समाज का हर व्यक्ति इस भावना से विद्यालयों को खोलने तथा सहयोग देने के लिए आगे आना चाहता है कि आखिर उसे क्या मिलेगा ? अतः ऐसे व्यक्तियों की भावनाओं में कैसे परिवर्तन लाया जाय, इस पर भी विचार करना होगा।

मैं इस मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी के सफल होने की कामना के साथ निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल तथा गोष्ठी के आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ।

समापन वक्तव्य

श्री हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उत्तर प्रदेश ।
एवं
मुख्य अतिथि, समापन सत्र

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी, इलाहाबाद मण्डल के समापन सत्र के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय सलाहकार श्री एस० के० गुप्त जी, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक श्री भट्ट जी, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के निदेशक श्री राय साहब, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के प्राचार्य श्री पाण्डेय जी तथा सभी उपस्थित प्रतिभागीगण ।

ऊँचे स्तर की गोष्ठियों में ऊँचे विचार आते हैं । उच्च स्तरीय गोष्ठी को जब विद्यालय स्तर पर रखते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं । प्रस्तुत गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि मिल-बैठकर जो बातें की जाती हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाय ?

इस प्रकार के गोष्ठियों में सीमा निर्धारण आवश्यक है, जिससे विषय की परिधि के अन्तर्गत ही बात हो सके ।

इस गोष्ठी का विषय—शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता में सामुदायिक सहभागिता दो भागों में विभक्त है :—

1—शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और

2—सामुदायिक सहभागिता ।

इसके लिए पहले संसाधनों की सूची बनानी होगी और फिर देखना होगा कि समुदाय कितना सहयोग दे सकेगा ।

इससे भी पूर्व यह विचार करना होगा कि वास्तव में शैक्षिक संसाधनों का अभाव हैं या नहीं । शिक्षा के आयोजकों के सामने संसाधनों की बात एकांगी है । प्रश्न यह है कि क्या उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है ? जैसे कुछ विद्यालयों में छात्र संख्या

कौ दबाव है किन्तु कुछ में दबाव नहीं है। यदि प्रत्येक विद्यालय में समान संख्या में प्रवेश करा दें तो सब में पाँच छः सौ से अधिक छात्र नहीं आयेंगे। जहाँ कम छात्र हों, उन्हें अन्य विद्यालय में समायोजित करा दिया जाय तथा वहाँ के स्टाफ का उपयोग अन्यत्र कर लिया जाय। समायोजन की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, परन्तु उसका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इस सबका कारण नियोजन की कमी है।

संसाधनों की कमी के लिए कुछ विद्यालयों से प्रदत्त लेना चाहिए था। फील्ड तथास्ट्रक्चर का समन्वय होना चाहिए। हमें संस्थाओं में जाना चाहिए। वहाँ की समस्याओं की जानकारी लेना आवश्यक है। गोष्ठी के माध्यम से सम्पर्क बनाये रखकर मेरा उद्देश्य प्रधानाचार्य से फेस टू फेस जानकारी लेना है।

संस्थाओं को सही रूप में संचालित करने के लिए हमारे और आप प्रधानाचार्यों के मध्य सीधे बात होनी चाहिए इसीलिए गोष्ठी आयोजित की जाती है।

हमारी इच्छा है कि प्रत्येक मण्डल के कोर ग्रूप बनें। वे विभिन्न समस्याओं पर बात करें तथा विचारों का संकलन कर हमें दें। मैं कर्म को गतिशील बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दूँगा।

वर्तमान व्यवस्था में किस स्तर पर कहाँ कमी है, उसे देखना होगा। भौतिक माँग के सम्बन्ध में बिल्कुल सही प्रस्ताव आना चाहिए। वर्तमान में समग्र मानवीय संसाधन (Man Pawer totel) में मूलरूप में कमी नहीं है बल्कि समायोजन की कमी हो सकती है। इसलिए संस्थाएँ गुणवत्ता को विकसित नहीं कर पा रही हैं। हमें प्राणपण से इस दिशा में आगे बढ़ना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मै आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

धन्यवाद।

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता

सन्तुलित समाज की संरचना एवं राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा ही सशक्त माध्यम है। शिक्षा संस्थाएँ ही वे स्थान हैं जहाँ समाज अथवा समुदाय के बालक-बालिकाओं को शिक्षित करके उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है।

यदि प्राचीन भारतीय शिक्षा के इतिहास का अवलोकन किया जाय तो पता चलेगा कि प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थाओं की कोई नियमित व्यवस्था नहीं मिलती, बल्कि व्यक्ति विशेष तथा धार्मिक संगठनों द्वारा ही कुछ विशिष्ट परिवारों के बालक-बालिकाओं के लिए इसकी व्यवस्था की जाती थी। कालान्तर में जैसे-जैसे समाजीकरण होता गया, शिक्षा-संस्थायों की संकल्पना की गयी। उनका निर्माण और उनकी व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं आदि द्वारा की जाने लगी।

शनैः-शनैः ब्रिटिश शासन काल में उक्त व्यवस्था का कुछ भार शासन द्वारा वहन किया जाने लगा। स्वातन्त्रता प्राप्ति के बाद जैसे-जैसे राजनीतिक पहल बढ़ती गयी और शिक्षक आन्दोलन गतिमान हुआ, शासन ने शिक्षा अधिनियम 1958 तथा वेतन वितरण अधिनियम 1971 पारित किया जिसके फलस्वरूप एक ओर तो प्रबन्धतन्त्र पर अनेक पाबन्दियाँ लगने लगी और दूसरी ओर शासन पर विद्यालयों का सम्पूर्ण वेतन वितरण दायित्व आ गया। इस प्रकार शिक्षा का वित्तीय भार शासन पर बढ़ता गया और समुदाय धीरे-धीरे अपना हाथ खींचने लगा। शिक्षा के विकास और प्रसार के कारण विद्यालयों की संख्या आज़ादी के 44 वर्ष बाद लगभग 12 गुनी बढ़ गई और जनता में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न होने के कारण छात्र संख्या में 23 गुनी वृद्धि हो गई। साथ ही 1946 के पश्चात हो रही निरन्तर मूल्य वृद्धि ने विद्यालयों को अपंग सा बना दिया। निजी तन्त्र विद्यालयों में शुल्क की दरों को समयानुकूल बढ़ाकर एवं अतिरिक्त चन्दे लेकर बढ़े हुये व्यय को पूरा कर रहे हैं, किन्तु अनुदानित अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों की स्थिति अत्यन्त सोचनीय होती जा रही है। शासन द्वारा कक्षा 12 तक को शुल्क मुक्ति प्रदान करने से विद्यालयों एवं शासन के वित्तीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः विद्यालय संचालन व्यय और आर्थिक स्रोतों में असन्तुलन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पुनः सामुदायिक सहभागिता पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता

(क) संसाधनों की उपलब्धता में सामुदायिक सहभागिता :

1. विद्यालय परिसर के निकटवर्ती निवासियों का अथवा छात्र/छात्राओं के अभिभावकों का योगदान केवल शुल्क संग्रह तक ही सीमित रहता है। अतः इसका शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता में भी योगदान लिया जाय।

2. बदलती हुई परिस्थितियों में संसाधनों की उपलब्धता में समुदाय का सहभागी होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय के निकट सम्पर्क में आने पर समुदाय में विद्यालय के प्रति अपनत्व का भाव आता है।

3. समुदाय के तकनीकी व्यक्तियों, जैसे--विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित व्यक्ति, कारीगर, अभियन्ता, चिकित्सा, अधिवक्ता आदि की सेवाएँ आवश्यकतानुसार ली जा सकती हैं।

4. निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा धनवान व्यक्तियों से दान के रूप में धन लिया जाय। इस सम्बन्ध में शासन यदि उचित समझे तो शिक्षा अधिनियम में संशोधन भी किया जा सकता है। प्राप्त चन्दा/दान का विवरण एवं व्यय का लेखा-जोखा रखना अनिवार्य तथा आडिट के अधीन हो।

5. जब विद्यालयों को मानव निर्माण के उत्पादन केन्द्र की संज्ञा दी जाती है तब शासन को चाहिए कि इन विभागों के बजट बनाते समय बजट का कुछ प्रतिशत भाग शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्धारित करें जिसे विद्यालयों के उन्नयन में व्यय किया जाय।

(ख) नियोजन, अनुश्रवण तथा कार्य मूल्यांकन में सामुदायिक सहभागिता :

6. विद्यालय नियोजन में समुदाय के प्रबुद्ध, अनुभवी, कुशल एवं दक्ष व्यक्तियों का सहयोग, भवन निर्माण, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति आदि का प्रारूप तैयार करने में लिया जा सकता है। इससे सम्बन्धित जो शिक्षकों की समितियाँ बनाई जायें, उनमें इनको भी रखा जाए और बैठकों में इन्हें आमन्त्रित कर इनके सुझाव भी लिये जायें।

7. परियोजना/योजना के प्रारूप के बनने के बाद उसको पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाता है और फिर प्रत्येक चरण का अनुश्रवण तथा उक्त कार्य के

प्रत्येक चरण के पूरा होने पर उस कार्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। अतः जिस प्रकार नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय के सदस्यों से सहायता ली गई थी उसी प्रकार अनुश्रवण तथा कार्य मूल्यांकन में भी उनकी सहायता ली जाय।

(ग) शैक्षिक प्रशासन में सामुदायिक सहभागिता :

8. विद्यालय प्रशासन व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया जाये, जिसमें स्थानीय समुदाय के सदस्यों की अधिक प्रतिभागिता हो।

9. विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र में अभिभावकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।

10. स्थानीय निकाय के सदस्यों का प्रतिनिधि भी प्रबन्धतन्त्र में सम्मिलित किया जाय।

11. विद्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र के कुछ प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शासन द्वारा विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र में मनोनीत किया जाय।

12. स्थानीय निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों को भी शासन द्वारा मनोनीत किया जाये जो विद्यालय के उत्थान हेतु मार्ग दर्शन दे सकें।

(घ) शैक्षिक उन्नयन में सामुदायिक सहभागिता :

13. शैक्षिक उन्नयन के लिए "अध्यापक अभिभावक एसोसियेशन" में ऐसे नये प्रावधानों का समावेश किया जाय, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य में शैक्षिक उन्नयन एवं अधिकाधिक संसाधन जुटाने का प्रावधान हो।

14. विद्यालयों में सामुदायिक निरीक्षण व्यवस्था की जाय जिससे समुदाय द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर विद्यालय का शैक्षिक उन्नयन सम्भव हो सके।

15. विद्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विशेषज्ञों, अवकाश प्राप्त शिक्षकों आदि की सहायता शैक्षिक उन्नयन हेतु प्राप्त की जाय।

16. विद्यालयों के शैक्षिक उन्नयन के लिए निरीक्षण व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक का पद नाम बदल कर जनपदीय शिक्षा अधिकारी रखा जाय।

(घ) परीक्षा, मूल्यांकन एवं निर्देशन में सामुदायिक सहभागिता :

17. परीक्षा और मूल्यांकन आज विद्यालयों के लिए एक दुरूह कार्य बन गया है तथा निर्देशन की व्यवस्था कागजों तक ही सीमित है। इसके निराकरण के लिए समुदाय का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

18. परीक्षाकाल के पूर्व समीपस्थ समुदाय के सम्भ्रान्त तथा सक्रिय नागरिकों एवं अभिभावकों की बैठक बुलाकर परीक्षाकाल में उनकी सेवाएँ ली जा सकती हैं और स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किये जा सकते हैं।

19. अवांछनीय तत्वों की सूची बनाकर समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों तथा प्रशासन से सहयोग लिया जाय। इस प्रकार परीक्षा केन्द्र पर अवांछनीय कार्यवाही पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है।

20. जहाँ तक वस्तुनिष्ठा मूल्यांकन का प्रश्न है, छात्रों और अभिभावकों की जिज्ञासाओं के समाधान हेतु उन्हें मूल्यांकन उत्तर पुस्तकों को देखने और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाय।

21. सन 1946-47 में अध्यापक और छात्र का अनुपात 1 और 22 का था, जबकि वर्तमान समय में यह अनुपात बढ़कर 1 और 40 से भी अधिक हो गया है। फलस्वरूप मूल्यांकित होने वाली उत्तर पुस्तकों की संख्या का भार भी प्रति शिक्षक/शिक्षिका लगभग दुगुना हो गया है। अतएव परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव लाया जाय।

(छ) अनुशासन में सामुदायिक सहभागिता :

22. विद्यालयों में प्रायः अनुशासन की समस्या रहती है। इसके निराकरण के लिए समुदाय का सहयोग लिया जाय। इस हेतु छात्रों के अभिभावकों को समय-समय पर विद्यालय बुलाया जाय और उनके पाल्यों की गति विधि की जानकारी दी जाय।

23. यदि किसी छात्र में अनुशासनहीनता मिलती हो तो उसकी सूचना उक्त छात्र/छात्रा के अभिभावक को अवश्य दी जाय और अभिभावक को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाय।

24. अनुशासन स्थापित करने के लिए यदा-कदा निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों एवं अभिभावकों की संयुक्त बैठक बुलाई जाय। इस प्रकार विद्यालय के छात्रों को अनुशासित करने में सहायता मिलेगी।

शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन

1. शिक्षा अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन कर विद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु अतिरिक्त शुल्क तथा चन्दा प्राप्त करने की अनुमति दी जाय।

2. सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंक आदि पर उनके क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु ऐक्ट बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जाय।

3. शिक्षा विकास हेतु शिक्षा कर की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय। इस प्रकार शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय स्रोत उपलब्ध होंगे।

4. शासन द्वारा विभिन्न विभागों के बजट बनाते समय उनके बजट में शिक्षा के के लिए कुछ धन की व्यवस्था अलग से की जाय तथा उसे शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जाय।

5. अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को अतिरिक्त धन की व्यवस्था हेतु प्रोत्साहन दिया जाय जैसे आयकर में छूट आदि।

6. निजी प्रबन्धों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्तमान वेतन प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालय के व्यय हेतु निर्धारित शुल्क आय के 15 प्रतिशत अंश को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

7. शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए।

8. वित्तीय संसाधन हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया जाना चाहिए कि वह विद्यालयों को लाभान्वित करने के लिए विविध उपाय अपना सके।

9. उत्तर प्रदेश जैसे विकास राज्य की विशाल समस्याओं के कारण शिक्षा पर होने वाला प्रति व्यक्ति व्यय अभी भी राष्ट्रीय मानक तथा कई प्रदेशों से कम है। केन्द्र सरकार की चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश की शिक्षा के लिए और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये, जिससे शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

10. अध्यापक अभिभावक एसोसियेशन के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाये जाय।

———

शिक्षा के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए सम्भावित क्षेत्र

1. भौतिक संसाधन-विद्यालय भवन तथा उससे सम्बन्धित वस्तुएँ और काष्ठोपकरण, पंखा, जल-व्यवस्था, विद्युतीकरण तथा अन्य प्रकार की सहायक शिक्षा सामग्री, प्रयोगशाला व कार्यशाला में प्रयोग में लाये जाने वाले यन्त्र तथा अन्य उपकरण, श्रव्य दृश्य सामग्री को समुदाय से योगदान के रूप में लिया जाय।

2. आवश्यकता और परिस्थित के अनुसार उक्त भौतिक संसाधन समुदाय से अल्प ब्याज पर उधार प्राप्त किया जाय।

3. मानवीय संसाधन यथा सम्भव स्थानीय समुदाय से आवश्यकतानुसार लिये जायँ। जैसे—तकनीकी व्यक्तियों से सुझाव परामर्श, व्यवसायों सम्बन्धित व्यक्तियों, कारीगरों, अभिन्यताओं, चिकित्सकों आदि की निःशुल्क सेवाएँ आदि प्राप्त की जा सकती हैं।

4. मोमबत्ती, साबुन, दियासलाई आदि बनाने वाले कारीगर को विद्यालय में छात्र/छात्राओं को समाजोपयोगी कार्य के अन्तर्गत इन वस्तुओं की विधि सिखाने हेतु बुलाया जा सकता है। समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, जिनसे केवल निवेदन भर करने से काम हो जाता है और वे अपनी क्षमता से विद्यालय को लाभान्वित करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सेवाएँ अवश्य ली जायँ।

5. ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों के श्रम का उपयोग किया जा सकता है। जैसे—भवन निर्माण आदि में।

6. स्थानीय समुदाय के विषय-विशेषज्ञों की सेवाएँ शिक्षकों के रिक्त पदों पर अल्पकालीन शिक्षकों के रूप में ली जायँ तथा उनके विशेष व्याख्यानों से छात्र-छात्राओं को लाभान्वित कराया जाय।

7. समुदाय के अवकाश प्राप्त अध्यापकों की सेवाएँ अपेक्षाकृत कम वेतन पर प्राप्त हो सकती है। आवश्यकतानुसार उनसे निवेदन कर उन्हें इसके लिए सहमत किया जाय।

8. अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन के माध्यम से भौतिक तथा मानवीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाय। इसके लिए समय-समय पर अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन की बैठक की जाय। वैसे प्रतिमास तो बैठक की व्यवस्था है ही।

———

समान शिक्षा व्यवस्था

1—सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर दो प्रकार के विद्यालय हैं : —

1. एक तो वे जो शासन द्वारा संचालित किए जाते हैं और दूसरे वे जो निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित होते हैं। निजी प्रबन्धतन्त्र के विद्यालय दो प्रकार के हैं—एक वे जो शासन से अनुदान पाते हैं और दूसरे वे जो शासन से कोई अनुदान नहीं लेते। शासन द्वारा संचालित राजकीय विद्यालय तथा निजी प्रबन्धतन्त्र के अनुदानित विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के नियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं किन्तु शासन से अनुदान न लेने वाले अंग्रेजी पद्धति के विद्यालय आई० सी० एस० तथा सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यान्वित होते हैं। समान शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के नियमान्तर्गत क्रियाशील होने चाहिए। इसके विपरीत कार्य करने वाले निजी प्रबन्धतन्त्र को शासन द्वारा प्रतिबन्धित किया जाय।

2. माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम की एकरूपता होनी चाहिए केवल अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मूल्यों और विश्वासों की शिक्षा के लिए ही अलग पाठ्यक्रम चलाने की छूट मिलनी चाहिए, जो भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त शेष समस्त पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित ही रखा जाय इस प्रकार सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो सकेगी।

3. अल्प संख्यकों के विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पुस्तकें ही लागू हों। साथ ही यह छूट हो कि वे अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें भी चला सकें, लेकिन वे पुस्तकें भी शासन द्वारा स्वीकृत हों।

4. विद्यालयों के स्तरोन्नयन के लिए समान शिक्षण शुल्क निर्धारित होना चाहिए। अंग्रेजी पद्धति पर आधारित विद्यालयों में अधिक शुल्क लिया जाता है।

5. सभी विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जाँय तथा काष्ठोपकरण शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद का मैदान सभा भवन आदि की व्यवस्था सभी को समान रूप से सुलभ करायी जाय।

6. परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाई जाय। अंग्रेजी पद्धति के विद्यालयों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति में असमानता है, जिसमें समानता लाई जाय।

7. माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों की सेवा-शर्तों में भी समानता लाई जानी चाहिए, जिससे सब में समानता का भाव रहे।

माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास की प्राथमिकताएँ

1. हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि सभी छात्रों और छात्राओं को शिक्षा सरलता से उपलब्ध हो।

2. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा के लिए एक इण्टरमीडिएट कालेज खोला जाय। बहुत से माँ-बाप अपनी बालिकाओं को अपने गाँव से दूर नगर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेज पाते। परिणामतः उन्हें बीच में ही अध्ययन से विरत होना पड़ता है।

3. ग्रामीण अंचलों के माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिससे छात्र/छात्राओं को व्यावसाय में रूचि हो और वे विद्यालय से निकलने के बाद कोई व्यवसाय या कुटीर उद्योग अपना सकें।

4. माध्यमिक विद्यालयों में प्रायः भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव रहता है, जिन्हें जुटाने के सम्बन्ध में शासन तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद से विचार विमर्श कर विविध उपाय करें।

5. सभी बालिका माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था अवश्य हो। इसके अतिरिक्त जिन बालक विद्यालयों में सह शिक्षा की सुविधा दी जाती हैं, उनमें बालकों तथा बालिकाओं के अलग-अलग छात्रावासों की व्यवस्था की जाय।

6. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाये जायँ,

जैसे बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की लिखाई-पढ़ाई करने, सूत कातने, दरी बनाने, टोकरी बनाने आदि की शिक्षा मिलनी चाहिए।

7. अपवंचित और प्रतिभा सम्पन्न बालक/बालिकाओं को अनेक प्रकार की शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जाँय, जिससे वे अपनी शिक्षा निश्चिन्त होकर चालू रख सकें।

8. जिन विद्यालयों में छात्र संख्या का दबाव हो, उनमें अतिरिक्त कक्षा वर्ग खोलने की अनुमति सरलतापूर्वक प्रदान की जाय।

9. छात्र संख्या तथा विद्यालयीय विषयों के कक्षा वर्गों के अनुसार अपेक्षा को ध्यान में रखकर अध्यापक/अध्यापिका का सन्तुलन बनाये रखा जाय।

10. समान शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापक-अभिभावक एसोशिएशन से भी सहायता ली जाय।

कार्यपरक बिन्दु

शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता

(क) संसाधनों की उपलब्धता में सामुदायिक सहभागिता :

1. विद्यालय परिसर के निकटवर्ती निवासियों तथा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों का योगदान शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता के लिये लिया जाय ।

2. बदलती हुई परिस्थितियों में संसाधनों की उपलब्धता में समुदाय को सहभागी बताया जाय ।

3. आवश्यकतानुसार समुदाय के तकनीकी व्यक्तियों विभिन्न व्यावसायों से सम्बन्धित व्यक्तियों, कारीगरों, अभियन्ताओं, चिकित्सकों आदि की सेवायें ली जाय ।

4. निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा धनी व्यक्तियों से दान लिया जाय, जिसका व्यवस्थित रूप से लेखा जोखा रखा जाय ।

5. विभिन्न विभागों के बजट बनाते समय बजट का कुछ निश्चित भाग शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्धारित किया जाय ।

(ख) नियोजन, अनुश्रवण तथा कार्य मूल्यांकन में सामुदायिक सहभागिता :

6. विद्यालय नियोजन में समुदाय के प्रबुद्ध अनुभवी और कुछ दक्ष व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय ।

7. अनुश्रवण तथा कार्य मूल्यांकन में उन व्यक्तियों की सहायता ली जाय ।

(ग) शैक्षिक प्रशासन में सामुदायिक सहभागिता :

8. विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में स्थानीय समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय ।

9. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र में स्थानीय निकायों के सदस्यों के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाय ।

10. विद्यालय प्रबन्धतन्त्र में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय ।

विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र में स्थानीय निकायों के सदस्यों के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाय ।

11. शासन द्वारा विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के निकटवर्ती कतिपय प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाय ।

12. स्थानीय उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्रों के आचार्यों को शासन द्वारा मनोनीत किया जाय कि वे विद्यालय के उत्थान हेतु मार्गदर्शन करें।

(घ) शैक्षिक उन्नयन में सामुदायिक सहभागिता :

13. सामुदायिक सहभागिता हेतु "अध्यापक एसोसिएशन" में कतिपय नये प्रावधान किये जायें।

14. शैक्षिक उन्नयन में सामुदायिक सहभागिता हेतु सामुदायिक निरीक्षण की व्यवस्था की जाय।

15. समीपस्थ प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विशेषज्ञों आदि की सहायता ली जाय।

16. परीक्षण व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जाय।

(च) परीक्षा मूल्यांकन एवं निर्देशन में सामुदायिक सहभागिता :

17. परीक्षा, मूल्यांकन और निर्देशन में यथा सम्भव समुदाय का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

18. स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए स्थानीय समुदाय के सुझाव आमन्त्रित किये जाय।

19. अवांछनीय तत्वों की सूची तैयार की जाय और फिर उनकी जानकारी समुदाय के विशिष्ट सदस्यों अभिभावकों तथा प्रशासन को देकर उनका सहयोग लिया जाय।

20. छात्रों और अभिभावकों को मूल्यांकन उत्तर पुस्तकों को देखने और उन पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाय।

21. परीक्षा और मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन किया जाय।

(छ) अनुशासन में सामुदायिक सहभागिता :

22. विद्यालयों में अनुशासन की समस्या के निराकरण के लिए समुदाय का सहयोग लिया जाय।

23. अनुशासन की स्थापना हेतु अभिभावकों को अभीष्ट जानकारी देकर उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय।

24. अनुशासन हेतु क्षेत्रीय निवासियों तथा अभिभावकों की संयुक्त बैठक बुलाई जाय।

शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन

1. शिक्षा अधिनियम में संशोधन-परिवर्तन कर विद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त शुल्क तथा चन्दा लेने की सुविधा दी जाय।

2. औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंक आदि को वित्तीय संसाधन का उत्तरदायित्व दिया जाय।

3. शिक्षा कर की व्यवस्था की जाय।

4. विभिन्न विभागों के बजट में शिक्षा के लिए कुछ धन की व्यवस्था की जाय। यह धन शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जाय।

5. अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय।

6. निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्तमान वेतन प्रणाली के अन्तर्गत विद्यालय के व्यय हेतु निर्धारित शुल्क में वृद्धि की जाय।

7. शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाय।

8. वित्त विभाग को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए अधिकृत किया जाय।

9. केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षा के लिए और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।

10, विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाये जांय :

———

शिक्षा के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धि के लिए सम्भावित क्षेत्र

1. विद्यालय भवन, छात्रावास, काष्ठोपकरण, पंखा, जल व्यवस्था, विद्युतीकरण प्रयोगशाला के उपकरण, श्रव्य दृश्य सामग्री आदि को स्थानीय समुदाय से योगदान के रूप में स्वीकार किया जाय।

2. उक्त भौतिक संसाधन आवश्यकतानुसार समुदाय से अल्प ब्याज पर लिये जाय।

3. मानवीय संसाधन यथासम्भव स्थानीय समुदाय से प्राप्त किये जाँय। जैसे — तकनीकी व्यक्तियों से सुझाव, परामर्श तथा कारीगरों आदि की निःशुल्क सेवाएँ।

4. समाजोपयोगी वस्तुओं की विधि सिखाने हेतु समुदाय के उपयोगी तथा अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएँ ली जाय।

5. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामवासियों के श्रम की सहायता की जाय।

6. शिक्षकों के रिक्त पदों पर कार्य करने के लिए समुदाय विषय विशेषज्ञों की सवाएँ प्राप्त की जाय।

7. समुदाय के अवकाश प्राप्त अध्यापकों की सेवाएँ अपेक्षाकृत कम वेतन पर ली जाय।

8. अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन के माध्यम से भौतिक तथा मानवीय संसाधन जुटाये जाय।

———

समान शिक्षा व्यवस्था

1. समान शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश के सभी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के नियमान्तर्गत संचालित किये जाय।

2. माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यालयों में एक सा पाठ्यक्रम रखा जाय। केवल अल्पसंख्यक समुदाय को अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम के साथ-साथ अपना पाठ्यक्रम चलाने की छूट दी जाय।

3. अल्प संख्यक समुदाय के विद्यालयों में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पुस्तकें लागू की जाय। यद्यपि यह छूट भी दी जाय कि उक्त समुदाय अपने धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक क्रियाकलाप से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकें भी रख सकें।

4. सभी विद्यालयों में सामान शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाय।

5. प्रदेश के सभी विद्यालयों को समान रूप से भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जाय।

6. सभी विद्यालयों में समान परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली चालू की जाय।

7. माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों की सेवा शर्तों में भी समानता स्थापित की जाय।

माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास की प्राथमिकताएं

1. सभी छात्रों और छात्राओं को सरलतापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराई जाय।

2. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा के लिए एक इण्टरमीडिएट कालेज खोला जाय।

3. माध्यमिक स्तर पर ग्रामांचलों के विद्यालयों में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

4. माध्यमिक विद्यालयों हेतु अनुपलब्ध भौतिक तथा वित्तीय संसाधन जुटाये जाय।

5. सभी बालिका माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था की जाय।

6. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विविध उपाय अपनाये जाय।

7. अपवंचित और प्रतिभा सम्पन्न बालक बालिकाओं को विभिन्न शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाय।

8. जिन विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक हो, उनमें अतिरिक्त कक्षा वर्ग की व्यवस्था की जाय।

9. छात्रों, विषयों तथा वर्गों को दृष्टिगत रखकर अध्यापक-अध्यापिका का संतुलन रखा जाय।

10. समान शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन से भी सहायता प्राप्त की जाय।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

इलाहाबाद—मण्डल

अवधि—18, 19 जनवरी 91

स्थान—भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उ० मा० विद्यालय, इलाहाबाद

शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और सामुदायिक सहभागिता

शिक्षा को मनुष्य में किया गया एक विनियोग माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय नव निर्माण एवं एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की संरचना हेतु कुशल जनशक्ति का निर्माण शिक्षा द्वारा ही होता है। मनुष्य में किये गए विनियोग से ही तकनीकी प्रगति को जारी रखा जा सकता है। बीजग्राड-इकोनामिक्स ऑफ एजूकेशन पृ० 1551।

देश के स्वतन्त्र होने के बाद समाज के सामाजिक आर्थिक स्थानान्तरण के एक सशक्त साधन के रूप में शिक्षा के प्रसार के लिए शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि की गयी। धीरे-धीरे शिक्षा के महत्व से दत्तचित होने के साथ शिक्षा के लिए जनाकांक्षा में वृद्धि हुई। जनाकांक्षा में वृद्धि, जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि और राष्ट्रीय अवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं में परिवर्तन होने से सामाजिक सेवा के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा पर भी दबाव बढ़ा है। एक ओर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने का संवैधानिक संकल्प, दूसरी ओर शिक्षा के स्तर में उन्नयन तथा संसाधनों की अपर्याप्तता कतिपय ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करने के लिए गम्भीर चिन्तन अपेक्षित होगा। हमारे चिन्तन की कतिपय दिशायें निम्नवत् हो सकती हैं :—

- छात्रों की संख्या के अनुपात में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधाओं की क्या स्थिति है ?
- कहा जाता है कि शिक्षा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं—इनको बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं ?
- शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के लिए विद्यालयों को भौतिक एवं मानवीय दृष्टि से साधन सम्पन्न कैसे बनाया जाय ?
- शासन स्तर से प्राप्त वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता को कम करने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

- वित्तीय और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से सामुदायिक सहभागिता किस सीमा तक है और किस सीमा तक हमारी अपेक्षाएँ होनी चाहिए ?

परिदृश्य :

शिक्षा न केवल एक मानव अधिकार है अपितु एक अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने का साधन भी है। इसी दृष्टिकोण से देश के स्वतन्त्र होने पर विभिन्न स्तरीय शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया किन्तु आज भी प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 1981 की जनगणना के अनुसार मात्र 27.38 ही है जो राष्ट्र के साक्षरता प्रतिशत 36.23 से कम है।

स्वातन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और बढ़ी हुई जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। 1946-47 में राज्य में बालकों के 415 और बालिकाओं के 91 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे जो बढ़कर 1950-51 में क्रमशः 833 और 154, 1960-61 में 1489 और 282, 1970-71 में 5834 और 581, 1980-81 में 4420 और 758 तथा 1984-85 में 4822 और 832 तथा वर्ष 1989-90 में 5066 एवं 880 हो गए हैं। विद्यालयों की संख्या के साथ-साथ छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1946-47 में जहाँ 1, 77862 छात्र और 25663 छात्राएँ अध्ययनरत थे वहाँ वर्ष 1950-51 में 359580 1960-61 में 757592 और 154485, 1970-71 में 1851759 और 465977, 1980-81 में 2752494 और 695829, 1984-85 में 3232092 और 988231 तथा 1989-90 में 3440546 और 114946 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत थे।

शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधानों में भी वृद्धि हुई। 1950-51 में शिक्षा के लिए सम्पूर्ण बजट 73744 हजार रुपये से बढ़कर 1989-90 में केवल माध्यमिक स्तर के लिये आयोजनेतर क्षेत्र में 4719820 हजार रुपये और आयोजनागत क्षेत्र के लिए 134932 हजार रुपये हो गया।

कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक विकास हेतु समग्र राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने का सुझाव दिया गया था किन्तु 1986-87 में शिक्षा पर होने वाला व्यय मात्र 3.9 प्रतिशत ही था। यदि समग्र राजस्व की तुलना में शिक्षा पर होने वाले व्यय का अंश देखा जाय तो अखिल भारतीय मानक 23.3 प्रतिशत की तुलना में उत्तर प्रदेश में (वर्ष 1987-88 में) 21.4 प्रतिशत अंश शिक्षा पर व्यय किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि :—

- माध्यमिक स्तरीय शिक्षा सुविधाएँ सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। पिछड़े जन-जातीय क्षेत्रों और बालिकाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं का अभाव है।

- माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की दोहरी व्यवस्था विशेष रूप से मुखर है। शैक्षणिक संसाधनों की दृष्टि से कुछ विद्यालय सुविधा सम्पन्न हैं तो कुछ विपन्न।
- विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं का अभाव है।
- अपेक्षाकृत अच्छे माने जाने वाले विद्यालयों में नामांकन हेतु दबाव रहता है।
- शिक्षा नि:शुल्क होने के कारण विद्यालय और शासन के वित्तीय संसाधन कम हुए हैं।
- शिक्षा पर होने वाले व्यय का अधिकांश भाग शासन द्वारा वहन किया जाता है।

शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन का प्रश्न वित्तीय संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है।

इस प्रकरण पर चिंतन के हेतु निम्नलिखित पर विचार करना समीचीन प्रतीत होता है :—

- माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास की प्राथमिकताएँ।
- शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन।
- शिक्षा के लिए वित्तीय और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के उपाय एवं संभावित क्षेत्र।
- शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता-सीमा और उपाय।

(क) माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास की प्राथमिकताएँ :

सम्पूर्ण शिक्षा क्रम में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश बच्चों के लिए यह शिक्षा अन्तिम स्तर होता है। इसके पश्चात् वे जीविकोपार्जन की दिशा में सचेष्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे उच्च तकनीकी और व्यायसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में जाते हैं। इस प्रकार प्रथम वर्ग के बच्चों के लिए यह शिक्षा का अन्तिम सोपान और दूसरे वर्ग के बच्चों के लिए तैयारी का सोपान होता है। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर नामांकन के बढ़ने से इस स्तर पर भी नामांकन हेतु माँग बढ़ेगी। एक पंचवर्षीय योजनावधि में लगभग 17 लाख अतिरिक्त छात्रों के लिए इस स्तर की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

समग्र नामांकन की वृद्धि के साथ-साथ दुर्बल अपबंधित क्षेत्रों के बच्चों एवं बालिकाओं के लिए इस स्तर की शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रभाव अपेक्षित होंगे।

शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता

के उन्नयन का प्रश्न भी है। शिक्षा के स्तरोन्नयन एवं उसे और सार्थक, प्रासंगिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य-सामग्री में परिकल्पित संशोधन एवं परिवर्द्धनों के सापेक्ष भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।

इस परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है कि :—

- असेवित क्षेत्रों और जूनियर हाई स्कूल स्तर से आने वाले छात्रों की संख्या के अनुपात में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा सुविधाओं को किस रूप में बढ़ावा श्रेयस्कर होगा ?
- वर्तमान विद्यालयों में नामांकन के बढ़ते हुए दबाव और उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए क्या उपाय अपनाये जायें कि जिससे शिक्षा का स्तर प्रभावित न हो।
- शिक्षा को युगीन, सार्थक और प्रासंगिक बनाने की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य विज्ञान को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। इनके शिक्षण के लिए हमारी प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए ?
- नामांकन में वृद्धि होने पर भी बालक-बालिका अनुपात 4:1 है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं ?
- एक ओर अपेक्षाकृत अच्छे माने जाने वाले विद्यालयों में नामांकन हेतु दबाव के कारण कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होती है तो दूसरी ओर राज्य में सम्भवतः शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। इस विसंगति के निराकरण के लिए किया जाना सम्भव है ?
- माध्यमिक स्तर पर दोहरी शिक्षा नीति अत्यन्त मुखर बतायी जाती है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में मानवीय एवं भौतिक सुविधाओं, पाठ्यक्रम, भाषा, शिक्षण स्तर की दृष्टि से व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं।
- अंग्रेजी माध्यम वाले एवं पब्लिक स्कूलों के प्रति अभिभावकों में व्यामोह बताया जाता है। सामान्य विद्यालयों के प्रति जनाकर्षण की वृद्धि हेतु क्या उपाय अपनाये जा सकते है ?

- अपवंचित और प्रतिभा सम्पन्न बच्चों को शैक्षिक सुविधाएँ किस प्रकार उपलब्ध करायी जाँय कि वे अपना सम्यक् विकास कर सकें ?

(ख) वर्तमान वित्तीय संसाधन :

अन्य सामाजिक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जिस प्रकार वित्तीय संसाधनों की अपेक्षा होती है उसी प्रकार शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाता है। शैक्षिक सुविधाओं की माँग और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में सामंजस्य स्थापित करवाना विकासशील देशों के लिए कठिन होता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय नव-निर्माण की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के कुल परिव्यय में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र का अंश मात्र 7 प्रतिशत ही था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बढ़कर यह 21 प्रतिशत तृतीय में 17 प्रतिशत वार्षिक योजना (1168 -69) में 20 प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 17 प्रतिशत, पाँचवी योजना में 29 प्रतिशत और छठी योजनावधि में 35 प्रतिशत हो गया। समग्रतः देखा जाय तो कुल राष्ट्रीय आय में शिक्षा पर राजकीय व्यय जो वर्ष 1949-50 में 2.2 प्रतिशत था, 1980-81 में बढ़कर 3.8 प्रतिशत और 1988-89 में 50 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार शासन द्वारा शिक्षा क्षेत्र हेतु वित्तीय प्रावधानों में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है। किन्तु विशाल राज्य की विशाल समस्याओं के कारण शिक्षा पर होने वाला प्रति व्यक्ति व्यय अभी भी राष्ट्रीय मानक से कम है। 1951-52 में प्रति व्यक्ति व्यय (भारत) 3.4 रुपये की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2.8 रुपये ही था, जबकि मद्रास (अब तमिलनाडु) में 3.9 रुपये, केरल में 4.4 रुपये और दिल्ली में 15.2 रुपये खर्च किया जा रहा था। वर्ष 1970-71 में इसी प्रकार भारत (समग्र) 7.8 रुपये की तुलना में उत्तर प्रदेश में 5.4 रुपये ही व्यय किया जा रहा है। इसी प्रकार यद्यपि समग्रतः वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि हुई है किन्तु प्रति व्यक्ति व्यय अभी भी अनेक राज्यों और राष्ट्रीय मानक से कम है।

वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता का प्रभाव विद्यालयों में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है। अतः विचारणीय है :—

- शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनायें जा सकते हैं ?
- वित्तीय संसाधनों के अनुपलब्धता का बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है।

- ऐसा माना जाता है कि अनेक वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिये ?
- क्या यह सही नहीं है कि विद्यालयों के पास सम्बन्धित और आस्तियों का लाभ-प्रद विनियोजन नहीं किया जाता। इनके लाभप्रद विनियोजन को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है ?
- शिक्षा निःशुल्क होने से विद्यालयों एवं शासन के वित्तीय संसाधनों पर पड़े प्रभावों को कैसे दूर किया जा सकता है ?

(ग) शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता के उपाय एवं सम्भावित क्षेत्र :

शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के सापेक्ष हमारे वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। एक ओर परिमाणात्मक विकास किया जाना है जिससे सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो सके तो दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की प्राथमिकताएँ हैं जिनसे शिक्षा को युगीन और सार्थक बनाया जा सके। शिक्षा के स्तर में भी सुधार की जाती है। समय के साथ प्राथमिकताएँ बदलती हैं और शिक्षा व्यवस्था को उनसे अनुकूल करना होता है। शिक्षा क्षेत्र के इन कार्यक्रमों के लिए भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए।

हम विचार कर चुके हैं कि यद्यपि शिक्षा पर होने वाले व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है किन्तु उपलब्ध धनराशि हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। यह अवश्य है कि शिक्षा के महत्व को देखते हुये कोठारी आयोग (1964-66) ने कुछ राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत व्यय की अनशंसा की थी उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। शिक्षा को समवर्ती सूची पर लाने का एक उद्देश्य यह भी था कि राष्ट्रीय बजट से भी राज्यों को शिक्षा हेतु और वित्तीय सहायता मिल सके जो मिल भी रही है। इस पृष्ठभूमि में विचारणीय है :—

- कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा के परिमाणात्मक विकास के स्थान पर वर्तमान सुविधा को समृद्ध और पुष्ट बनाना विशेष उपयोगी होगा—यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक सार्थक होगा ?
- शिक्षा के समग्र विकास हेतु संसाधनों को उपलब्ध कराने में जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली कहाँ तक सार्थक हो सकती है ?
- पत्राचार शिक्षा को और प्रभावी तथा सशक्त बनाकर नामांकन के दबाव को कम करने में कहाँ तक सहायता मिल सकती है ?
- क्या वह नहीं होना चाहिए कि शिक्षा पर होने वाले व्यय में स्वायत्तशासी संस्थाएं और महत्वपूर्ण योगदान करें ?

- शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है जिसका उपयोग विभिन्न विभाग, अधिष्ठान करते हैं। इन विभागों और अधिष्ठानों से इस सेवा के लिए कर लगाने की सम्भावनाएँ क्या हो सकती हैं ?
- क्या यह नहीं हो सकता कि लब्धप्रतिष्ठ अधिष्ठान एवं औद्योगिक आस्थान अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण दायित्व वहन करें। इस प्रकार वित्तीय संसाधनों की बचत कर उसका उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर करने की सम्भावनाएँ होंगी ?
- शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में शिक्षा कर लगाने से संसाधनों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका स्वीकरण किस सीमा तक होगा ?
- मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार ली जाने वाले शुल्कों की दर में वृद्धि की सीमायें एवं अपेक्षाएँ कितनी सार्थक होंगी ?
- विद्यालय संकुल योजना के माध्यम से अपेक्षाकृत सुविधाहीन विद्यालयों की सहायता एवं संसाधनों की बचत करने में कहाँ तक सफलता मिल सकती है ?

(घ) शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सहभागिता सीमा और उपाय

आचार्य राममूर्ति समिति ने मन्तव्य प्रकट किया है कि संसाधनों को प्राप्त करने के नये केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों को मिलकर अपने-अपने शिक्षा सम्बन्धी अवयवों जो जोड़ना होगा और शिक्षा संकुलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के समर्थन में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। इस प्रकार स्कूली शिक्षा बहुक्षेत्रीय सरोकार के रूप में उभरेगी। यद्यपि वह विचार मुखतः स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में रखा गया है किन्तु शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी इसकी सार्थकता उतनी ही है।

शिक्षा सुविधाओं की बढ़ती हुई माँग और वित्तीय संसाधनों की सीमा के कारण शिक्षा के अवसर समान रूप से सुलभ कराने के संवैधानिक संकलन की पूर्ति के लिए केवल शासन पर ही निर्भर रहना कदाचित समीचीन न होगा। शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के लिए अन्य क्षेत्रों और उपायों को ढूंढ़ना होगा ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समुदाय से अधिकाधिक सहयोग लेने पर आग्रह किया गया है।

समुदाय से सहयोग प्राप्त करने पर बल दिये जाने से एक लाभ यहभी होगा कि समुदाय शैक्षिक उपक्रमों में सहभागी बनेगा। शिक्षा को पूर्ण रूपेण राज्य का दायित्व मान लिया गया है। शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय में सरकारी हिस्सा बढ़ता जा रहा है। 1950-51 में 57 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्ष 1979-80 में 779 प्रतिशत हो गया।

शैक्षिक कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता से शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली मानवीय भौतिक एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने में सरलता होगी।

अतः विचारणीय है कि :

- शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक बाधक तत्व वित्तीय संसाधनों का अभाव है। स्थानीय समुदाय क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने में क्या योगदान कर सकता है ?
- क्या यह सही नहीं है कि समुदाय के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हमारी शिक्षण संस्थाओं की मानवीय संसाधन के रूप में पर्याप्त सहायता कर सकते हैं इस संसाधन के उपयोग के लिए क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं ?
- अधिनियम में संशोधन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए समिति के चन्दा लेने पर लगी रोक को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन में शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था की स्थिति पर क्या फर्क पड़ सकता है ?
- शिक्षा और समुदाय के अलगाव को समाप्त करने और शैक्षिक उपक्रमों में समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में अभिभावक शिक्षक संघ पर्याप्त योगदान कर रहे हैं ऐसे और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये संघ प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- विकासत्मक क्रियाकलापों में स्थानीय पहल एवं नेतृत्व पर बल दिया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय पहल एवं नेतृत्व के विकास के लिए क्या कार्यनीति अपनायी जा सकती हैं ?
- आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने विचार रखा है कि स्थानीय लोगों को भी उन सामान्य मापदण्डों के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत होगी जिससे कि संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही क्षेत्रों में स्कूली शिक्षण के नतीजों का वे रूद मूल्यांकन कर सकें इस सम्बन्ध में क्या कार्यनीति अपनायी जानी चाहिए ?

संगोष्ठी के प्रबुद्ध प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि इन बिन्दुओं पर गम्भीर चितन-मनन कर अपने विचारों से अवगत करायें।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी 1990–91

मण्डल—इलाहाबाद

अवधि—18 व 19 जनवरी 1991

कार्य स्थल —भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इलाहाबाद

विषय—शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता में सामुदायिक सहभागिता।

कार्यक्रम

18-1-11	
1000 बजे से 11.30 बजे तक	पंजीकरण एवं उद्घाटन
11.30 बजे से 12.00 बजे तक	विषय प्रवर्तन
15.00 बजे से 01.00 बजे तक	माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के विकास प्राथमिकता
01.00 बजे से 0200 बजे तक	मध्यान्तर
02.00 बजे से 03.00 बजे तक	समान शिक्षा व्यवस्था
03.30 बजे से 05.00 बजे तक	शिक्षा के लिए वर्तमान वित्तीय संसाधन
19-1-91	
10.00 बजे से 11.20 बजे तक	शिक्षा के लिए वित्तीय और मानवीय संसाधनों के सम्भावित क्षेत्र
10.00 बजे से 12.30 बजे तक	शैक्षिक विकास के लिए सामुदायिक सह-भागिता—सीमा और उपाय।
12.30 बजे से 01.00 बजे तक	विचार-विमर्श एवं आख्या लेखन
01.00 बजे से 02.00 बजे तक	मध्यान्तर
02.00 बजे से 03.00 बजे तक	आख्याओं को अन्तिम रूप देना
03.00 बजे से 04.00 बजे तक	आख्याओं का प्रस्तुतीकरण
04.00 बजे	समापन

शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी, इलाहाबाद मण्डल

प्रतिभागियों की सूची

जनपद—इलाहाबाद

1. श्री चन्द्र दत्त पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ।
2. श्री प्रताप बहादुर पाठक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ।
3. श्री परशुराम प्रसाद, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ।
4. श्री विनय कुमार पाण्डेय, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद ।
5. डा० राजेन्द्र प्रसाद रस्तोगी, प्रधानाचार्य, कर्नलगंज, इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।
6. श्री राम निहोर त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, सर्वार्य इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।
7. श्री हरिश्चन्द्र तिवारी प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।
8. श्री मणिदेव सिंह यादव, प्रधानाचार्य, बी० एन० टी० इण्टर कालेज, मेजारोड, इलाहाबाद ।
9. श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, प्रधानाचार्य, जमुनापार इण्टर कालेज, अमरेहा, जसरा ।
10. श्री बजरंगी सिंह, उप प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।
11. श्री मथुरा प्रसाद सिंह, प्रधानाचार्य, श्री राम प्रसाप इण्टर कालेज, सिरसा, इलाहावाद ।
12. श्री राधेश्याम त्रिपाठी, प्रधानाचार्य, श्री सत्यारायण इण्टर कालेज, उरुवा ।
13. श्री एच० एन० द्विवेदी, प्रधानाचार्य, गोपाल विद्यालय इण्टर कालेज, कोरांव ।
14. श्री गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य, सरदार पटेल इण्टर कालेज, सिकरो ।
15. श्री विद्याकान्त तिवारी, प्रधानाचार्य, तुलसीदास इण्टर कालेज, कोरांव ।
16. श्री जय विजय नारायण शर्मा, प्रधानाचार्य, सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज, भीरपुर ।

17. श्री शिवशंकर पाण्डेय, प्रधानाचार्य, श्री केदारनाथ स्मारक उ० मा० विद्यालय खाअगिया, जसरा ।

18. श्री ओंकारनाथ द्विवेदी, प्रधानाचार्य, श्री दुर्गादेवी इण्टर कालेज, ओसा, मंझनपुर ।

19. श्री गुलाब सिंह, प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, मोतिस ।

20. श्री मंता बदल मिश्र, प्रतिनिधि, हरिशंकर पाण्डेय इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

21. डा० विमलेश, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, बी० ए० बी० इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

22. श्रीमती प्रेमा राय, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद ।

23. श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत, प्रधानाचार्या, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इलाहाबाद ।

24. श्रीमती किरन बाला श्रीवास्तव, प्रधानाचार्या, जगत तारन गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

25. श्रीमती मुक्ति राय, प्रधानाचार्या, डी० पी० गर्ल्स इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

26. श्रीमती किरन खान, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, इलाहाबाद ।

27. श्रीमती भगवती सक्सेना, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फूलपुर ।

28. श्रीमती प्रमिला अरोरा, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय. शंकरगढ़ ।

29. श्रीमती आभारानी राय, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद ।

30. कुमारी कृष्णा खुल्लर, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर, करछना ।

जनपद—प्रतापगढ़

1. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ ।

2. श्रीमती कुसुम सक्सेना, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ ।

3. श्री राम प्रताप तिवारी, प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ ।

4. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, के० पी० हिन्दू इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ ।

5. श्री ओंकारनाथ सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पूरबगाँव, प्रतापगढ़।

6. श्री कौशल कुमार सिंह, प्रधानाचार्य, टी० पी० इण्टर कालेज, कुण्डा।

7. श्री बृज नारायण तिवारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शेखपुर।

जनपद—फतेहपुर

1. श्री अमरनाथ पाण्डेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, फतेहपुर।

2. श्रीमती चन्द्र कली मिश्र, प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज, बिन्दकी।

3. श्री रमेश चन्द्र शुक्ल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अर्जुनपुर गढ़ा।

शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी, इलाहाबाद मण्डल

सन्दर्भदाताओं तथा विशेषज्ञों की सूची

1. श्री विनय कुमार पाण्डेय, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
   शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
2. श्री श्याम नारायण राय, निदेशक,
   मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद ।
3. श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट, उप शिक्षा निदेशक,
   इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
4. श्री रामकृष्ण जायसवाल, वरिष्ठ शोध अधिकारी,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
5. श्री बच्चा प्रसाद वर्मा, उप प्राचार्य,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
6. श्री उमेश दत्त पाण्डेय, प्रोफेसर,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
7. श्री महेश प्रताप नारायण अवस्थी, प्रोफेसर,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
8. श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल, प्रवक्ता,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।
9. श्री चन्द्र मणि मिश्र, प्रवक्ता,
   मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, इलाहाबाद ।

वाराणसी–मण्डल

विषय प्रवर्तन

श्री हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश ।

माननीय अध्यक्ष जी, मण्डलीय निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, सी० पी० आई० से आये विशेषज्ञ गण ।

वाराणसी मण्डल शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रसारण में सदैव अगुआ रहा है । गणतन्त्र दिवस पर हमने कुछ प्रतिबद्धताओं के प्रतिप्रण क्रिया है कि हम अपने कार्यों को संविसान के अनुसार पूरा करते हुए विकास की ओर अग्रसर होंगे । इसी उद्देश्य से प्रदेशों में 26 जनवरी 1991 से 9 फरवरी 1991 तक "शैक्षिक उन्नयन पखवारा" मनाने का निश्चय किया गया है । इस अवधि में जिले के समस्त शिक्षा अधिकारी समस्त विद्यालयों का निराक्षण करेगें और शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगें । इसी क्रम में यह गोष्ठी भी आयोजित की गयी है ।

यह गोष्ठी सामान्य गोष्ठियों से भिन्न है । शिक्षा के नए आयामों की संकल्पना का ज्ञान, अनुभूत कठिनाइयों को उजागर करके उसको दूर करने के उपाय ढूंढ़ना ही इस गोष्ठी का परम उद्देश्य है ।

लोक सेवा में ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को लेकर ही राष्ट्र का विकास किया जा सकता हैं । इसलिए हम केवल यह जानना चाहते हैं कि शिक्षा में अनुभूत व्यावहारिक कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है । हमारे प्रदेश के कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थान शैक्षिक कार्यक्रमों पर शोध करते हैं, चिन्तन करते हैं । शिक्षा की समस्याओं पर कार्यपरक शोध करने वालों को आपसे मिलने का अवसर दिया गया है । चिन्तन एवं प्रशासन के बीच सम्पर्क स्थापित करने का यही मात्र माध्यम है । शैक्षिक समस्याओं का समाधान केवल शैक्षिक चिन्तक अकेले नहीं कर सकते । इसलिए सम्मिलित प्रयास से शिणा में गुणात्मक विकास लाने का प्रयास हम इस गोष्ठी के माध्यम से कर सकेगें ।

छात्रों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है किन्तु विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है जिससे शिक्षा में ह्रास

हो रहा है। जब शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें अच्छी होगी तभी शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन किया जा सकता है। इसके लिए हमें शिक्षा के नए आयामों की नवीनतम जानकारी होनी चाहिए जिससे शैक्षिक आयोजकों को उन विषयों के निरीक्षण कार्य में कोई कठिनाई न हो।

आज हमारे विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने क्षेत्रों को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना होगा। इस गोष्ठी के माध्यम से ऐसी नीति का निर्धारण किया जा सकेगा जिससे प्रधानाचार्य क्षेत्र को शैक्षिक नेतृत्व प्रदान कर सकेगा। प्रौढ़ शिक्षा एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में वह ज्योति नहीं उत्पन्न हो पा रही है जिसकी राष्ट्र के विकास में अपेक्षा की जाती है। शासन की इच्छा है कि विभिन्न शैक्षिक निदेशालयों के बीच आपसी तालमेल तथा सामूहिक प्रयास से शिक्षा का गुणात्मक विकास किया जाय। यही कारण है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने विशिष्ट संस्थान मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग (राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद) तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक वाराणसी के सहयोग से इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

शिक्षण विधि की नयी विधाओं को अपनाकर छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षक सम्प्रेषणीयता का मूल माध्यम है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षक को सही भूमिका निभानी है क्योंकि एक जागता हुआ दीपक ही दूसरों को प्रकाश दे सकता है।

इस गोष्ठी के माध्यम से जो नवनीत निकलेगा वह शिक्षा विभाग के लिए उपयोगी होगा, तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में हम सफल हो सकेंगे ऐसी आशा की जाती है।

उद्‌बोधन

माननीय राकेश धर त्रिपाठी
शिक्षा राज्य मन्त्री (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश ।

इस शैक्षिक संगोष्ठी के अध्यक्ष, उपस्थित बेसिक शिक्षा के निदेशक, आदरणीय ज्ञानदत्त पाण्डेय जी, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या देवियों, सज्जनों एवं भाइयों :

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए हमें अध्ययन करते रहना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका लड़का इंजीनियर, डाक्टर एवं कलक्टर बन जाये। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ हो। हमारी नैतिकताएँ और चरित्र घटता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रशासकों एवं चिन्तकों का नैतिक दायित्व है कि शिक्षा में गुणात्मक विकास लाने का हर सम्भव प्रयास करें। कोठारी आयोग 1964-66 के पश्चात 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई है इसके निर्माण में यदि शिक्षा जगत के शिक्षाविदों, शिक्षकों और प्राचार्यों का सहयोग लिया गया होता तो यह अधिक सफल होती।

आज प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है तथा नर्सरी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है जब कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन नर्सरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन से अधिक है फिर भी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक पूरी निष्ठा से शिक्षण कार्य नहीं कर रहे है। यदि अध्यापक का चरित्र ऊँचा होगा वह निष्ठा पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करेगा तो उसका सम्मान होगा। ऐसा न होने पर शिक्षा की उन्नति सम्भव नहीं है।

हमारी शिक्षा व्यवस्था में नये परिवर्तन हो रहे हैं। ज्ञान के विस्फोट के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से नये ज्ञान का लाभ समाज को देना है जिससे समाज में वैचारिक क्रान्ति उत्पन्न की जा सकें तथा समाज के लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति की जा सके।

हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है 14 करोड़ इसकी जनसंख्या हैं। प्रशासनिक अधिकारी के लिए समस्त विद्यालयों का निरीक्षण करना कठिन होता है, इसलिए शिक्षा का विकेन्द्रीकरण करने से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए शासन को शिक्षा बजट से अधिक धन का प्रावधान करना होगा।

शिक्षा व्यवस्था इतनी दूषित हो गई है कि आज परीक्षा में अभिभावक परीक्षा केन्द्रों पर अपने पाल्यों को नकल कराने के लिए प्रयत्न करते हैं जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम परीक्षा की विश्वसनीयता और गोपनीयता बनाये रखने में समाज का सहयोग प्राप्त करें।

शिक्षा का ध्येय डिग्री प्राप्त करना न हो वरन जो शिक्षा प्रदान की जाए वह समाज और राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध हो। इसके लिए हमें शिक्षा में व्यावसायिक धारा को प्रभावी बनाना होगा।

मुझे आशा हैं कि इस गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु आपसी विचार विमर्श से कुछ सुझाव दे सकेंगे जो शिक्षा जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

———

मार्ग दर्शन

श्री अशोक बाजपेयी
माननीय शिक्षा मन्त्री
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा निदेशक श्री हरि प्रसाद पाण्डेय जी, उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, वाराणसी मण्डल, सहायक उप शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा विभाग के प्रशासक अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आए प्रधानाचार्य तथा सभी उपस्थित शिक्षा विद् ।

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सौजन्य से आयोजित इस संगोष्ठी में शिक्षा के नये आयाम एवं सम्बोध विषय पर प्रतिभाग लेने वाले शिक्षाविदों द्वारा अवश्य ही सकारात्मक विचार विमर्श किया गया होगा ।

आपके द्वारा प्रसंगागत प्रकरणों पर किए गए विचार मन्थन में अवश्य ही कोई अनुकूल निष्कर्ष निकले होंगे जिससे शिक्षा विभाग एवं शासन की नयी दिशा प्राप्त हो सकेगी । आपके सुझाव एवं संस्तुतियों में समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल नये कर्णधारों को तैयार करने में सहायता मिलेगी इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ ।

शिक्षा के गिरते हुए स्तर के प्रति हम सभी का चिन्तन होना स्वाभाविक है । प्रदेश में कुल व्यय का 24 प्रतिशत हम शिक्षा पर व्यय करने जा रहे हैं किन्तु क्या समाज की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकेंगे ? यह सोच का विषय है ।

अभिभावक 5 वर्ष की आयु में अपने पाल्य को विद्यालय को सौंप देता है और अपेक्षा करता है कि शिक्षा प्राप्त करके वह समाज के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा किन्तु विद्यालय समाज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहें हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर ह्रासोन्मुख है । इसका पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षाविदों पर है ।

आज हमारा शिक्षक-शिक्षण कार्य में रूचि नहीं ले रहा है । विद्यालयों का निरीक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है । शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से ही—

"शिक्षोन्नयन पखवारा" मनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । आशा है कि इस कार्यक्रम से शिक्षा में हो रही गिरावट के कारणों की खोज करके तात्कालिक सुधार हेतु ठोस कदम उठाये जा सकेंगे ।

इस कार्यक्रम में जिन कारणों का पता नहीं चल सकेगा उसकी जानकारी अनुसंधान के द्वारा सम्बन्धित विभाग शासन को कराएगा जिससे उनका निराकरण हो सकेगा।

ग्रामीण अंचल में बालिकाओं की शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी है अतः अष्टम पंचवर्षीय योजना में 100 बालिका विद्यालय खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है क्योंकि परिवार की एक शिक्षित नारी अपनी संन्तान की शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने में अधिक सक्षम और प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है।

वर्तमान में परीक्षाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। अनुचित साधन प्रयोग की समस्याएँ जटिल हैं। कोचिंग और व्यक्तिगत ट्यूशन की बाढ़ आ गई है। गेस पेपर और गाइड्स के आधार पर बच्चे परीक्षा देने का प्रयास करते हैं जिससे उनके ज्ञान का क्षेत्र संकुचित हो जाता है।

हमारा प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न इन बुर.इयों पर कठोरता से अंकुश लगाया जाय जिससे परीक्षा की शुचिता बनी रह सके। इस कार्य में समाज का सहयोग यदि प्राप्त हो सकेगा तो एक नई चेतना और जागृति आ सकेगी। गुरूजनों से अपेक्षा है कि वे समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण में परिवर्तन लायें।

———

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति :

1. कुछ लोगों का विचार था कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति लागू की जा सके।

2. कुछ लोगों का विचार था कि उन विशिष्ट संस्थाओं से यदि प्रतिभावान छात्रों को विकास की दिशा मिल रही है तो उसे समाप्त करना उचित न होगा।

3. शिक्षा की समानता किन-किन क्षेत्रों में लाई जाय इस संबंध में लोगों का विचार था कि प्रवेश विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली तथा शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में शिक्षा देने का निर्णय जब शासन ने ले लिया है तो उसका पालन सभी विद्यालयों में होना चाहिए।

4. जो विद्यालय खर्चीली शिक्षा व्यवस्था द्वारा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनके वास्तविक व्यय का मूल्यांकन किया जाय और उन्हें मनमानी लूट करने की छूट न दी जाये। उनकी साज-सज्जा एवं व्यवस्था के अनुसार सरकार उन्हें अतिरिक्त ग्रान्ट देकर पूरा करें। उसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर किन्तु प्रतिभावान छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाँय।

5. जिन विद्यालयों में साज-सज्जा तथा वैज्ञानिक उपकरणों का बिल्कुल अभाव है उसके लिए विद्यालयों का वर्गीकरण किया जाय और उसके अनुसार उपकरण उपलब्ध कराये जायँ तथा योजनाबद्ध ढंग से उन्हें संसाधन उपलब्ध कराये जायँ।

6. प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति के बीच जो असमानतायें हैं उन्हें समाप्त कर समान व्यवस्था लागू की जायँ।

7. सभी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रपरिप्रेक्ष्य में आचार्य राममूर्ति समिति की चिन्ताएं

1. शिक्षा के समेकित समग्र रूप में देने में शासन को ही पहल करनी होगी। औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के अनुदान पृथक माध्यमों से प्राप्त होते हैं। अतः उस पर सरकार को ही निर्णय लेना होगा।

2. शिक्षा को चहारदीवारी से निकालने की बात तब तक सही दिशा में नहीं चल सकेगी जब तक उसकी सुविचारित योजना न बनायी जाय।

3. वर्तमान शिक्षा को पुस्तकीय परिधि से निकालने का प्रयास तो अवश्य ही किया जाय पर यह ध्यान रखा जाय कि एक दोष निकालने के लिए दूसरे दोषों को आमन्त्रित न कर लिया जाय।

4. विभिन्न विद्यालयों में चल रहे कैपिटेशन फीस की समाप्ति जनहित में होगी प्रतिभावान छात्रों के प्रवेश के लिए समान अवसर सुलभ कराना आवश्यक है।

5. नवोदय विद्यालयों की संख्या भले ही सागर में एक बूंद के समान ही है, उनसे अधिक कुछ नहीं, फिर भी प्रतिभावान छात्रों को सवारने, आदर्श प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय एकता को सम्पुष्ट करने की दिशा में एक सार्थक कदम कहा जा सकता है ऐसा अधिकांश लोग अनुभव करते हैं।

6. नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को क्रमशः 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देने का प्रावधान हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि 80 प्रतिशत का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले छात्रों को ही मिले।

7. खर्चीले निजी स्कूलों को निष्काषित करने के लिए सामान्य विद्यालयों को इतना साधन सम्पन्न एवं आकर्षक बनाया जाना चाहिए जिससे उनके प्रवेश का दबाव कम हो और वे स्वयं निरुत्साहित हों।

मानवीय मूल्यों की शिक्षा :

1. मानवीय मूल्यों का ह्रास इस समय सम्पूर्ण विश्व की एक समस्या का रूप ग्रहण कर चुका है। बदलते परिवेश में मूल्यों में बदलाव आता है। अतः इसकी मात्र चिन्ता न करके शास्वत मूल्यों के सम्यक् विकास और आधुनिक मूल्यों के सम्यक् प्रसार हेतु समुचित प्रयास करना आवश्यक हैं।

2 मानवीय मूल्यों के प्रसार के लिए नैतिक शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाना उचित नहीं है। उसे उसके जीवन में सतत उतारने का प्रयास शिक्षा के विभिन्न विषयों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

3. इसमें शिक्षक के विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। वह जो कुछ उपदेश देना चाहता है उसे अपने व्यवहार का अंग बनाना चाहिए। वह मात्र उपदेशक या आह्वान-कर्त्ता ही न बने बल्कि आदर्श स्वरूप जैसा व्यवहार भी करे।

4. छात्र सभा, खेलकूद, समाज सेवा, त्योहार में से सम्बन्धित समारोहों के आयोजन आदि के अवसरों पर छात्र में करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, मातृत्व, विश्व बन्धुत्व आदि गुणों का विकास किया जाय।

5. व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के सन्दर्भ में देखने हेतु शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित किया जाय।

6. अभिभावकों की गोष्ठी करके उन्हें भी प्रेरित किया जाय कि बच्चों में सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करके उन्हें स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने का प्रयास करें।

7. सभी विषयों को यथा सम्भव मूल्य परक बनाया जाय।

जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण :

1. पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को समाविष्ट करके ही नियोजित परिवार की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

2. परिवार कल्याण के संदेश को जन संचार माध्यमों द्वारा देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाना कठिन है इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या शिक्षा के प्रति जन चेतना जागृत किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

3. पर्यावरणीय प्रदूषण से मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभावों से छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए। विद्यालय में छात्रों द्वारा इस विषय पर वाद-विवाद तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायें।

4. विद्यालय में खाली भूमि पर छात्रों द्वारा वृक्षारोपण कराया जाय तथा एक बालक एक पेड़ के नारे को साकार किया जाय।

5. वैवाहिक और भौतिक मान्यताओं के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण प्रदूषण पर कुछ सीमा तक अंकुश लगाया जा सकता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका :

1. शिक्षकों को उच्च आदर्शों के अनुरूप अपने को ढ़ालना होगा जिससे छात्र उसको स्वत: ग्रहण कर सकें।

2. विद्यालय को राजनीति से मुक्त करना होगा।

3. शिक्षकों को छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।

4. मूल्यों में गिरावट के प्रति शिक्षक अपने को उत्तरदायी समझें तथा उसकी उन्नति के प्रति सजग और सचेष्ट बनें।

5. शिक्षकों के चयन में शैक्षिक उपलब्धियों के साथ-साथ शिक्षकीय गुणों एवं अभिवृत्तियों को भी आधार बनाया जाय।

दूर शिक्षा :

1. पत्राचार द्वारा मुद्रित पाठों को स्वयंपाठी छात्रों तक पहुँचाने की डाक व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना होगा।

2. समय से पाठ्य सामग्री छात्रों तक पहुँचाने के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान क कई अन्य केन्द्र बनाने होंगे।

3. विज्ञान के पाठों को अधिक रुचिकर और प्रयोगात्मक बनाने के लिए सम्पर्क शिविरों की संख्या बढ़ाई जाय।

4. आडियो एवं वीडियो कैसेट के माध्यम से पत्राचार शिक्षा को प्रभावकारी बनायो जाय।

शैक्षिक तकनीकी

सुझाव एवं संस्तुतियाँ :

1. विद्यालयों को शैक्षिक तकनीकी के नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जाय। यदि यह सम्भव न हो तो एक विद्यालय का चयन करके उसे इन उपकरणों का केन्द्र बनाया जाय जिससे क्षेत्र के अन्य विद्यालय उसका लाभ उठा सकें।

2. इन उपकरणों के प्रयोग के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय।

3. उपकरणों की सुरक्षा हेतु उनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था विद्यालयों में की जाय।

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

5. शिक्षा प्रसार विभाग तथा शैक्षिक तकनीकी संस्थान के माध्यम से विद्यालयों में कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किया जाय।

विशेष शिक्षा :

1. शारीरिक रूप से अक्षम, अपंग, नेत्रहीन तथा गूंगे बहरे बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यकतानुसार विशेष शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाय। इसके लिए सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।

2. विशेष शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों को सुलभ कराया जाना चाहिए।

3. इन संस्थाओं के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी।

4. सामान्य शिक्षा संस्थाओं में मेधावी, मन्दबुद्धि तथा धीमीगति से सीखने वाले छात्रों के परीक्षण एवं निर्देशन परामर्श हेतु मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाय।

5. शारीरिक रूप से सक्षम (लूले-लंगड़े) बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाय तथा शिक्षकों का उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार अपेक्षित है।

6. जिन विद्यालयों में बालक/बालिकाओं की सम्मिलित शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाय।

कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादन कार्य :

1. कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को मध्यान्ह अवकाश के बाद पाँचवें घन्टे में कराया जाना उपयुक्त होगा।

2. गृह प्रणाली के माध्यम से ही कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है।

3. मूल्यांकन प्रपत्र मुद्रित कराया जाय तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा का व्यक्तिगत प्रगति विवरण कक्षाध्यापक द्वारा तैयार कराया जाय।

4. पाठ्येतर क्रिय-कलापों में छात्रों को उनकी वय के अनुसार प्रतिभाग करने का

अवसर प्रदान किया जाये। साथ ही क्रिया-कलापों के चयन में छात्रों की रूचियों को प्राथमिकता दी जाय।

5. कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के लिए कच्चे माल की व्यवस्था अभिभावकों के सहयोग से की जा सकती है। विद्यालय के विभिन्न छात्र कोषों से ऋण के रूप में प्रधानाचार्य धन की व्यवस्था कर सकते हैं तथा उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय द्वारा ऋण अदायगी की जा सकती है। लाभांश छात्रों में वितरित कर दिया जायें जिससें उन्हें प्रेरणा मिले व कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न हो।

प्रकरण—व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन :

1, जिन विद्यालयों में वर्कशेड नहीं बने हैं, उनमें वर्कशेड बनाते समय कुछ सुधार करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें ट्रेड्स के अनुसार कक्ष पृथक्-पृथक् रखे जायँ। शेड में बाहर जाली रखने की बात उपयुक्त नहीं है, उसमें सुधार अपेक्षित है।

2. कक्षा शिक्षण हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था की जाये।

3. प्रत्येक ट्रेड हेतु पृथक्-पृथक् शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अलग से लगाए गए शिक्षकों का मानदेय 50/- से बढ़ाया जाना चाहिए।

4. ट्रेडवार पाठ्यपुस्तकें सुलभ कराई जाय।

5. प्रत्येक विद्यालय जिनमें व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है उनके लिए आवर्तक अनुदान निर्धारित किया जाय।

6. व्यावसायिक शिक्षा में भाषा के लिए कम वादन दिए जायँ। अधिक से अधिक समय विविध ट्रेड की शिक्षा पर दिया जाय।

7, व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को सरकारी तथा व्यक्तिगत संस्थानों में रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाय।

8. जन चेतना का अभी विशेष अभाव है इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के मन में व्याप्त निराशा को दूर करने के लिए शासन द्वारा कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा के बाद उनके व्यवसाय हेतु अनुदान देने तथा कारखानों में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा किया जाना चाहिए।

कार्य परक बिन्दु

लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति :

1. प्रबन्ध एवं मान्यता की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में एकरूपता स्थापित की जाय, जिससे शासन द्वारा बनाए गए नियम सभी विद्यालयों को समान रूप से प्रभावित कर सकें।

2. विद्यालय खोलने के औचित्य को शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित कराया जाय तथा निर्धारित मानकों की पूर्ति होने पर ही विद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

3. शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए।

4. अंग्रेजी को कक्षा 6 से एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति दी जाय।

5. विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लागू की जाय।

6. विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

7. सभी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क समान रखा जाय तथा इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि सामान्य जनता इसका भार वहन कर सके।

8. मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली में बिना अपवाद के एकरूपता स्थापित की जाय।

प्रकरण 2—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में आचार्य राममूर्ति समिति की चिन्ताएँ :

1. मूल्य परक शिक्षा पर हस्ताक्षर पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष अधिगम प्रक्रिया को भी मूल्य परक बनाना आवश्यक है।

2. काम के अधिकार की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर सर्वाधिक बल दिया जाय।

3. सतत् व्यापक मूल्यांकन को लागू किया जाय।

4. पड़ोसी विद्यालयों की संकल्पना पर बल दिया जाए।

प्रकरण 3—मानवीय मूल्यों की शिक्षा :

1. विद्यालयों में मानवीय मूल्यों और आदर्शों की सम्प्राप्ति का लक्ष्य सर्वोपरि रखा जाय।

2, शिक्षकों में उनके दायित्व बोध के साथ कार्य के प्रति निष्ठा की वृद्धि के उपाय किये जायँ ।

3. पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरुषार्थ विषयक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाय ।

4. प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट विचारों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया जाय ।

प्रकरण 4—जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण :

1. शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागृति लाने के साधन अपनाए जायँ ।

2. जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित लघु प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें छात्रों के माध्यम से पड़ोसी गाँवों में कार्यान्वित किया जाय ।

प्रकरण 5—वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका :

1. शिक्षण कार्य में योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ लोग आयें ।

2. शिक्षक में दायित्व बोध, लगन एवं निःस्वार्थ सेवा का भाव हो ।

3. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाय और उन्हें आज के शैक्षिक परिदृश्य में शैक्षिक तकनीकी से समृद्ध किया जाय जिससे वे ऐसे शिक्षकों का निर्माण कर सकें जिन्हें अधुनातम जानकारी होगी ।

4. शिक्षण को अधिक जागरूक बनाने हेतु विद्यालयों में पत्र पत्रिकाओं का प्रबन्ध किया जाय ।

प्रकरण 6—दूर शिक्षा :

1. हाई स्कूल स्तर पर भी पत्राचार शिक्षा को लागू करने की योजना क्रियान्वित की जाय ।

2. दूर शिक्षा को मानव जाति के शैक्षणिक हित के लिए उनके उपयोग और समन्वय को दृष्टि में रखकर विकसित किया जाय ।

3. रेडियो, आडियो माध्यम सें मुद्रित पाठ्य सामग्री तैयार की जाय ।

प्रकरण 7—शैक्षिक तकनीकी :

1. शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी के उपकरणों का उपयोग आवश्यक ठहराया जाय ।

2. शिक्षकों के लिए शैक्षिक तकनीकी की विशेषज्ञता के कोर्स की व्यवस्था की जाय ।

3. शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा सेवारत प्रशिक्षण की योजना का निर्माण किया जाय ।

4. छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति सम्मान जागृत कर इसके व्यावसायिक पक्ष से अवगत कराया जाय ।

8 – विशेष शिक्षा :

1. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा प्राप्त कराने के साधन उपलब्ध कराए जायें ।

2. अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति महिला शिक्षा पर शासन द्वारा विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जायँ ।

3. सम्भव हो तो विकलांग बालकों के केन्द्रों की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाय ।

4. मन्दबुद्धि, मेधावी तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के परीक्षण और दिशा निर्देशन हेतु प्रत्येक मण्डल में मनोविज्ञान-शालाएँ स्थापित की जायँ ।

प्रकरण 9—कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य :

1. कार्यानुभव शिक्षा हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार विषयों का चयन किया जाय ।

2. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था की जाय । संस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं का विपणन से होने वाली आय का लाभ छात्रों को दिया जाय ।

3. इस क्षेत्र में सतत व्यापक मूल्यांकन की विधा अपनायी जाय ।

4. इस कार्य हेतु शासन द्वारा शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जायँ ।

10—व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन :

1. व्यावसायिक शिक्षा सुचारू ढंग से चलाने हेतु विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ।

2. व्यावसायिक शिक्षा में ट्रेड का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं तथा सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाय ।

3. व्यावसायिक शिक्षा धारा से निकलने वाले छात्रों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराये जायें ।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाय ।

5. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता तथा मान्यता अन्य उद्योग संस्थानों द्वारा दिलायी जाय ।

6. अध्यापकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हेतु सेवापूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अधुनातम बनाया जाय ।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी
वाराणसी—मण्डल

अवधि—28, 29, एवं 30 जनवरी 1991

विषय—शिक्षा के नये आयाम और सम्बोध

स्थान—विभूति नारायण राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी।

आवश्यकता :

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ज्ञान के विस्फोट ने जहाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याओं को जन्म दिया है, वहीं शासन द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए भी सतत प्रयास किये गये हैं। शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ शिक्षा जगत में अनेक नये आयाम एवं शैक्षिक सम्बोध उभरकर सामने आये हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के नये आयाम एवं सम्बोध शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन में कितने प्रभावकारी सिद्ध हो रहे हैं, यह विचारणीय हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए नये आयामों एवं सम्बोधों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने से ही समाज को उसका पूरा लाभ मिल सकेगा। इसलिए गोष्ठी के माध्यम से उन पर विचार-विमर्श, चर्चा, परिचर्चा करना आवश्यक हो गया है। इस गोष्ठी में जिन प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया जायगा, उससे नये आयामों के कार्यान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी एवं शिक्षा का गुणात्मक विकास सम्भव हो सकेगा तथा समुदाय में नये आयामों के प्रति चेतना जागृति होगी। गोष्ठी में शिक्षा के जिन नये आयामों को समाविष्ट किया गया है, उनको प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभाजित कर लिया गया है।

1. व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरण :

1. लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति (सार्वजनिक स्कूल प्रणाली)
2. विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सन्दर्भ में आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति (1990) की चिन्ताएँ।

2. विषय वस्तु प्रधान प्रकरण :

1. मानवीय मूल्यों की शिक्षा ।
2. जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण ।
3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की भूमिका ?

3. शिक्षण विधा सम्बन्धी प्रकरण :

1. दूर शिक्षा
2. शैक्षिक तकनीकी
3. विशेष शिक्षा
4. कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य क्यों ? कैसे ?
5. व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन

लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति

(सार्वजनिक स्कूल प्रणाली)

संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप विकास करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अतः प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्षमता के अनुसार समान रूप से अवसर और सुविधायें उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। संविधान में निहित समता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति के निर्माण की दिशा में ठोस और व्यावहारिक उपाय करने की आवश्यकता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट में लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति पर बल देते हुए कहा गया है—

"देश की मुख्य समस्या यह है कि लोक शिक्षा की एक ऐसी समान स्कूल पद्धति का विकास किया जाय जो देश के सभी भागों के लिए हो, जिसमें स्कूल शिक्षा की सभी अवस्थाएँ सम्मिलित हों और जो सभी बालकों को समान रूप से लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर हों।" सम्प्रति देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की सुदृढ़ करने, राष्ट्र उद्देश्यपरक और प्रभावी शिक्षा देने के लिए चिन्तनशील है। हममें संवैधानिक संकल्पों की दिशा में कुछ कर दिखाने की ललक है। अतः शिक्षा के विभिन्न आयाम, सम्बोध एवं योजनाएँ चर्चा के विषय बने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत देश में समान शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण देश के लिए एक समान पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, जिसके पाठ्यक्रम में 70 प्रतिशत राष्ट्रीय आलोक में एवं 30 प्रतिशत क्षेत्रीय आलोक में विषयवस्तु रखे जाने का प्रावधान है। पूरे देश में शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा 5+2 स्तर की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सामान स्तर का निर्धारण किया जा चुका है। समान शिक्षा नीति के अन्तर्गत दोहरी शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति पर हम चिन्तनशील हैं। विचारणीय है कि विद्यालयों को स्वेच्छन्द इकाई बनाने, पूर्ण स्वायत्तता देने, शिक्षा की रीढ़ अध्यापक को उसके कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी बनाते हुए कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता देने, क्षेत्रीय अनुकूल आवश्यकतानुसार योजना बनाने की क्षमता और दक्षता विकसित करने की दिशा में हम कहाँ तक अग्रसर हो सके हैं।

क्षेत्रीय समस्याओं और सीमित संसाधनों की स्थिति में प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था

के अन्तर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं वित्तीय नियोजन में सामाजिक सहभागिता को प्रमुख घटक माना जा रहा है। शिक्षा का विकेन्द्रीकरण हमारा लक्ष्य बन चुका हैं। फलस्वरूप विद्यालय शिक्षक, अभिभावक संघ, ग्राम शिक्षा समितियों से जिला स्तर की समितियों का गठन किया जा चुका है। विद्यार्थी विकास परिषद भी इसी दिशा में बढ़ते चरणों में से एक है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम विचार करें कि उनका महत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाय। उसके कार्यान्वयन की दिशा के निर्धारण, उसके दूरगामी परिणामों एवं चुनौतियों के प्रति हमारी चिन्ता आज भी बनी हुई है।

विचारणीय विन्दु :

1. कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा संकल्पित लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति की संकल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सार्थक और उपयोगी है। इसको कैसे साकार किया जा सकेगा।

2. भारत में इस क्षेत्र की उपलब्धियों का आत्म-लोचन कर सुधार हेतु अपेक्षित सुझाव क्या हो सकते हैं ?

3. लोक शिक्षा के समान स्कूल पद्धति लागू करने की हमारी क्या योजनाएँ हैं।

4. इस पद्धति की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए वांछित परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दे सकेंगे।

5. समान स्कूल पद्धति की नीति अपनाने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों/समस्याओं को उजागर कर इसके कार्यान्वयन हेतु सुझाव दे सकेंगे।

6. सम्प्रति स्कूलों के संचालन में विभिन्न प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्थाएँ चल रही हैं। प्रबन्धकीय व्यवस्था में समान स्कूल पद्धतियों को किस प्रकार उजागर बनाया जा सकता है।

7. भौतिक मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में असन्तुलन एवं अपर्याप्तता का अनुभव किया जा रहा है, इस असन्तुलन को किस प्रकार कम कर इनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

8. प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति की विषमताएँ निश्चय ही समान स्कूल पद्धति के क्षेत्र में बाधक हैं। इसे किस प्रकार कम करके समान स्कूल पद्धति वातावरण का सृजन किया जा सकता है।

9. यह कैसे सम्भव हो सकता है कि समान शिक्षण व्यवस्था के प्रति शिक्षक, अभिभावक, शैक्षिक सहयोगी और समुदाय समान रूप से प्रयत्नशील हों।

विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध

शैक्षिक व्यवस्था का नियोजन एवं संचालन केन्द्रीय स्तर पर बनी योजनाओं एवं दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप था, जिससे वास्तविक धरातल की अनुभूत कठिनाइयों एवं समस्याओं का निराकरण वास्तविक रूप में नहीं हो पाता था। आवश्यकता इस बात की अनुभव की गई कि कार्यस्थल की अनुभूत कठिनाइयों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक योजनाओं एवं प्रबन्ध की व्यवस्था सुनिश्चित करने से ही अपेक्षित उपलब्धि मिल सकेगी।

इस विचार ने विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध को जन्म दिया। तदनुरूप शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था की छठी पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रित स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। विकेन्द्रित नियोजन एवं स्थानीय ऑचलिक नियोजन के साथ-साथ शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षक समुदाय को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। विद्यालय पाठ्यचर्या, आन्तरिक प्रबन्ध एवं शैक्षिक गुणवत्ता प्राप्त करने में विद्यालय शिक्षक समुदाय के साथ-साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रति हम प्रयत्नशील हैं। ऑचलिक स्वायत्तता के साथ-साथ अध्यापक को कार्य की स्वायत्तता भी हमारे विकेन्द्रित प्रबन्ध का अंग बनती जा रही है। आन्तरिक प्रबन्धकीय दबाव की प्रक्रिया को बल मिल रहा है और वाह्य दबाव हल्का होने की ओर प्रवृत्ति है। विद्यालय संकुल, विद्यार्थी विकास समितियों तथा विकास खण्ड स्तरीय शिक्षा समितियाँ इस दिशा में जागरूक हो रही हैं। युग की माँग है कि इस व्यवस्था को कारगार बनाया जाय।

विचारणीय विन्दु :

1. उत्तर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए शिक्षा बोर्डों की स्थापना करना कहाँ तक समीचीन होगा।

2. स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सम्बन्धित समुदाय के प्रतिभाग को सुनिश्चित करने से

शैक्षिक उन्नयन की सम्भावना किस सीमा तक बढ़ेगी।

3. विद्यालयीय व्यवस्था में शिक्षकों की सार्थक भूमिका किस सीमा तक होनी चाहिए तथा उसके निर्वहन हेतु क्या किया जाना चाहिए ?

4. विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध में शैक्षिक प्रशासकों की किस सीमा तक भागीदारी होनी चाहिए ?

5. विद्यार्थी विकास समितियों एवं खण्ड विकास समितियों की शैक्षिक व्यवस्था में क्या भूमिका निर्धारित की जा सकती है ?

6. शैक्षिक प्रबन्ध में विद्यालय संकुल किस सीमा तक सहायक हो सकते हैं।

———

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सन्दर्भ में आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 की चिन्ताएँ

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर नये सिरे से विचार करने के लिए 7 मई 1990 को एक समीक्षा समिति का गठन आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में किया था, जिसकी आख्या चर्चा-परिचर्चा के लिए प्रकाशित की गयी है, जो हमारी चर्चा का विषय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रस्तावना में लिखा है कि इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, जब युगों से चली आ रही परिपाटी को नयी दिशा देनी पड़ती हैं। इसलिए आवश्यकता है, शिक्षा की ऐसी रणनीति तैयार करने की, जिससे 21वीं शताब्दी की विविध चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का गहराई से चिन्तन करने पर समिति ने निम्न-लिखित तीन बुनियादी चिन्ताओं की ओर शिक्षकों, प्रशासकों, छात्रों एवं अभिभावक का ध्यान आकृष्ट किया है।

1. काम का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का है किन्तु हमारी वर्तमान शिक्षा स्कूल या कालेज की चहारदीवारी के भीतर बन्द है, पुस्तकों एवं परीक्षाओं से बँधी है। यह शिक्षा हमारे छात्र, छात्राओं में उत्पादन कौशल नहीं उत्पन्न कर पा रही है। इस शिक्षा ने उन्हें प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से अलग कर दिया है। आज का शिक्षित नवयुवक अपने ही समाज में पराया हो गया है। उसने जीवन में आस्था ही खो दी है। इसलिए शिक्षा के ऐसे स्वरूप का निर्माण किया जाय जो शिक्षित नवयुवक में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भर सके।

2. राष्ट्र की एकता, अखण्डता जो गम्भीर खतरे में है उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है कि अभिजात्य विकृति शिक्षा परिवेश में भी परिवर्तन लाया जाय, क्योंकि इससे शैक्षिक संस्थाएँ जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना चाहिए, जिससे देश की एकता और अखण्डता अक्षुण बनी रहे।

3. भारत के लोगों में मानव मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य बदल चुके हैं। आज हम जीवन के लिए शिक्षा चाहते हैं वह तभी

सम्भव है जब शिक्षा सही अर्थ में पूर्णरूप से जन आन्दोलन बन जाय। शिक्षा का संचालन सूत्र स्थानीय समुदाय के हाथों में होने से ही शिक्षा जीवन के लिए अभ्यास और अनुशासन बन सकेगी तथा जीवन और श्रम से जुड़ी हुई शिक्षा काम के अधिकार को वास्तविक और सार्थक बनायेगी।

1. लोगों को काम के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से शिक्षा के स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी व उत्पादक कार्य को सीखने उनमें सूझ-बूझ और समस्या निदान का कौशल विकसित कर उनमें सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन व्यावसायिक सुझाव दिये जा सकते हैं।

2. काम के अधिकार को सुनिश्चित करने में शिक्षा किस प्रकार की भूमिका निभा सकती है।

3. कहा जा रहा है कि छात्र बस्तों के भार से बोझिल रहते हैं। शिशुओं के इस भार को कम कर किस प्रकार उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता हैं।

4. समिति की चर्चा-परिचर्चा के लिए प्रकाशित परिपत्र में कहा गया है कि शिक्षा चहारदीवारी के अन्दर बन्द है। शिक्षा को इस स्थिति से उबारने के लिए क्या किया जाना समीचीन होगा।

5. कहा गया है कि पाठ्यक्रम, विषय वस्तु प्रक्रिया, मूल्यांकन, निगरानी, शिक्षक प्रशिक्षण तथा समाज के विभिन्न तबकों तक शिक्षा पहुँचाने के जैसे विभिन्न पहलू खुद शिक्षक समुदाय की जिम्मेदारी होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं।

मानवीय मूल्यों की शिक्षा

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जहाँ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, वहीं उनमें मानवीय मूल्यों का सृजन करना भी आवश्यक है। वर्तमान में मूलभूत नैतिक मूल्यों में व्यापक गिरावट देखी जा रही है। शिक्षण संस्थाओं की इस गिरावट में सुधार लाने की प्रमुख जिम्मेदारी है, जिससे वे मूल्यों की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभा सकें। यह कार्य कक्षाओं में व्याख्यान देने की अथवा पाठ्य-पुस्तकों द्वारा नहीं पूरा किया जा सकता। मूल्यों की शिक्षा को पूरी शिक्षण प्रक्रिया एवं विद्यालयों परिवेश के अंग के रूप में विकसित करना होगा।

हम जब नैतिकता के विषय पर विचार-विमर्श करते हैं तो हमारा अवधान चरित्र या आचरण से ही जुड़ जाता है। एक प्रकार से नैतिकता सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में मानी जाती है। नैतिकता का सुन्दर रूप हमारे सामने तभी निखर कर आता है जब कि हम ऐसा व्यवहार करें जो स्वस्थ दायरे में कुछ नैतिक आदर्शों को आप में सजोये हों। नैतिकता किसी भय से जुड़ी नहीं होती वरन स्वेच्छा से हमारे सन्तुलित आचरण का आधार होती है। नैतिकता व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है। नैतिक शिक्षा प्रदान करने का काम किसी एक शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए वरन सभी शिक्षकों को समान रूप से इस उत्तरदायित्व को वहन करना चाहिए।

शिक्षकों की यह निश्चित कर लेना चाहिए कि विशेष विषय पढ़ाते हुए छात्रों के सम्पर्क में आते समय ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे आधारभूत गुणों का विकास करें। नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठा हेतु साहसी क्रियाओं के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि इन मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना अभीष्ट हो तो नैतिक जीवन को सब ओर से सँवारने का प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के लिए मात्र कोरे आदर्श या उपदेश कारगर नहीं हो सकते इसके लिए वातावरण का निर्माण करना होगा। टूटते हुए सामाजिक बन्धन और बढ़ते हुए दुराचार को रोकने के लिए तथा मानवता के विकास के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है।

चरित्रवान व्यक्ति ही समाज को नयी दिशा दे सकता है। आधुनिक समाज भौतिकता के घुटन में दम तोड़ रहा है। पश्चिमी संस्कृति का ऊपरी आकर्षण मृग-तृष्णा सा हमें

लुभा रहा है, फुटपाथ पर बिकने वाला सस्ता साहित्य सामाजिक दुराचार और अनैतिकता के वातावरण को प्रश्रय दे रहा है। आज आवश्यकता है सदाचार की नींव दृढ़ करने की एवं छात्रों को दिशा निर्देश देने की। यह अभिभावकों और अध्यापकों के सहयोग से सम्भव हो सकता है। अभिभावकों को अपने दायित्वों के प्रति सचेष्ट करना है, उन्हें बचपन से ही बालक के अन्दर नैतिकता के बीज अंकुरित करना है। शिक्षक विद्यालयों में नैतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। शिक्षक अपने व्यक्तिगत आचरण से छात्रों को प्रभावित कर सकता हैं। आवश्यकता हैं शिक्षा के अंग प्रत्यंग में नैतिक विकास की सम्भावनाओं की खोज करने की।

नैतिकता का धर्म है मनुष्य व्यवहार को समाज सम्मत स्वरूप प्रदान करना एवं विकास के अवसर देना। समाज तथा व्यक्ति एक दूसरे के पर्याय बनें तभी नैतिक व्यवहार की उपादेयता सिद्ध होगी। पुस्तकों से नैतिकता नहीं पढ़ाई जा सकती। शिक्षक अपने आदर्श स्वभाव तथा व्यवहार से बालकों में नैतिक मूल्यों का सृजन कर सकता है। दोहरे मूल्यों का नैतिकता में कोई स्थान नहीं है।

शिक्षा आयोग 1964-66 ने देश में गिरते नैतिक मूल्यों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया है और यह भी आशा प्रकट की है कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में मूल्य बोध का समावेश हो। छात्र-सभा, पाठ्यक्रम, पाठेत्तरक्रियाएँ, खेल-कूद, धार्मिक त्योहार, समाज सेवा आदि के माध्यम से नैतिक शिक्षा को वांछित दिशा दी जा सकती है। अतः नैतिक शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके रचनात्मक पहलू पर विचार करना होगा। शैक्षिक स्तर में मूल्यों की गिरावट को रोकने में तत्पर होना पड़ेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आदर्श मानदण्ड प्रस्तुत करना होगा। बदलते हुए परिवेश में अभिभावक, शिक्षक तथा समाज के अन्य लोग बच्चों में नैतिक विकास किस रूप में कर पायेंगे, इसके लिए चिन्तन करना होगा।

विचारणीय विन्दु :

1. शिक्षा में हो रहे गुणात्मक ह्रास पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा द्वारा अंकुश किस प्रकार लगाया जा सकता है।

2. नैतिक मूल्यों की शिक्षा को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करके हम किस प्रकार व्यावहारिक रूप दे सकेंगे।

3. विद्यालयों में ऐसे कौन से कार्यक्रमों को संचालित कर हम छात्रों के चारित्रिक निर्माण में शिक्षक की भूमिका निभा सकेंगे।

4. मानवतावादी नैतिकता छात्रों में कैसे उत्पन्न की जाय। क्या हमें इसके लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम बनाना होगा।

5. अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन के माध्यम से हम इस क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावकारी कदम उठा सकेंगे।

6. शिक्षक नैतिक शिक्षा द्वारा छात्रों में (कान्शेन्स अर्न्तविवेक या सद्विवेक) किस प्रकार विकसित करते में सफल हो सकते हैं।

7. ऐसा कहा जा रहा है कि आज उत्तरार्ध के उस विन्दु पर पहुँचे हैं जहाँ से यदि समाज नैतिक जीवन नहीं प्रारम्भ करता तो गिर जायेगा। इसके लिए शिक्षक समुदाय समाज को किस प्रकार त्राण दिला सकता है।

जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण

शैक्षिक समस्याओं के मूल में जनसंख्या विस्फोट एक प्रमुख बिन्दु है। जनसंख्या वृद्धि ने हमारे शैक्षिक विकास की गति को अवरुद्ध किया है। शासन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सतत सचेष्ट एवं क्रियाशील है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है, विचारणीय है कि माध्यमिक स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को किस रूप में समाहित किया जाय ?

पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से अनेक प्रकार के प्रदूषण की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। प्रदूषण से जनसाधारण का स्वस्थ्य प्रवाहित होता है, जिससे अन्ततः राष्ट्रीय विकास की गति अवरुद्ध होगी। अतः शिक्षा के द्वारा भावी पीढ़ी को इसके महत्व के बारे में बताना भी अनिवार्य है। विचार करना है कि छात्र-छात्राओं को पर्यावरण की शिक्षा को किस रूप में दिया जाना उपयोगी होगा।

हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि प्रतिवर्ष तेजी से हो रही है। प्राचीन धारणा के अनुसार अधिक जनसंख्या अधिक उत्पादन का प्रतीक है किन्तु वर्तमान में यह धारणा हमारे देश में लागू नहीं होती। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा के लिए स्कूल तथा पढ़ने के बाद नौकरी की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात अन्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में आज भी आवश्यकतानुसार शिक्षण संस्थाओं का अभाव है। देश के एक तिहाई नागरिकों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इन्हीं कारणों से यह माना जा रहा है कि जनसंख्या की रोकथाम एक आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता है।

देश की जनसंख्या की समस्या तभी सुलझेगी जब देशवासियों की भावनाओं तथा उनके रूढ़िवादी विचारों को परिवर्तित किया जाय। इसके लिए जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा देना अति आवश्यक है। अभी तक हमारे विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है इसलिए छात्रों को जनसंख्या के महत्व का ज्ञान नहीं है। शिक्षण-काल में छात्रों को जब इसका ज्ञान मिल जायेगा तब उनका मानसिक विकास होगा, वे इस शिक्षा के महत्व को समझेंगे।

अतः जनसंख्या शिक्षा का स्कूल और कालेजों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना तथा उचित पुस्तकों का निर्माण करना आवश्यक है। इन पुस्तकों में जनसंख्या की वर्तमान स्थिति, वृद्धि के कारण, जनसंख्या का आर्थिक विकास से सम्बन्ध, जनसंख्या रोकने के उपाय, जनसंख्या शिक्षा प्रसार में अध्यापकों का योगदान आदि विषयों का समावेश होना अत्यन्त आवश्यक है।

इस संगोष्ठी के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम की कोई रूपरेखा निश्चित हो सकेगी जिससे सामाजिक जागरूकता लाना सम्भव होगा।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को विद्यालय के माध्यम से आगे बढ़ा कर हम राष्ट्रहित में अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

पर्यावरण शिक्षा :

पर्यावरण का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रही है। अतः पर्यावर्णीय प्रदूषण रोकने का मुख्य उपाय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है।

विचारणीय विन्दु :

1. जनसंख्या वृद्धि की जटिल समस्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है ?

2. जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील हो सकेंगे ?

3. भावी पीढ़ी को इसका बोध कराने के लिए अध्यापक एवं शैक्षिक आयोजकों की क्या भूमिका निर्धारित की जानी चाहिए ?

4. सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छात्रों के सहयोग से चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को किस प्रकार चलाया जा सकता है ?

5. जनसंख्या एवं पर्यावरण प्रदूषण से हो रहे कुप्रभावों पर छात्रों को बोध कराने हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाये जा सकते हैं ?

6. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए शिक्षा के माध्यम से कौन-कौन उपाय किये जा सकते हैं ?

7. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय से सम्बन्धित समुदाय सम्मिलित रूप से किस प्रकार की योजनाएँ संचालित कर सकता है ?

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका

शिक्षक राष्ट्र का सर्वप्रथम सजग प्रहरी है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप उसकी भूमिका सदैव परिवर्तित होती रही है। आज उसकी भूमिका पहले से भिन्न हो गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक अपनी भूमिका के बारे में जाने जिससे सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।

शिक्षक का कार्य पवित्र एवं पावन कार्य होता है। किसी समाज में अध्यापक के स्तर से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। शिक्षकों को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे प्रयोग कर सकें और उपयुक्त विधियों द्वारा समुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु नये उपाय निकाल सकें।

शैक्षिक कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। राममूर्ति आयोग ने अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है—

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षातंत्र कारगर हो और "शिक्षक पढ़ाये व विद्यार्थी पढ़े" इस नीति में कुछ रणनीतियों की कल्पना की गई है।

2. शिक्षकों के प्रति बेहतर रुख अपनाया जाय जिसके साथ उनकी जवाब देही भी बढ़े विद्यार्थी सेवाओं की बेहतर व्यवस्था हो, संस्थाओं को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार हो और उनके काम के आंकलन हेतु एक प्रणाली बनाई जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी शिक्षकों और उनकी भूमिका को शिक्षातन्त्र का मूलभूत एवं अति महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।

इस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन तभी कर सकता है जब शिक्षकों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की छूट हो। शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएँ निभानी होगी यथा शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा संस्था के प्रबन्ध में हाथ बटाना। अतः शिक्षा न अब कक्षा भवन के सीमित घेरे में समायेगी और न छात्र मात्र शिक्षक की ऊँगली पकड़कर चलने पर ही निर्भर रहेगा। परिस्थितियों की परिणामिक समस्याओं का साक्षात्कार करते हुए स्वानुभूति से इस प्रकार निरन्तर सीखते रहने की कला विकसित करनी होगी कि ज्ञान बलात आरोपित प्रक्रिया न होकर व्यक्तित्व का सहज बोध

हो। पौधा जिस प्रकार स्वयं अंकुरित और पुष्पित होता है उसी प्रकार छात्र का विकास भी स्वस्फूर्त होगा। शिक्षक मात्र मार्ग-दर्शक है की अवधारणा कार्यरूप में परिणित होगी।

समाज को भी आज शिक्षक से नई अपेक्षाएँ हैं। समाज तथा युग के अनुसार परिवर्तन करने के लिए दिशा देने का कार्य भी शिक्षक का ही है। आज विद्यालय को विषय में प्रवीणता के समान ही छात्रों में सामाजिक कौशल भी विकसित करने की आवश्यकता है और भावी पीढ़ी में नये सामाजिक कौशल का विकास करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए।

विचारणीय विन्दु :

1. प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षक अपनी भूमिका निवाहन करने में कहाँ तक समर्थ हो रहा है।

2. प्राचीन युग के शिक्षकों की भाँति शिक्षकों को अपने दायित्व के निवाहन में किन कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है।

3. कुछ लोगों का विचार है कि राजनीति को विद्यालय के वातावरण से मुक्त रखकर ही शिक्षा में अपेक्षित प्रगति की जा सकती है, यह किस सीमा तक उपयुक्त एवं सम्भव होगा।

4. यह कहा जाता है कि अशासकीय विद्यालयों में प्रबन्धकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का दोहरा शासन शिक्षक दायित्व के निर्वाह में बाधक हो रहा है इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

5. शिक्षक के कर्तव्यों का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना कहाँ तक उपयुक्त होगा।

6. विद्यालयीय प्रबन्ध एवं पाठ्यचर्या निर्धारण में शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है ?

7. प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में स्थानीय आँचलिक नियोजन में शिक्षक अपनी भूमिका किस सीमा तक निभा सकता है और किस सीमा तक अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

8. शैक्षिक प्रबन्धक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। किस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक अपेक्षित दिशा दे सकता है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित "छात्र पढ़ें और शिक्षक पढ़ायें" कि कल्पना साकार हो सके ?

दूर शिक्षा

छात्र संख्या में हुई वृद्धि तथा अनौपचारिक शिक्षा माध्यमों की न्यूनता के कारण दूर शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया है। आवश्यकता है जन-समूह को "दूर शिक्षा" की संकल्पनाओं से परिचित कराने की, जिससे इन योजनाओं से छात्र लाभान्वित हो सकें।

समाज इस प्रणाली से अभी पूरी तरह परिचित नहीं हैं। वह पत्राचार शिक्षण प्रणाली को परम्परागत शिक्षा पद्धति से परे द्वितीय स्तर की शिक्षण विधि समझ रहा है, किन्तु इसका दर्शन गहन है। इसकी दार्शनिक अवधारणाओं एवं शैक्षिक मान्यताओं पर विचार करें तो हो सकता है, भ्रम का समाधान हो सके।

संचार तथा सम्पर्क के संसाधनों पर पूर्णतः आधारित यह शिक्षा पद्धति अपने आप में एक भिन्न प्रणाली है। इसका मानव जाति के शैक्षणिक हित के लिए, उनके उपयोग और समन्वय को दृष्टि में रखकर विकसित किया गया है। समाज में व्याप्त शैक्षणिक विषमता को दूर करने तथा मानव समुदाय में शैक्षिक समता तथा न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा से प्राप्त होने वाली आजीविका या अन्य सुविधाओं पर समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार एवं अवसर मिल सके।

दूर शिक्षा प्रणाली शिक्षा दर्शन का बुनियादी आधार है। इसके लिए एक सस्ती सर्व सुलभ एवं प्रभावी तथा परम्परागत शिक्षण पद्धति से भिन्न नवीन शिक्षा पद्धति की तलाश की आवश्यकता समाज को हुयी और इस प्रकार दूर शिक्षा पद्धति को पारम्परिक शिक्षण पद्धति के एक विकल्प के रूप में विकसित किया गया। दूर शिक्षा के पाठ्यक्रम का शिक्षण स्वयंपाठी एवं ज्ञानार्जन की पद्धति पर आधारित है और इसमें शिक्षार्थी के मानसिक कलेवर की तीक्ष्ण तथा उसमें ज्ञानार्जन की पिपासा को जागृत करने की चेष्टा की जाती है। अतः इस शिक्षा का प्रारम्भ ही स्वावलम्बन, आत्मानुशासन, अपनी समझ और क्षमता की पहचान तथा स्वयं निर्णय लेने से प्रारम्भ होती है। उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने व्यक्तित्व के अनुकूल विषयों का चयन कर स्वयंपाठी होकर अपने व्यक्तित्व का विकास स्वअर्जित ज्ञानार्जन के साथ-साथ करें।

साक्षात्कार पद्धति का आलम्बन, सम्पर्क शिक्षण तथा सतत अध्ययन योजना उसकी ज्ञानार्जन की पिपासा की वृद्धि के लिए ही की जाती है। दूर शिक्षा के सन्दर्भ में उसका वैज्ञानिक विकास भी उपयोगी पक्ष है।

मानवीय प्रगति के साथ-साथ डाक व्यवस्था से प्रारम्भ होकर इलेक्ट्रानिक तथा सुपर कम्प्यूटर प्रणालियों के द्वारा मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो दूरी कम हुई है, उसका सीधा तथा सही उपयोग दूर शिक्षा द्वारा किया जा रहा है। अध्यापक का अर्थ आज मानव की प्रतिपूर्ति की संज्ञा न होकर उसका वह ज्ञान संचय है जो लिखित पाठों, आडियो, वीडियो, टेपों, रेडियों प्रसारणों एवं दूर दर्शन के टेलीकास्ट आदि द्वारा छात्र तक पहुँचता है।

भारत जैसे देश में इस शिक्षा प्रणाली द्वारा ही स्वस्थ चेतना का उदय हो सकता है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी दृष्टियों से इस शिक्षा प्रणाली का एक शैक्षणिक दृष्टि-कोण है, जो परम्परागत शिक्षा पद्धति से भिन्न विकसित समाज रचना की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

यदि रेडियों, आडियो माध्यम से मुद्रित पाठ्य सामग्री तैयार की जाय तो कार्यक्रम अधिक उपयोगी होगा।

विचारणीय विन्दु :

1. वर्तमान दूर शिक्षा की प्रचलित विधाओं का लाभ समाज को किस सीमा तक मिल रहा है।

2. क्या आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों का लाभ शिक्षार्थियों को मिल पाता है ? यदि नहीं तो उन उपायों पर विचार करना होगा जिससे छात्रों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

3. प्रदेश में इण्टरमीडिएट स्तर पर चलाई जा रही पत्राचार शिक्षा व्यवस्था की उपयोगिता पर विचार करते हुए हाई स्कूल स्तर के बालकों के लिए भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था कहाँ तक समीचीन होगी।

4. पत्राचार शिक्षा व्यवस्था द्वारा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश के दबाव को किस सीमा तक कम किया जा सका है।

5. रेडियो पर कब और किस तरह के पाठ सुनाये जायें। समय निर्धारण की व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाय।

6. आडियो कैसेट की संक्षिप्त विषय वस्तु का परिचय पाठ विशेष के साथ ही भेज देना कहाँ तक उचित होगा।

7. आडियो कैसेट की सामग्री मुद्रित पाठ को अधिक रोचक एवं सरल किस सीमा तक बना सकेगी।

8. पत्राचार के पाठों का पठन दूरदर्शन, रेडियो एवं आडियो कैसेट के माध्यम से विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निवारण कहाँ तक हो पा रहा है? इसके लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं?

शैक्षिक तकनीकी

नवीन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक रोचक व बोधगम्य बनाया जा सकता है। अत: शैक्षिक तकनीकी से सम्बन्धित हार्ड वेयर, साफ्ट वेयर तथा प्रणाली विश्लेषण उपागम का सम्यक ज्ञान शिक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं शिक्षकों को होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक, विद्यार्थी, प्रशासक शैक्षिक तकनीकी को विभिन्न रूपों में समझते हैं। किम गोम लोथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक अधिगम तथा प्रशिक्षण की प्रभावकारिता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग को कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अभाव में शैक्षिक तकनीकी प्रयोगाश्रित विधियों का उपयोग शैक्षिक अधिगम एवं प्रशिक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने में की जाती है। अतः यह माना जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक अधिगम एवं शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है।

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार शैक्षिक तकनीकी वह वस्तुविद है जो शैक्षिक अधिगम का निर्माण करता है।

शैक्षिक तकनीकी का नवीनतम स्वरूप विकास के रूप में परिभाषित है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रयोग एवं मूल्यांकन का एक निकाय है। जो शिक्षण विधियों में शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी माना जा सकता है कि उन सभी विधियों, साधनों, सम्मिलित प्रयोगों, जिससे पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, शैक्षिक तकनीकी कहलाती है।

शैक्षिक तकनीकी शब्द का विश्लेषण करने से दो विभिन्न रूप सामने आते हैं, शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी।

शिक्षा में तकनीकी :

शैक्षिक तकनीकी का यह एक प्रारम्भिक रूप है इसमें विज्ञान एवं तकनीकी के फलस्वरूप जो शिक्षण सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं उनका शिक्षण को सरल, रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे--स्लाइड, प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, एपिडायस्कोप, टेप रिकार्डर, रेडियो, टेलीविजन आदि। इसके फलस्वरूप प्रदेश में शिक्षा प्रसार विभाग के

अन्तर्गत चल-चित्र विभाग में राज्य श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण विभाग की स्थापना हुई और आकाशवाणी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी प्रारम्भ किया गया, इस दिशा में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भी कार्यरत है ।

शिक्षा की तकनीकी :

इसके अन्तर्गत उपकरणों के प्रयोग मात्र से हटकर सीखने की विधि पर विचार केन्द्रित होता है । अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक सम्प्रेषण माध्यम का एक गत्यात्मक निकाय है, उसके गति की दिशा छात्र, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकतायें निर्धारित करती हैं ।

अस्तु शैक्षिक तकनीकी मानवीय एवं तकनीकी सभी प्रकार के साधनों के समुचित उपयोग को कहते हैं अर्थात शैक्षिक अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति जिसके द्वारा सुनिश्चित की जा सके वही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है ।

कौन-कौन शैक्षिक सामग्री किन-किन शैक्षिक माध्यमों द्वारा सम्प्रेक्षित की जाय तो उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सकेगी इस पर विचार करना संगोष्ठी के माध्यम से सरल हो सकेगा ।

इस सम्प्रेक्षण कार्य में खिलौनों, उपकरणों की कीट, शैक्षिक फिल्म, शैक्षिक अधिगम, रेडियो, टेलीविजन आदि का शिक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा ।

शिक्षा की तकनीकी में शिक्षकों को नवीन भूमिका प्रस्तुत करनी है । उसे ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होगा और शिक्षण पद्धति में तकनीकी प्रयोगों से परिवर्तन लाना होगा । जो अध्यापक नवीन शैक्षिक तकनीकी से अवगत नहीं है, उन्हें प्रशिक्षित करने के दायित्व का वहन प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो सकेगा, ऐसी योजना बनाने हेतु प्रयत्नशील होना चाहिए । शैक्षिक तकनीकी में जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हार्ड-वेयर और साफ्टवेयर के अन्तर्गत विभाजित किया गया है । हार्डवेयर के अन्तर्गत शैक्षिक फिल्म, टेलीविजन, टेप रिकार्ड तथा प्ले बैक उपकरण आदि है तथा साफ्टवेयर के अन्तर्गत कार्य नियोजन या प्रोग्रामिंग आते हैं । इनके बारे में सम्पूर्ण जानकारी करनी होगी, इसी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन किया जा सकता है ।

विचारणीय विन्दु :

1. छात्रों में पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करने में शैक्षिक तकनीकी कहाँ तक सार्थक भूमिका निभा रही है ।

2. शिक्षण अधिगम के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने के लिए नवीन वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है। उसे और उपादेय बनाने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं।

3. शैक्षिक अभिकर्ता शैक्षिक तकनोकी की विभिन्न उपागमों की प्रायोगिक कार्य विधि से किस सीमा तक अवगत है इसकी जानकारी हेतु कौन योजना कार्यान्वित की जा सकती है।

4. शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान एवं श्रव्य दृश्य शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

5. शिक्षा में गुणात्मक सुधार की ओर अग्रसर होने तथा शैक्षिक सुधार लाने की दिशा में शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के बारे में आपके सुझाव क्या हो सकते हैं ?

———— —

विशेष शिक्षा

समाज में बालकों की कुछ संख्या ऐसी भी है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और विकलांग की श्रेणी में गिने जाते हैं तथा कुछ बालक बुद्धि परीक्षण के अनुसार मन्द बुद्धि एवं प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे छात्रों की शिक्षा हेतु विद्यालयों में उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे बालकों की शिक्षा हेतु आवश्यकता है आज दृष्टिकोण परिवर्तन की तथा शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार की।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति को पत्रिका जून 1990 के अनुसार विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अंधे, बहरे, विकलांग, मन्द बुद्धि तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए यदि सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना है तो समाज में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों साथ-साथ महिला शिक्षा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की भी विशेष शिक्षा व्यवस्था करनी होगी।

विशेष शिक्षा की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से वंचित महिलाओं की शिक्षा की सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए विशेष व्यवस्थाएँ करनी होगी। समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखनी होगी।

इसके लिए लिंग मूलक भेद-भाव बरतने की नीति को समाप्त करके तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार करना होगा।

मन्द बुद्धि, मेधावी तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के परीक्षण के लिए सुनियोजित व्यवस्था करनी होगी तथा ऐसे बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उपचारात्मक पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा। शारीरिक दृष्टि से अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए वर्तमान में प्रदेश में कुछ ऐसी संस्थाएँ चलायी जा रही हैं, जिनमें उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था है। ऐसे विद्यालय विशेषतः गूंगे, बहरे विद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या इतनी कम है कि अधिकांश बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः आवश्यक प्रतीत होता है कि या तो इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाय या शिक्षा व्यवस्था की सामान्य धारा में इनकी शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराये

जायँ । जहाँ तक शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा का प्रश्न है उन्हें शिक्षा की सामान्य धारा में प्रवेश तो मिल जाता है किन्तु आवश्यकता है ऐसे बालकों के प्रति शिक्षकों तथा छात्रों के द्वारा उदार एवं सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाये जायें कि पुनरीक्षित पाठ्य-चर्या निर्माण की तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन एवं प्रयास किये जाने की ।

विचारणीय विन्दु :

1. समाज के किन-किन वर्गों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, किस प्रकार की योजना उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु आवश्यक है ।

2. विशेष शिक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का आंकलन करते हुए इस क्षेत्र में क्या करना अभी अपेक्षित है ।

3. वर्तमान समय में विशेष शिक्षा के लिए उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की पर्याप्तता के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ।

4. विशेष वर्ग में आने वाले छात्रों के चयन के लिए कौन सी उपयुक्त प्रणाली अपनायी जानी चाहिए ।

5. विशेष शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अन्य सुझाव क्या दिये जा सकते हैं ।

कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के छात्र/छात्राओं मे कौशलात्मक विकास के उद्देश्य से कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को क्रिया कलाप के रूप में लागू किया जा चुका है। किन्तु इसके कार्यान्वयन से उद्देश्यों की प्राप्ति अपेक्षित स्तर की नहीं है। इसके प्रमुख कारणों पर विचार करना तथा इसको अधिक व्यावहारिक बनाना आवश्यक है। इसलिए कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों पर विचार विमर्श करके समाधान प्रस्तावित करना अधिक समीचीन होगा।

कार्यानुभव का लक्ष्य भावी नागरिकों में वैयक्तिक गुण, गौरव और क्षमता की गहन भावना उत्पन्न करना और उनमें आत्मोत्कर्ष तथा समाज सेवा की भावना को सुदृढ़ करना है।

माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम के ज्ञान से बालकों का केवल मानसिक विकास ही सम्भव हो पाता है। आवश्यकता है उनमें शारीरिक विकास तथा श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करने की और इसी उद्देश्य से कार्यानुभव को हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की महत्ता को स्वीकार किया गया है। कार्यानुभव शारीरिक कार्य की दृष्टि से सीखने की क्रिया का एक अंश है। उसके अन्तर्गत छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं, शैक्षिक स्तर के बढ़ने पर ज्ञान तथा कौशल में होने वाली वृद्धि के अनुरूप कार्यों का समावेश किया जाता है, जो छात्रों के के लिए व्यावहारिक जगत में प्रवेश करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

कार्यानुभव शिक्षा और वास्तविक कार्य को एकीकृत करने की विधि है। इसलिए इसकी परिकल्पना आधुनिक युग की जनशक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कार्यानुभव के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार विषयों का चयन किया जा सकता है।

कार्यानुभव को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापकों को अपने गुरुतर दायित्व के निर्वहन हेतु स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए आध्यापकों को सम्बन्धित ट्रेड में प्रशिक्षित करना होगा।

विचारणीय विन्दु :

1. प्रशासन द्वारा---कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्रभावी बनाने हेतु किस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिये ?

2. इस कार्य हेतु शासन शिक्षण संस्थाओं को मानवीय एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु किस प्रकार का सहयोग दे सकता है ?

3. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा के लिए उद्योग विभाग से किस प्रकार का तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ?

4. इस कार्यक्रम की उत्पादित वस्तुओं के विपणन की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। संस्थाओं में उत्पादित वस्तुओं के बिपणन से होने वाली आय का लाभ किस प्रकार छात्रों को दिया जा सकता है।

5, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा छात्रों में स्वरोजगार की प्रेरणा देने में किस सीमा तक सक्षम हैं ?

6. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा में सामाजिक सहभागिता को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है ?

7. विद्यालय की समय सारिणी में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयोगात्मक कार्य हेतु किस प्रकार समायोजन किया जा सकता है।

8. कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के मूल्यांकन की कौन सी विधा अपनाई जा रही है। उसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिये।

9, सतत व्यापक मूल्यांकन को इस क्षेत्र में लागू करने की क्या समस्यायें हैं। उनके समाधान के क्या उपाय किये जा सकते हैं ?

10. इसके मूल्यांकन में ग्रेडिंग की विधि किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होगी ?

व्यावसायिक शिक्षा का कार्यान्वयन

+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा धारा का समावेश किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा की यह नवीन संकल्पना शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को कम करने तथा स्व-रोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कितनी प्रभावकारी सिद्ध हो रही है, यह प्रमुख रूप से विचारणीय है। वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये, इसके निवारण हेतु विकल्प की खोज करना भी इस परिचर्चा का प्रमुख विन्दु है।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों में से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत होती हैं। इसमें से कुछ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तथा शेष विभिन्न कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों में से भी बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो निरुद्देश्य बिना किसी रुचि एवं अभिरुचि के आगे पढ़ाई करते रहते हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी जनशक्ति बेकार होती जा रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने +2 स्तर (इण्टरमीडिएट) पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए अपनी अनुशंसाएँ की हैं। जिसके आधार पर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा की जो योजनाएँ चलायी जा रही हैं (1) राज्य योजनान्तर्गत वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि विषयों से सम्बन्धित ट्रेडों का चयन करके उसके पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं और प्रदेश के 440 विद्यालयों में इसे लागू किया गया है। (2) केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 200 विद्यालयों में 31 ट्रेड में राष्ट्रीय संकल्पना पर आधारित पाठ्यचर्या तैयार करके शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विचार करना है कि इस धारा से शिक्षा प्राप्त करके निकले हुए छात्रों को कैसे और कहाँ रोजगार में लगाया जाय।

विचारणीय विन्दु

1. व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की खोज की जा सकेगी।

2. व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशासनिक एवं प्रबन्ध व्यवस्था का स्वरूप निश्चय किया जा सकेगा।

3. छात्रों को व्यावसायिक धारा में मोड़ने के प्रेरक प्रकरणों पर विचार करना होगा।

4. व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को रोजगार स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुझाव प्राप्त हो सकेंगे।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

वाराणसी मण्डल

कार्यक्रम

प्रथम दिवस—दिनांक 28 जनवरी 1991

मुख्य अतिथि—श्री हरि प्रसाद पाण्डेय,
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०

उद्घाटन सत्र

1—प्रतिभागियों का पंजीकरण	—10.00 बजे से 11.00 बजे तक
2—सरस्वती वन्दना	—संगीताचार्य, बी० एन० राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी
3—मुख्य अतिथि का स्वागत	—श्री अमृत प्रकाश, उप शिक्षा निदेशक,
4—आत्म परिचय	—वाराणसी प्रतिभागियों द्वारा
5—विषय प्रवर्तन	—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य राजकीय, सी.पी.आई. इलाहाबाद।
6—उद्बोधन	—मुख्य अतिथि द्वारा
7—अध्यक्षीय भाषण	—श्री प्रभाकर देश मुख
8—धन्यवाद ज्ञापन	—प्रधानाचार्य, बी० एन० राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर, इलाहाबाद।
9—लघु मध्यान्तर	—12.00 बजे से 12.15 बजे तक
10—लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति	—श्री श्याम नारायण राय, निदेशक समय 12.00 बजे से 1.15 तक
(सार्वजनिक स्कूल प्रणाली)	मनोविज्ञानशाला, उ०प्र० इलाहाबाद
भोजनावकाश	—1.15 से 2.15 तक

द्वितीय सत्र

	समय
1—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 की चर्चायें तथा विकेन्द्रित स्कूल प्रबन्ध	—श्रीबच्चा प्रसाद वर्मा, उप प्राचार्य 2.15 से 3.15 तक राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद
2—व्यावसायिक शिक्षा	—श्री उदय नारायण सिंह, प्रधानाचार्य 3.15 से 4.15 तक राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी
3—मानवीय मूल्यों की शिक्षा	—श्री श्याम नारायण राय, निदेशक 4.15 से 5.15 तक मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद

कार्यक्रम—द्वितीय सत्र

दिनांक 29 जनवरी 1991 (मंगलवार)

प्रथम सत्र

अध्यक्ष	—प्रो० बाल चन्द्र श्रीवास्तव पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक
1—दूर शिक्षा	—श्री शिव लगन तिवारी 10.30 से पत्राचार शिक्षा संस्थान 11.30 तक इलाहाबाद
2—कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य 11.30 से राजकीय सी. पी. आई. 12.30 तक इलाहाबाद
3—वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका	—प्रो० बाल चन्द्र श्रीवास्तव 12.30 से पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक 1.30 तक
भोजनावकाश	—1.30 बजे से 2.30 बजे तक

द्वितीय सत्र

मुख्य अतिथि—

माननीय राज्य शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा —श्री राकेश धर त्रिपाठी

कार्यक्रम

सरस्वती वन्दना	—जिला परिषद् कन्या इण्टर कालेज, ज्ञानपुर की छात्राओं द्वारा
स्वागत मुख्य अतिथि	—श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उ० प्र०
उद्बोध	—मुख्य अतिथि द्वारा
धन्यवाद ज्ञापन	—श्री अमृत प्रकाश उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल

कार्यक्रम—(तृतीय दिवस)

दिनांक—30 जनवरी 1991 (बुधवार)

अध्यक्ष	—श्री जे० एस० वर्मा' जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर	
1—जनसंख्या शिक्षा	—श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी परियोजना अधिकारी जनसंख्या शिक्षा-राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	10.00 से 11.00 तक
2—शैक्षिक तकनीकी	—श्री नरेश चन्द्र शर्मा जिला विद्यालय निरीक्षक मीरजापुर	11.00 से 12.30 तक
3—विशेष शिक्षा	—श्री मंगला प्रसाद पाठक प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, सोनभद्र	12.30 से 1.30 तक

द्वितीय सत्र

मुख्य अतिथि— माननीय शिक्षा मंत्री	—श्री अशोक बाजपेयी

कार्यक्रम

4 — सरस्वती वन्दना	—जिला परिषद् कन्या इण्टर कालेज, ज्ञानपुर की छात्राओं द्वारा
5—स्वागत मुख्य अतिथि	—श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०
6—उद्बोधन	—मुख्य अतिथि द्वारा
7—धन्यवाद ज्ञापन	—श्री अमृत प्रकाश, उप शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल ।

———

वाराणसी

प्रतिभागियों की सूची

1—श्री अमृत प्रकाश,
उप शिक्षा निदेशक, पंचम मण्डल, वाराणसी

2—कु० हेमलता भाटिया,
मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, वाराणसी

3—श्री प्रभाकर देशमुख,
जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी

4—श्री लक्ष्मीदत्त भट्ट,
जिला विद्यालय निरीक्षक, सोनभद्र

5—श्री केशव प्रसाद पाठक,
सह जिला विद्यालय, निरीक्षक वाराणसी

6—श्री उदय नारायण सिंह,
प्रधानाचार्य, राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी

7—श्री रमा शंकर उपाध्याय,
प्रधानाचार्य, विभूति नारायण राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर

8—श्री सुरेन्द्र शंकर श्रीवास्तव,
प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, रामनगर, वाराणसी

9—श्री जग नारायण कुशवाहा,
प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इण्टर कालेज, चकिया, वाराणसी

10—श्री कृष्ण कुमार मिश्र,
प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर

11—श्री मंगला प्रसाद पाठक,
प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, मिर्जापुर

12—श्रीमती गिरिजा श्रीवास्तव प्रतिनिधि,
राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वाराणसी

13—श्री कमला प्रसाद शुक्ल,
राजकीय इण्टर कालेज, जक्खिनी, वाराणसी

14—श्री एस० एन० राय,
निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद

15—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय,
प्रचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

16—श्री बच्चा प्रसाद वर्मा,
उप प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

17—श्रीमती शान्ती श्रीवास्तव,
प्रोफेसर, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

18—श्री राम अचल मिश्र,
प्रोफेसर, राजकीय सी० पी० आई, इलाहाबाद

19—डा० उमाशंकर मिश्र,
सहायक निदेशक (बेसिक) वाराणसी

20—श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव,
विज्ञान प्रगति अधिकारी पंचम मण्डल, वाराणसी

21—श्री आनछ बहादुर सिंह,
सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी

22—श्री शोभनाथ त्रिपाठी,
राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी

23—श्रीमती सी० डी० सिंह,
सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी

24—श्रीमती विद्या पाठक,
प्रधानाचार्या, जिला परिषद् बालिका इण्टर कालेज, ज्ञानपुर

25—श्री राज नारायण सिंह,
राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बलिया

26—श्री अब्दुल हफीज खाँ,
राजकीय सिटी इण्टर कालेज, गाजीपुर

27—कु० विमल कपूर,
प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गाजीपुर

28—श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

29—कु० नीलिमा घोष,
जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, वाराणसी

30—श्री चन्द्र मणि मिश्र,
प्रवक्ता, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

31—श्री विपिन बिहारी मिश्र,
प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बलिया

32—श्री राम लाल मिश्र,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

33—विमला सिंह,
सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका, वाराणसी

34—श्री माता सेवक उपाध्याय,
प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, सिकरारा, जौनपुर

35—श्री जे० एस० वर्मा,
जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर

सन्दर्भदाता सूची

नये सन्दर्भ प्रकोष्ठ

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग

(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)

1—श्री राम अचल मिश्र—प्रोफेसर

2—श्रीमती शान्ती श्रीवास्तव—प्रोफेसर

3—श्री जय प्रकाश—प्रवक्ता

विषय विशेषज्ञों की सूची

1—श्री श्याम नारायण राय—निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद

2—श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

3—श्री बच्चा प्रसाद वर्मा, उप प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद

4—श्री उदय नारायण सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय बहुद्देशीय इण्टर कालेज, वाराणसी

5—श्री रमा शंकर उपाध्याय, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी

6—डा० कपिलदेव द्विवेदी, अवकाश प्राप्त उप-कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार एवं निदेशक, विश्व भारती अनुसंधान परिषद्

7—श्री बालचन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व निदेशक, बेसिक शिक्षा

8—श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी, प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान

9—श्री नरेश चन्द्र शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर

10—श्री मंगला प्रसाद पाठक, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, सोनभद्र

11—श्री शिवलगन तिवारी, पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद

	वक्ता
1—व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरण :	
(1) लोक शिक्षा की समान स्कूल पद्धति (सार्वजनिक स्कूल प्रणाली)	श्री श्याम नारायण राय, निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद
(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सन्दर्भ में आचार्य राम मूर्ति शिक्षा समिति (1990) की चिन्ताएँ	श्री बच्चा प्रसाद वर्मा, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद
2—विषयवस्तु प्रधान प्रकरण :	
(1) मानवीय मूल्यों की शिक्षा	श्री श्याम नारायण राय, निदेशक मनोविज्ञानशाला, उ० प्र०, इलाहाबाद

(2) जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण	श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी जनसंख्या शिक्षा राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
(3) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका	श्री बाल चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व निदेशक उच्च शिक्षा

3—शिक्षण सम्बन्धी प्रकरण :

(1) दूर शिक्षा	श्री शिव लगन तिवारी पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद
(2) विशेष शिक्षा	श्री मंगला प्रसाद पाठक, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी, सोनभद्र
(3) शैक्षिक तकनीकी	श्री नरेश चन्द्र शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर
(4) कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	श्री ज्ञानदत्त पाण्डेय, प्राचार्य, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद
(5) व्यावसायिक शिक्षा का कार्योन्वयन	श्री उदय नारायण सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी

———

गोरखपुर—मण्डल

उद्देश्य तथा विषय प्रवर्तन

श्री श्याम बिहारी शुक्ल,
राजकीय सी० पी० आई०,
इलाहाबाद ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया जा चुका है कि शिक्षा को यदि राष्ट्रीय विकास में भागीदारी लेनी है तो माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) अपने दस्तावेज में 5-16 से 5-23 तक आठ उपधाराओं में व्यावसायिकरण शीर्षक अन्तर्गत नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट करते हुए उद्घोषित करती है कि शिक्षा के प्रस्तावित पुर्नगठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी, कुशल कर्मचारियों की माँग पूर्ति में असंतुलन समाप्त होगा और विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा जो इस समय विना किसी उद्देश्य या रुचि के उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते हैं।

इस योजना के नियोजन, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयों की अनुभूति की जा रही है जिससे एक अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यावसायिक शिक्षा से सम्बद्ध अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके ऐसे ठोस सुझाव प्रस्तुत किये जाँय जिससे योजना को अपेक्षित अग्रगति प्राप्त हो सके। इसी निमित्त व्यावसायिक शिक्षा हेतु इस शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

उद्देश्य :

(i) शैक्षिक प्रशासकों, कार्यरत विशेषज्ञों, प्रधानाचार्यों आदि के साथ शिक्षा योजना को अग्रगति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करना।

(ii) व्यावसायिक शिक्षा को अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इसके क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों को पहचानना और संगोष्ठी के माध्यम से समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

(iii) प्राप्त समस्याओं तथा सुझावों के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय तैयार करके प्रस्तुत करना।

विचारणीय विन्दु

(क) शैक्षिक पक्ष :

(1) पाठ्यक्रम की उपयोगिता का भावी जीवन में कोई सुनिश्चित दृष्टिकोण नहीं है।

(2) व्यावसायिक शिक्षा के संचालित पाठ्यक्रम से छात्रों का व्यावसायिक ज्ञान अत्यल्प हो रहा है जिससे आज के युग में स्वरोजगार की स्पर्धा में उनका टिक पाना सम्भव नहीं दिखाई देता है।

(3) संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार अभी पाठ्य पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं जिससे शिक्षक तथा शिक्षार्थियों में भ्रम फैला हुआ है और लक्ष्यहीनता दृष्टिगोचर हो रही है।

(4) ट्रेड्स में सैद्धान्तिक भार आवश्यकता से अधिक है और प्रायोगिक भार आवश्यकता से न्यून है। इसलिए ये ट्रेड्स प्रशिक्षणार्थी छात्रों के जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन पा रहे हैं।

(5) इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं की मानसिकता अन्य वर्ग के छात्र/छात्राओं से भिन्न नहीं दिखाई देती है और वे अपने विषय को सैद्धान्तिक रूप में ही पढ़ते हैं।

(6) अन्य विषय की प्रायोगिक परीक्षा की तुलना में इस विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस अर्थ में भिन्न है ?

(ख) प्रशासनिक पक्ष :

(1) ट्रेड्स को संचालित करने के लिए कुशल, प्रशिक्षित और सुयोग्य शिक्षकों का अभाव है।

(2) ट्रेड्स के कार्यशालाओं में कार्यशाला सहायकों के पद सृजित नहीं है।

(3) मण्डल तथा जनपद स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठों का गठन नहीं हुआ है।

(4) विद्यालयों में ट्रेड्स स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिवेश के अनुरूप नहीं है।

(5) व्यावसायिक सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(6) व्यावसायिक शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है।

(7) विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यकता के अनुसार कार्यशालाओं का निर्माण नहीं हुआ है।

(ग) वित्तीय पक्ष :

(1) व्यावसायिक शिक्षा की कार्यशालाओं में समुचित जल व्यवस्था नहीं है।

(2) भण्डार गृह एवं प्रयोगशालाओं में मजबूत दरवाजे नहीं हैं तथा उनमें धूल से बचाव की व्यवस्था भी नहीं है।

(3) काष्ठोपकरण एवं पुस्तकालय के लिए विद्यालयों को अनुदान नहीं प्राप्त है।

(4) विद्यालयों में कच्चे माल तथा कन्टीजेन्सी के लिए किसी प्रकार का धन नहीं प्राप्त है।

(5) राज्य सरकार का अंशदान अभी तक विद्यालयों को प्राप्त नहीं है।

उद्‌बोधन

श्री हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक
राज्य शै० अनु० और प्रशि० परि०, उ० प्र०

आज हम इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र की व्यावहारिक धरातल की बातें करेंगे। आजकल छात्र बिना किसी अभिरूचि एवं उद्‌देश्य के केवल समय बिताने के लिए कक्षाओं में बैठते हैं। इससे अनुशासन प्रभावित होता है और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक शिक्षा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यावसायिक शिक्षा है। शिक्षा में गुणात्मक विकास व्यावसायिक शिक्षा का उद्‌देश्य है। शिक्षा विभाग में व्यावसायिक शिक्षा का उद्‌देश्य कुछ शैक्षिक तो होगा ही परन्तु इसका प्रमुख उद्‌देश्य छात्रों में जीवनोपयोगी मान्यताओं का विकास करना है। इससे छात्रों के जीवन का दृष्टिकोण बदलता है और वे अपने जीवन को उपयोगी बनाने में सक्षम होते हैं। इस शिक्षा में हम छात्रों में मूल्य भरते हैं। शैक्षिक मूल्यों में अभिवृद्धि होने से उनका जीवन दर्शन ही बदल जाता है वे समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में सिद्ध होते हैं।

आज हमारी भावना पराश्रयी बन गयी है। अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र के व्यक्तित्व को दबा रहा है और उनमें निरन्तर आत्म विश्वास की कमी हो रही है। आज की शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता छात्रों में आत्म-विश्वास का विकास करना हो गया है। व्यावसायिक शिक्षा का मूलभूत सिद्धान्त है प्रायोगिक कार्य अधिक एवं सैद्धान्तिक कार्यक्रम- क्या हम परम्परागत ढंग से ही कार्य करते रहेंगे, यह आज की ज्वलन्त समस्या है। प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का ही एक अंग है।

व्यावसायिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मेरी धारणा यह है कि किसी विद्यालय में संचालित सभी ट्रेड्स का स्थानान्तरण प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरान्त दूसरे विद्यालयों में हो जाना चाहिए। इस स्थानान्तरण में अध्यापकों की समस्या तो अवश्य आयेगी। उसके निमित्त अस्थायी अतिथि अध्यापकों पर गुरुतर भार देना होगा व्यावसायिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में कृत कार्यों का मूल्यांकन करना और सक्षम अधिकारियों के सामने अनुभूत कठिनाइयों का सही चित्र प्रस्तुत करना ही इस संगोष्ठी का उद्‌देश्य है।

वर्तमान समय में दी जाने वाली सैद्धान्तिक शिक्षा के प्रति आज समाज की आस्था नहीं है। यदि इस समाज की जरूरत को हम शिक्षा के माध्यम से पूरा कर पाने में असफल हैं तो ऐसी शिक्षा को सार्थक नहीं कहा जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा तथा इसके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा का शिक्षक और प्रशिक्षण परम्परागत रीति-नीति दी जाने वाली शिक्षा से अलग रहकर है। यह उन्मुक्त और आवश्यकता के अनुरूप दी जाने वाली शिक्षा है जो छात्रों को स्वावलम्बी बनाती है तथा उनमें स्वतः स्वरोजगार करने की प्रेरणा जगाती है। व्यावसायिक शिक्षा में परम्परागत शिक्षा के विपरीत अधिकांश ज्ञान प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान आंशिक होता है।

अन्त में संगोष्ठी के आयोजकों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा संगोष्ठी की सार्थकता की कामना करता हूँ।

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

व्यावसायिक शिक्षा

(क) शैक्षिक पक्ष :

1. पाठ्यक्रम निर्धारण :

(क) 17 टेड्स में से 4 टेड्स पृथक करके अब कुल 13 टेड्स विद्यालयों में संचालित हैं। पृथक किये गये 4 टेड्स में से कुछ व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन्हें घटाना नहीं चाहिए था।

(ख) कुछ विद्यालयों में दो टेड्स को मिलाकर एक टेड कर दिया गया है। इससे छात्रों पर अधिक भार पड़ गया है।

(ग) आधारित विषय का पाठ्यक्रम कुछ कम होना चाहिए। इसके लिए अनावश्यक प्रकरणों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाय।

(घ) कक्षा 6 से 10 तक कार्यानुभव के अन्तर्गत वे विषय समाहित किये जाँय जिन्हें इण्टर कक्षाओं में छात्र व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत उपहृत कर सके।

(ङ) पाठ्यक्रम का निर्माण विषय के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारण में विषय विशेषज्ञों की राय अवश्य लेना चाहिए ताकि यह इण्टर के छात्रों के अनुरूप बन सके। इसके निर्धारण में प्रधानाचार्यों का योगदान भी सुनिश्चित किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(च) व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिये शासन को आदेश निर्गत करना चाहिए।

2. परीक्षा एवं प्रश्न पत्र :

1. आदर्श प्रश्न-पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

2. व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धान्तिक की अपेक्षा प्रयोगात्मक पर अधिक बल दिवा गया है। समिति इससे सहमत है।

3. विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्रों के प्रयोगात्मक ज्ञान का सतत मूल्यांकन होना भी सुनिश्चित होना चाहिए।

4. व्यावसायिक शिक्षा के वर्तमान पाठ्यग्रम में सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों के लिये अंक का निर्धारण समिति की राय में उचित है ।

5. ट्रेड प्रभारी शिक्षक को ट्रेड का गहन प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश में किया जाना श्रेयस्कर होगा । यह प्रशिक्षण दो पालियों में दिया जाय ।

(ख) प्रशासनिक पक्ष :

1. व्यावसायिक शिक्षा के कार्य संचालन हेतु प्रदेश स्तर से लेकर जनपद स्तर तक अधिकारियों के पदों का सृजन तो हो गया है परन्तु अभी तक उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका है । व्यावसायिक शिक्षा के सफल संचालन हेतु समस्त सृजित पदों पर अविलम्ब नियुक्तियाँ की जानी चाहिए ।

2. प्रदेश स्तर से लेकर जनपद स्तर तक समस्त पदों पर व्यावसायिक शिक्षा का कार्य भार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाय जिनकी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विशेष रुचि एवं निष्ठा हो ।

3. समिति द्वारा अंशकालिक विषय विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ कानट्रेक्ट आधार पर की जाय ।

4. कार्यशाला में उपकरणों के रख रखाव एवं लेखा जोखा हेतु एक कार्यशाला सहायक की नियुक्ति की जाय ।

5. मूल्यांकन उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया जाय जिस पर मात्र कार्यशाला की देख-रेख का उत्तरदायित्व हो ।

6. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित मदों के आहरण एवं वितरण का अधिकार केवल सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही प्रदान किया जाय ।

7. व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यांकन एवं तत्सम्बन्धी आवश्वक सुझावों के लिये जनपद स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति का गठन होना चाहिए ।

8. संचालित व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में केवल व्यावसायिक शिक्षा के संचालन हेतु एक उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाय ।

9. व्याक्सायिक शिक्षा के विभिन्न टेड्स से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

10. व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षणोपरान्त छात्र/छात्राओं को स्वरोजगार की सुविधा हेतु बैंकों से ऋण की व्यवस्था आसान शर्तों पर करायी जाय । समिति ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि शासन द्वारा खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से उस दिशा में सह-योग दिलाने की पहल की गई है ।

11. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण पत्रों को विभिन्न सेवाओं में वरीयता दी जाय। इसे और प्रशस्त बनाने के लिए इसे आपरेन्टिसशिप से जोड़ दिया जाय।

12. व्यावसायिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से इसके पाठ्क्रम में अध्ययन के स्थान पर कार्य भावना पर विशेष बल दिया जाय।

(ग) वित्तीय पक्ष :

1. भवन निर्माण के लिये अनुदान के रूप में दो लाख रुपये आवंटित है। भवन निर्माण सामग्री के बढ़े हुए मूल्यों के कारण यह धनराशि अत्यन्त है। अतः धनराशि को बढ़ाकर दो लाख पचार हजार कर दिया जाय।

2. कार्यशाला में प्रयोग के लिये रक्खे गये उपकरणों के रख रखाव तथा देख भाल के लिये निम्नलिखित व्यवस्थायें अपेक्षित हैं :—

(क) ट्रेडवार एक प्रयोगात्मक मानक आवश्यक है। इस निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य हेतु प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से पर्याप्त धन का प्रावधान किया जाय।

(ख) एक पूर्णकालिक तकनीक सहायक जो अच्छे ट्रेड्स से आई० टी० आई० उत्तीर्ण हो, की नियुक्ति की जाय।

(ग) एक पूर्णकालिक भृत्य (Tcehnical Attendant) की नियुक्ति आवश्यक है।

3. आकस्मिक व्यय :

(क) प्रतिदिन प्रयोगात्मक कार्य के निमित्त ट्रेडवार देयमानों की व्यवस्था समाप्त की जाय क्योंकि यह कार्य दो वाक्यों में पूर्ण नहीं हो पाता तथा प्रधानाचार्य को यह अधिकार दिया जाय कि आवश्यकतानुसार एवं निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य पूरा कराने के लिये दो से अधिक वादन प्रदान कर सकें।

(ख) कार्यशाला तथा उपकरणों के रख रखाव तथा मरम्मत के लिये अलग से वार्षिक आवर्तक अनुदान आवंटित किया जाय।

(ग) विद्यालय के अस्थायी सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को मानदेय दिया जाय।

4. छात्र/छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था :

छात्र/छात्राओं को ट्रेडवार तथा उनके स्तर के अनुसार तकनीकी संस्थान, कारखाना तथा निकटवर्ती विद्यालयों जहाँ व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य हुआ हो, का भ्रमण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इस कार्य के लिये शासन द्वारा पर्याप्त धन आवंटित होना चाहिये।

5. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था :

संचालित व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में एक लघु पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें ट्रेड्स से सम्बन्धित होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था विभाग की होनी चाहिए।

6. समाज की सहभागिता :

व्यावसायिक शिक्षा के छात्र/छात्राओं द्वारा तैयार किये गये सामानों की प्रदर्शनी समय-समय पर आयोजित की जाय और उसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को आमंत्रित किया जाय। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा की गुण-वत्ता तथा कार्यानुभव की प्रशंसा के आधार पर उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय।

7. व्यावसायिक शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथमतः तथा अन्ततः समस्त अनुदानित धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों को समय पर आबंटित की जाय।

8. समिति का मुख्य सुझाव यह रहा कि व्यावसायिक शिक्षा पूर्णतया शैक्षिक कार्य है। अतः इस निमित्त अनुदानित समस्त धनराशि का आहरण एवं वितरण का अधिकार मात्र सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्य को ही दे दिया जाय। व्यावसायिक शिक्षा के सफल संचालन के लिये यह परमावश्यक है।

———

कार्य परक बिन्दु

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षों के सम्बद्ध कार्य परक बिन्दु निम्नवत् है :—

(क) शैक्षिक पक्ष :

- पाठ्यक्रम निर्धारण के अन्तर्गत पूर्व प्रचलित सत्रह ट्रेड्स में से जो चार ट्रेड्स पृथक कर दिये गये हैं। उन्हें पुनः प्रचलित ट्रेड्स में सम्मिलित किया जाय।
- कार्यानुभव विषय के कारण छात्रों पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए आधारित विषयों के पाठ्यक्रम में से अनावश्यक प्रकरणों को निकाल दिया जाय।
- कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में कार्यानुभव के अन्तर्गत उन विषयों को स्थान दिया जाय जिन्हें छात्र इण्टर कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत चुन सकता है।
- व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को इण्टर कक्षाओं के छात्रों का ध्यान रखते हुए विषय विशेषज्ञों एवं प्रधानाचार्यों के सहयोग से अनुकूल बनाया जाय।
- व्यावहारिक ज्ञान सुलभ कराने के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों को आदेश निर्गत किये जायँ जिससे इस सम्बन्ध में इनका सहयोग प्राप्त हो सके।
- परीक्षा एवं प्रश्न पत्र निर्माण व्यवस्था के अन्तर्गत आदर्श प्रश्न पत्रों की सुलभता सुनिश्चित की जाय तथा व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा प्रयोगात्मक कार्य पर अधिक बल दिया जाय।
- ट्रेड्स प्रभारी शिक्षक को ग्रीष्मावकाश में ट्रेड्स का गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय।

(ख) प्रशासनिक पक्ष :

- व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को सुचारु संचालन हेतु प्रदेश स्तर से जनपद स्तर तक अधिकारियों को सृजित पदों पर अविलम्ब नियुक्तियाँ की जाय ।
- अंशकालिक विशेषज्ञों की नियुक्ति कन्ट्रेक्ट आधार पर की जाय और कार्यशाला में उपकरणों तथा लेखा जोखा के उचित रख रखाव हेतु एक कार्यशाला सहायक की नियुक्ति की जाय ।
- व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्धित मदों के आहरण एवं वितरण का अधिकार केवल सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही दिया जाय और व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यांकन तथा आवश्यक सुझाव देने हेतु जनपद स्तर पर एक परामर्श दात्री समिति गठित की जाय ।
- इस कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित विद्यालय में एक उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाय और ट्रेड्स के अन्तर्गत उत्पादित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाय ।
- शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित छात्रों को स्वरोजगार की सुविधा हेतु आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाय ।
- व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण पत्रों को विभिन्न सेवाओं में चयन के समय वरीयता दी जाय और इस उद्देश्य से इसे आपरेन्टिसशिप से जोड़ दिया जाय ।

(ग) वित्तीय पक्ष :

- भवन निर्माण के लिए अनुदान के रूप में आवंटित दो लाख रुपये की धनराशि मूल्य वृद्धि के कारण अत्यल्प है, अतः इसे बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया जाय ।
- ट्रेड वार निर्धारित मानकों के अनुसार छात्रों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य किये जाने के लिए पर्याप्त धन का प्राविधान किया जाय ।
- अच्छे ट्रेड में आई० टी० आई० के एक प्रशिक्षण प्राप्त एक पूर्ण कालिक तकनीक सहायक तथा पूर्ण कालिक भृत्य की नियुक्ति की जाय ।
- आकस्मिक व्यय के अन्तर्गत प्रधानाचार्यों को यह अधिकार दिया जाय कि वे आवश्यकता का ध्यान रखते हुए निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य पूरा कराने के लिए दो से अधिक वादन प्रदान कर सकें ।

- कार्यशाला एवं उपकरणों के रख रखाव के लिए अलग से वार्षिक आवर्तक अनुदान आवंटित किया जाय और विद्यालय के सम्बन्धित स्थायी अध्यापक/अध्यापिका को मानदेय देने की व्यवस्था की जाय।
- छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए शासन द्वारा पर्याप्त धन आवंटित किया जाय जिससे वे तकनीकी संस्थानों, कारखानों आदि के कार्यों को देख सके।
- व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था की जाय जिससे छात्रों को उपयोगी पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें अध्यानार्थ हेतु सुलभ हो सके।

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

अवधि—दिनांक 4 एवं 5 फरवरी 1991

विषय – व्यावसायिक शिक्षा

स्थान–महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, गोरखपुर

विचार पत्रक

आवश्यकता :

इण्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों में से लगभग 50 प्रतिशत परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। उत्तीर्ण छात्रों में से कुछ विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेते हैं जबकि कुछ छात्र विभिन्न कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों में से भी बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो बिना किसी रुचि और अभिवृत्ति के आगे पढ़ाई करते जाते हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी जनशक्ति बेकार होती जा रही है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान हेतु समय-समय पर गठित विभिन्न आयोगों और समितियों ने यथा भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) डा० मालकोंय आदि शेषैया समिति (1977) ने व्यावसायिक शिक्षा को + 2 स्तर पर लागू करने के लिए अपनी अनुशंसायें की हैं। सभी अनुशंसाओं का सार तत्व यह रहा है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय जिसके फलस्वरूप + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का शुभारम्भ किया गया। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य मात्र छात्र/छात्राओं को व्यवसाय दिलाने का न होकर उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रेरणा देना और व्यवसाय विशेष में न्यूनतम क्षमता विकसित करना चाहिए, जिससे यदि किन्हीं कारणवश वे उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें तो भी वे अपनी व्यावसायिक शिक्षा में अभिप्रेरित होकर स्व-रोजगार कर सकें और अपने पैरों खड़े हो सकें तथा परमुखापेक्षी न रहें। इतना ही नहीं, व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन इसलिए भी जरूरी समझा गया जिससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़े। कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति का असंतुलन दूर हो सके तथा ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सके जो बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते जाते हैं।

इस योजना के नियोजन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है जिससे इसे एक अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों, प्रधानाचार्यों से विचार विमर्श किया जाय और तत्सम्बन्धी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान ढूंढ़ा जाय। इस निमित्त इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

उद्देश्य :

1. शैक्षिक प्रशासकों, कार्यरत विशेषज्ञों, प्रधानाचार्यों आदि के साथ व्यावसायिक शिक्षा को अग्रगति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना।

2. व्यावसायिक शिक्षा को अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु अनुभूत कठिनाइयों को पहचानना।

3. संगोष्ठी के माध्यम के अनुभूत समस्याओं से समाधान हेतु सुझाव एकत्र करना।

4. प्राप्त समस्याओं तथा सुझावों के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय प्रस्तुत करना।

व्यावसायिक शिक्षा के अवरोधक-विचारणीय विन्दु :

प्रधानाचार्यों, विशेषज्ञों से वार्ता करने पर पृच्छा पत्रों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा योजना के गति अवरोधक बिन्दु जो सामने आये हैं, वह निम्नवत है :—

- ट्रेड को संचालित करने के लिए कुशल, प्रशिक्षित और सुयोग्य शिक्षकों का अभाव है :
- दो प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रचलित हैं, जिससे छात्रों तथा अभिभावकों में भ्रम पैदा होता है।
- पाठ्यक्रम की उपयोगिता का भावी जीवन में कोई सुनिश्चित दृष्टिकोण नहीं है।
- व्यावसायिक शिक्षा के संचालित पाठ्यक्रम से छात्रों का व्यावहारिक ज्ञान अत्यल्प हो रहा है जिससे आज के युग में स्वरोजगार की स्पर्धा में उनका टिक पाना सम्भव नहीं दिखायी देता है।
- अभी पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें नहीं लिखी गयी हैं—जिससे शिक्षक तथा शिक्षार्थियों में भ्रम फैला हुआ है और लक्ष्यहीनता दृष्टिगोचर हो रही है।
- ट्रेड में सैद्धान्तिक भार आवश्यकता से अधिक हैं और प्रयोगिक भार आवश्यकता से न्यून है। इसलिए ये ट्रेड प्रशिक्षार्थी छात्रों के जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन पा रहा है।

- इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं की मानसिकता अन्य वर्गों के छात्र/छात्राओं से भिन्न नहीं दिखाई देती और वे अपने विषय को सैद्धान्तिक रूप में ही पढ़ते हैं।
- विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के भवन बन गये हैं और सम्बन्धित ट्रेड्स के उपकरण भी उपलब्ध हैं किन्तु अन्य विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों कों यह भार कब तक दिया जायेगा।
- एक सीमित अवधि के प्रशिक्षण के उपरान्त भी वे अपने को उपकरणों के रख-रखाव तथा प्रयोग में असमर्थ पाते हैं।
- अन्य विषयों के प्रायोगिक परीक्षाओं की तुलना में इस विषय की प्रायोगिक परीक्षा किस अर्थ में भिन्न हैं।
- स्वरोजगार योजना संचालित करने के लिए छात्रों तथा अभिभावकों में यह भ्रम है कि पहले तो रोजगार संचालित करने के लिए धन की उपलब्धि ही नहीं होगी और धन उपलब्ध होने पर भी लघु उद्योग किस प्रकार बाजार की स्पर्धा में टिक पायेंगे।
- उक्त कारणों से छात्र तथा अभिभावकों का आकर्षण अन्य वर्गों की अपेक्षा कम है।

इस संगोष्ठी में इन्हीं अनुभूत कठिनाइयों पर पारस्परिक विचार-विमर्श करके ऐसे ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है जिससे देश में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कुशलता-पूर्वक संचालित किया जा सके तथा उसका अपेक्षित लाभ समाज को प्राप्त हो सके।

इस संगोष्ठी में निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श अपेक्षित है :—

- अन्तर्विभागीय मान्यता एवं समन्वय।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सहभागिता।
- अप्रेन्टिसशिप एक्ट में संशोधन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति के व्यावसायिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति एवं व्यावसायिक शिक्षा :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को दस प्रतिशत 1990 तक तथा 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक पाठ्यचर्या में आ जाय। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित "शिक्षा के सम्बन्ध में परिपेक्ष्य चर्चा" में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधनों के लिए आम सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया है—

"लोगों को काम के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से शिक्षा के हर स्तर पर सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी व उत्पादक कार्य को उनके सिखाने, उनमें सूझ-बूझ और समस्या निदान का कौशल विकसित करने और उनकी सृजनात्मकता बढ़ाने का प्रभावशाली माध्यम बनाना होगा। इसका लक्ष्य है कि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी व उत्पादन कार्य एक रस्मो-रिवाज बनकर न रह जाय जैसा कि अक्सर होता रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में हर दृष्टि से सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करें :—

(क) ऐसी शिक्षा का निर्माण करने के लिए जो विद्यार्थियों को उनके परिवारों, बस्तियों और जीवन से अलग-थलग न कर दे, यह आवश्यक है कि "हाथ" "दिमाग" एवं "दिल" को एक सूत्र में पिरो दिया जाए।

(ख) माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) के स्तर पर सभी विद्यार्थियों की शिक्षा का व्यावसायीकरण किया जाये, यानी उसे रोजगार उन्मुख बनाया जाये। इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पहलू को अन्तिम रूप में जोड़ना होगा और साथ में जो विद्यार्थी नौकरी या स्वरोजगार की तलाश में है, उनके लिए व्यवसाय सम्बन्धी (रोजगार सम्बन्धी) अतिरिक्त अवयवों का प्राविधान करना होगा।

(ग) "स्कूल की दुनियाँ एवं काम की दुनियाँ" के बीच व्यावहारिक रिश्ता स्थापित करना होगा जिसके लिए व्यावसायीकरण की दृष्टि से 'काम की दुनियाँ' में कार्यपीठ (वर्क बेंच) और अभ्यासशाला (प्रेक्टिस स्कूल) जैसी व्यवस्थाओं को शिक्षा का अंग बनाना होगा।

समिति ने "स्कूल की दुनियाँ" और "काम की दुनियाँ" के बीच कारगर कड़ियाँ स्थापित करने पर बल देते हुए कहा है कि "माध्यमिक शिक्षा को अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं में बाँटा नहीं जाना चाहिए। सभी विद्यार्थी कोर पाठ्यक्रम का अनुसरण करें जिसमें व्यावसायिक अवयव के लिए महत्वपूर्ण स्थान हो।

व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समुन्नयन और वैयक्तिक उत्कर्ष से सम्पृत है। अतः अपेक्षा की जाती है कि इस संगोष्ठी में लिए गए निर्णयों में सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था को एक सुगठित रूप प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

———

केन्द्र पुरोन्धिनित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का स्वरूप

विषय	प्रश्न पत्र	पूर्णाङ्क	समय
अनिवार्य विषय :			
सामान्य हिन्दी (जो वैज्ञानिक, वाणिज्य आदि वर्गों के परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित है)	3	100	प्रत्येक प्रश्न-पत्र हेतु तीन घण्टे
(2) वैकल्पिक विषय :			
(वर्गानुसार वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई दो विषय जो 50-50 अङ्क के होंगे)			
(क) प्रथम विषय	1	50	3 घण्टे
(ख) द्वितीय विषय	1	50	3 घण्टे
(3) व्यासायिक ट्रेड :			
(तीन विषयों के समकक्ष)			
(क) सैद्धान्तिक (तीन विषयों के समकक्ष)			
1—प्रथम प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
2—द्वितीय प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
3—तृतीय प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
4—चतुर्थ प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
5—पंचम प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
6—षष्टम प्रश्न पत्र	1	30	3 घण्टे
(3) प्रयोगात्मक कार्य :			
1—बाह्य परीक्षा	—	60	—
2—सतत् आन्तरिक मूल्यांकन			

(क) सत्रीय कार्य	—	30	—
(ख) कार्यस्थल पर प्रशिक्षण	—	30	—
		11	500

राज्य पुरोभिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का स्वरूप

(क) वाणिज्य वर्ग—3 के अन्तर्गत :

क्रम संख्या	विषय	प्रश्न पत्र	अङ्क	प्रतिशत
1—	भाषायें			
	(क) हिन्दी	1	50	10
	(ख) अंग्रेजी	1	50	10
2—सामान्य आधारित विषय		1	50	10
2—व्यावसायिक ट्रेड		5 या 6	350	70
	योग	8 या 9	500	100

(ख) साहित्य वर्ग (गृह विज्ञान शिक्षा के अर्न्तगत)

1—हिन्दी	3	100	20
2—वैकल्पिक विषय	2	100	20
3—वैकल्पिक विषय	2	100	20
4—गृह विज्ञान का एक ट्रेड	2 + प्रयोगात्मक	100	20
5—गृह विज्ञान	3 + प्रयोगात्मक	100	20
योग	11	500	100

(ग) कृषि वर्ग के अन्तर्गत :

कक्षा 11		कक्षा 12	
विषय	अंक	विषय	अङ्क
1—हिन्दी प्रथम प्रश्न पत्र	50	1—कृषि अर्थ शास्त्र	50
2—हिन्दी द्वितीय प्रश्न पत्र	50		

अंग्रेजी एक प्रश्न पत्र	100	2—कृषि जन्तु विज्ञान	100
3—कृषि वनस्पति विज्ञान	100	3—कृषि रसायन	100
4—कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान	100	4—शस्य विज्ञान	100
5—कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी	50	5—कृषि पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान	100
6—कृषि शस्य विज्ञान	100		
7—कृषि अभियन्त्रण	100	6—एक ट्रेड व्यावसायिक शिक्षा	100
योग	550		550

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत चालू 31 ट्रेड्स की सूची

(क) साहित्य वर्ग :

(1) खाद्य संरक्षण (2) पाक शास्त्र (3) परिधान रचना एवं सज्जा (4) धुलाई छपाई रंगाई (5) पैकिंग तथा कन्फैक्शनरी (6) टेक्सटाइल्स डिजाइन (7) बुनाई तकनीक (8) नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु शिक्षा प्रबन्ध (9) पुस्तकालय विज्ञान

(ख) वैज्ञानिक वर्ग :

(1) बहुउद्देशीय बुनियादी स्वास्थ्य कर्मिक (पुरुष) (2) फोटोग्राफी

(3) रेडियो एवं टी० वी० तकनीक (4) आटोमोबाइल्स

(ग) वाणिज्य वर्ग :

(1) एकाउण्टेंसी एवं अंकेक्षण (2) बैंकिंग (3) आशुलिपिक एवं टंकण (4) विपणन तथा विक्रय करना (5) सचिविय पद्धति (6) सहकारिता (7) टंकण (8) बीमा

(घ) रचनात्मक वर्ग :

(1) मुद्रण (2) कुलाल विज्ञान

(ङ) कृषि वर्ग :

(1) मधुमक्खी पालन (2) डेरी प्रौद्योगिकी (3) रेशम कीट पालन (4) फल संरक्षण प्रौद्योगिकी (5) बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी (6) फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी (7) पौधशाला (8) संरक्षण

प्रदेश में राज्य तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत संचालित व्यावसायिक शिक्षा की भावी योजना

प्रदेश में इस समय राज्य पुरोनिधा नित योजनान्तर्गत 440 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है । इन केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत चयनित 200 विद्यालयों में से 85 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें राज्य पु रोनिधा नित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की भी योजना चल रही है ।

सत्र 1990-91 से राज्य पुरोनिधानित योजनान्तर्गत जिन 440 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित हैं, उनमें प्रथम वर्ष का प्रवेश स्थगित पर दिया गया है और सत्र 1991-92 में राज्य पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायि क शिक्षा या संचालन पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जायेगा ।

सत्र 1991-92 से 260 और विद्यालयों में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना लागू किया जायेगा । इस प्रकार सत्र 1991-92 से जिन 460 विद्यालयों में केन्द्र पुरानिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा लागू की जायेगी उनमें से 195 राज्य पुरोनिधानित योज नान्तर्गत के विद्यालय होंगे ।

सत्र 1991-92 से संचालित होने वाले व्यावसायिक शिक्षा के नये ट्रेड की प्रस्तावित सूची

1. खाद्य एवं फल संरक्षण
2. परिधान रचना
3. धुलाई, रंगाई, टेक्सटाइल्स, धुनाई तकनीक आदि
4. बैंकिंग तथा कन्फैक्शनरी

5. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण
6. पुस्तकालय विज्ञान
7. फोटोग्राफी एवं वीडियो प्रिन्टिग
8. रेडियो, टी० वी० तकनीक
9. आटोमोबाइल्स
10. बैंकिंग एकाउन्टेसी आडिट तथा औद्योगिकी प्रबन्ध
11. संचवीय पद्धति टंकण
12. मुद्रण, कम्पोजिंग और बाइण्डिंग
13. रेशम कीट पालन, मधु मक्खी पालन, मत्स्य खेती एवं पौधशाला
14. कृत्रिम अवयव
15. घरेलू विद्युत उपकरण
16. कम्प्यूटर टेक्नालाजी
17. प्लास्टिक व ग्लास फाइवर

मण्डलीय सम्बोध संगोष्ठी कार्यक्रम

[व्यावसायिक शिक्षा]

दिनांक 4 एवं 5 फरवरी 1991

समय-सारिणी

प्रथम दिवस—दिनांक : 4-2-91 (सोमवार)

प्रथम सत्र

10.00 बजे से	11.00 बजे तक	प्रतिभागियों का पंजीकरण—	
11.00 बजे से	11.03 बजे तक	सरस्वती वन्दना—	
11.03 बजे से	11.10 बजे तक	मुख्य अतिथि तथा प्रतिभागियों का स्वागत	
11.10 बजे से	11.15 बजे तक	प्रतिभागियों का स्वपरिचय—	
11.15 बजे से	12.00 बजे तक	उद्देश्य एवं विषय प्रवर्तन—	
12.00 बजे से	12.15 बजे तक	पत्रक प्रस्तुतीकरण	
12.15 बजे से	12.40 बजे तक	पत्रक पर विचार विमर्श	
12.40 बजे से	12.55 बजे तक	अध्यक्षीय वक्तव्य	
12.55 बजे से	01.00 बजे तक	धन्यवाद ज्ञापन	

द्वितीय सत्र

02.00 बजे से	02.20 बजे तक	व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयाँ	श्री हर प्रसाद चतुर्वेदी उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर
02.20 बजे से	02.40 बजे तक	विचार-विमर्श	
02.40 बजे से	03.00 बजे तक	व्यावसायिक शिक्षा को स्वरोजगारपक कैसे बनाया जाय	श्रीमती हमीदा अजीज मण्ड० बालिका विद्यालय निरीक्षिका गोरखपुर
03.00 बजे से	03.20 बजे तक	विचार-विमर्श	

03.20 बजे से	03.40 बजे तक	व्यावसायिक शिक्षा श्री नवल किशोर सिह के शिक्षकों की व्यवस्था जिला विद्यालय एवं शिक्षक प्रशिक्षण निरीक्षक, तथा शिक्षक निर्देशिकाएँ गोरखपुर
03.40 बजे से	04.00 बजे तक	विचार-विमर्श
04.00 बजे से	04.10 बजे तक	व्यावसायिक शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासकीय एवं वित्तीय पक्षों पर समितियों का गठन
04.10 बजे से	05.00 बजे तक	विभिन्न समितियों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श

द्वितीय सत्र दिवस—दिनांक 5-2-91 (मंगलवार)

प्रथम सत्र

10.00 बजे से	12.00 बजे तक	गठित समितियों द्वारा विचार- विमर्श एवं आख्या लेखन
12.00 बजे से	01.00 बजे तक	भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा आख्याओं का सामूहिक प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श एवं संशोधन

द्वितीय सत्र

01.30 बजे से	02.00 बजे तक	विभिन्न समितियों द्वारा आख्याओं के अन्तिम प्रारूप की प्रस्तुति
02.00 बजे से	04.30 बजे तक	मुख्य अतिथि का आगमन एवं स्वागत संगोष्ठी की आख्याओं की समवेत प्रस्तुति मुख्य अतिथि का उद्‌बोधन अध्यक्षीय वक्तव्य धन्यवाद ज्ञापन

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी
(व्यावसायिक शिक्षा)
गोरखपुर मंडल

1—**विशेषज्ञ :**

1. उप शिक्षा निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा, इलाहाबाद ।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव (शोध), माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. श्री श्याम बिहारी शुक्ल, प्रोफेसर, राजकीय, सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
4. श्री चन्द्रमणि मिश्र, प्रवक्ता, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
5. श्री विद्या सागर मिश्र, प्रवक्ता, राजकीय सी०पी० आई०, इलाहाबाद ।
6. उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ।
7. मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ।

2—**प्रतिभागी :**

8. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ।
10. जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ ।
13. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर ।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, महराजगंज ।

3—**प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या :**

15. प्रधानाचार्य, राजकीय जुबिली इण्टर कालेज, गोरखपुर ।
16. प्रधानाचार्य, राजकीय ए० डी० कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर ।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया ।
18. प्रधानाचार्या, राजकीय कस्तूरबा कन्या इण्टर कालेज, देवरिया ।
19. प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बस्ती ।
20. प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज, बस्ती ।
21. प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आजमगढ़ ।
22. प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बाँसगाँव, गोरखपुर ।
23. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप इण्टर कालेज, गोरखपुर ।

24 प्रधानाचार्य, भगवती प्रसाद कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर ।
25. प्रधानाचार्य, वी० एस० ए० वी० इण्टर कालेज, गोला, गोरखपुर ।
26. प्रधानाचार्य, डी० ए० वी० नारंग इण्टर कालेज, धुधुली, महराजगंज ।
27. प्रधानाचार्य, पी० एन० एम० इण्टर कालेज, फाजिलनगर, देवरिया ।
28. प्रधानाचार्य, एफ० एम० इण्टर कालेज, लमकुटी, देवरिया ।
29. प्रधानाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कालेज, पड़रौना, देवरिया ।
30. प्रधानाचार्य, जनता इण्टर कालेज, कप्तानगंज, देवरिया ।
31. प्रधानाचार्य, श्रीकृष्ण पाण्डेय इण्टर कालेज, बस्ती ।
32. प्रधानाचार्य नेशनल इण्टर कालेज, हरैया, बस्ती ।
33. प्रधानाचार्य, श्री रामगरीब सिंह इण्टर कालेज. कस्बा तथा सॉवडीह, बस्ती ।
34. प्रधानाचार्य, डी० ए० वी० इण्टर कालेज, मऊ ।
35. प्रधानाचार्य, टाउन इण्टर कालेज, मोहम्मदाबाद मोहना, मऊ ।
36. प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, कप्तानगंज, आजमगढ़ ।
37. प्रधानाचार्य, शिवली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ ।
38. श्रीकृष्ण गीता राष्ट्रीय इण्टर कालेज, लालगंज, आजमगढ़ ।
39. प्रधानाचार्य, सेठ आनन्दराम जैपुरिया इण्टर कालेज, आनन्दनगर, महराजगंज ।
40. प्रधानाचार्य, एल० पी० के० इण्टर कालेज, बसडीला, सरदार नगर, गोरखपुर ।
41, प्रधानाचार्य, जे० पी० इण्टर कालेज, कैम्पियरगंज, गोरखपुर ।
42. प्रधानाचार्य, डी० ए० वी० इण्टर कालेज, गोरखपुर ।
43. प्रधानाचार्य, मारवाड़ इण्टर कालेज, गोरखपुर ।
44. प्रधानाचार्य, शिवकूलाल इण्टर कालेज, कलबारी, बस्ती ।
45. प्रधानाचार्य, शिवपति इण्टर कालेज, शौहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
46. प्रधानाचार्य, सर्वोदय इण्टर कालेज, घोसी, मऊ ।
47. प्रधानाचार्य, श्री शंकरजी इण्टर कालेज, कटवागहजी, आजमगढ़ ।
48. प्रधानाचार्य, नरोत्तम ब्रह्म इण्टर कालेज, सुन्दरपुर, आजमगढ़ ।
49. प्रधानाचार्य, श्री हर्षचन्द्र इण्टर कालेज, बरहज, देवरिया ।
50. प्रधानाचार्य महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, देवरिया ।

उप शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर ।

———

पौड़ी–मण्डल

विषय प्रवर्तन

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
(अपर शिक्षा निदेशक, पर्वतीय)

शैक्षिक प्रशासन में सफलता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 'राइट मैन इन राइट प्लेस हो । शिक्षा को मानवीय संसाधन मान लिया गया है । बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज न इस तथ्य को समझा और उन्नति की । टाटा का स्थान इसमें सर्वोपरि है । सुविचारित नियोजन ही सफलता का पहला चरण है । उस नियोजन को जो सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करा सके ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है । शैक्षिक नियोजन के क्रियान्वयन के लिए लीडरशिप की आवश्यकता है । शैक्षिक लीडरशिप के स्थान पर पब्लिक लीडरशिप ने स्थान ले लिया है । शिक्षक पीछे हो गये हैं ।

एक बार यह प्रश्न आया कि देश के राजा की अगवानी करने के लिए कौन जाये ? तो शिक्षक को चुना गया । आज हमारा शैक्षिक ढाँचा चरमरा गया है । हमें विचार करना होगा कि क्या मानव का सही उपयोग हम कर पाये हैं । हमें शैक्षिक पुनर्रचना की आवश्यकता है ।

हमारे युग की तीन प्रमुख समस्याएँ हैं :—

(1) पर्यावरणीय नियोजन ।

(2) शैक्षिक नियोजन ।

(3) परिवार नियोजन ।

इनका समाधान शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है । पूरे वर्ष भर के लिए विद्यालय खुलने से पहले ही योजना बना लेनी चाहिए । किसी भी कार्य को सम्पादित करने के लिए तीन पक्ष प्रमुख हैं :—

(1) पूर्व निर्धारित उद्देश्य ।

(2) संसाधन कितने हैं ।

(3) ठीक ढंग से निर्णय लेना ।

उद्देश्य ठोस होना चाहिए । आवश्यकताएँ क्या हैं ? कठिनाइयाँ क्या हैं ? इनका पता लगाना होगा । तदनुरूप मानव संसाधन का सदुपयोग करना होगा । निदेशालय स्तर

पैर एक बिग बन गया है। डायट 6 बन चुके हैं। शिक्षण विधियों में भी युग के अनुरूप सुधार की आवश्यकता है। आज टी० बी० का प्रभाव भी हमारे बालकों की ग्रहण शीलता पर पड़ रहा है। हमें अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए टी० बी० की सहायता लेनी होगी।

मैंने निरीक्षण के समय देखा कि कई विषयों की दुर्दशा है। सामाजिक विषय का पाठ हिन्दी की तरह पढ़ाया जा रहा है। इसमें परिवर्तन करना होगा। पत्राचार के पाठ बहुत अच्छे लिखे गये हैं। हमें पढ़ाते समय प्रत्ययों को स्पष्ट करना होगा। वृत्त और व्यास के अन्तर को भली भांति समझाना होगा। सभी संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, और क्रियात्मक तीनों पक्षों के सम्वर्द्धन पर बल देना होगा। प्रधानाचार्य इस दिशा में सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। आशा है यह गोष्ठी इन बिन्दुओं पर विचार कर सार्थक निर्णयों पर पहुँचेगी।

धन्यवाद।

उद्‌बोधन

श्री कांजी लाल-महाप्रबन्धक,
आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्टी के आचार्य गण एवं प्रतिभागी गण।

मेरा हिन्दी ज्ञान कम है पर फिर भी अपनी बात कहूँगा। आज की शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी का विषय है शैक्षिक प्रबन्ध-समस्याएँ और समाधान हमारे एजूकेशन सिस्टम में क्या कमियाँ हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं क्या उसे सही स्तर पहुंचा सकते हैं ? यदि हम यह कर पायेंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमने गोष्ठी के उद्देश्य को पा लिया है।

जब हम पराधीन थे तब यह देश अन्डर डेबलप्ड रहा। एजूकेशन उस समय केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त हुई, जो समस्यायें उस समय थीं और आज जो हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना बढ़ आये हैं यह उपलब्धि कम नहीं है।

हमारे देश से प्रतिभा पलायन हो रहा है। बाहर के देशों में हम अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। शिक्षा में जो योगदान यहाँ मिलना चाहिए था वह दूसरों को मिला। प्रश्न है यह क्यों ? शिक्षा में साधन की कमी कहीं कारण तो नहीं। साधन की समस्या है। धन की समस्या हैं। गरीबी की समस्या है। धन को उत्पन्न किया जा सकता है। ग्रान्ट आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। यह विचार करना होगा किस प्रकार साधन हीनता के होते हुए हम विद्यालय चलायें। दूसरी ओर आई० सी० एस० सी० है। सी० बी० एस० ई० है। माध्यमिक शिक्षा परिषद है। क्या यह तीन तरह की शिक्षा बालक में मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न नही कर रही है ? यह विज्ञान का युग है। विज्ञान शिक्षण द्वारा बालक को सही दिशा दिखायें। वह गलत फहमी में न रहे। किताबी पढ़ाई जरूरी है पर उतनी ही जरूरी है पाठ्य सहगामी क्रियायें जिससे बालक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो सके। आज हम भारत की एकता अखण्डता के लिए कितना चिन्तित हैं। मारेल वैल्यूज की ओर ध्यान देना होगा। भारत

की भावनात्मक एकता का विकास बच्चे के स्तर पर ही हो सकेगा और बच्चे को बनाने में। आप शिक्षक ही सक्षम है।

मैं धन्यवाद देता हूँ राजकीय सी० पी० आई० से आये हुए विज्ञान प्रोफेसरों को और डी० डी० आर० श्री मित्र लाल को कि उन्होंने मुझे विद्वानों के समक्ष बोलने का अवसर दिया।

आई० डी० पी० एल० बी केंद्र ऋषिकेश में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ।

धन्यवाद।

समापन वक्तव्य

श्री सुन्दर लाल बहुगुणा
(अतिथि वक्ता, पर्यावरण प्रहरी)

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया। मैं आजकल जाता नहीं हूँ गोष्ठियों में किन्तु यहाँ शिक्षकों की गोष्ठी में उत्साह से आया हूँ। पिछले पन्द्रह महीने से आश्रम छोड़कर बाहर रह रहा हूँ। मैं लोगों में जंगल के प्रति जमीन के प्रति, प्रेम उत्पन्न करना चाहता हूँ। इस शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी में आने पर प्रसन्न हूँ कि शिक्षा की समस्याओं पर विचार हो रहा है।

विद्यार्थी और शिक्षक की दूरी बनाई है क्लास रूम ने। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिले ? मैं बच्चों से सुबह मिलता हूँ। वे प्रभात फेरी लगाते हैं, गंगा स्तुति करते हैं, उन्हें कहानी सुनाता हूँ फिर वे चले जाते हैं।

हमारी पूरी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर दी जा रही है। इससे सब कुछ मिल रहा है पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं। मुझे जो पेड़ पौधों से प्रेम मिला वह अपनी मां से मिला। जो तुलसी का विरवा सींचती थी। आज जो यह छोटे-छोटे बाजार खुल गये हैं इन्होंने पहाड़ की बहुत हानि की है। तरुण मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों में मद्यपान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसने पहाड़ी जन को अन्दर से खोखला कर दिया है।

सात आठ वर्ष से 15 वर्ष की आयु आदर्श के लिए भूखी रहती हैं। आज हम संस्कृति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। समाज पर भोगवादी सभ्यता हावी हो रही है। हम यह सोचें कि हम किस समाज को बनाना चाहते हैं। हमने ऋषि को राजा से ऊँचा दर्जा दिया है। सामान्य जीवन जीकर भी महापुरुष बना जा सकता हैं। हमारी जो पोशाक हो वह स्थान विशेष की जलवायु के अनुरूप हो। जो पोशाक मैं पहने हुये हूँ यह वैज्ञानिक है। यह योरोप में भी प्रचलित हुई है। यह छाती को ढकती है। आवास की समस्या है। पर्वतों से लोग मैदान की ओर पलायन कर रहे हैं। कई मकान खाली हैं। शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे सकता है। खेल के मैदानों की समस्या पहाड़ों में हैं। विज्ञान के लिए अच्छी प्रयोगशाला नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कोई आन्दोलन यदि होना चाहिए तो वह शिक्षा में खर्च को लेकर होना चाहिए। शिक्षा के लिये 20 प्रतिशत बजट में प्राविधान होना चाहिए। जापान की तरक्की का आधार वहाँ के हाई स्कूल है। मैंने वहाँ के हाई

स्कूल देखे हैं। वहाँ प्रयोगशालाएँ हैं, खेल के मैदान है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह है सृजनात्मकता का विकास करना। आज परीक्षा पद्धति के कारण सृजनात्मक वृत्ति का विकास खतम हो गया है। आज के शोधों में विचार कम और पुस्तकों की सूची लम्बी हो रही है।

जंगल, जमीन और जल इन पर जीवन आधारित है। इनका परिचय क्या बालकों को है? पहाड़ में हर हाई स्कूल को उसके पास बाला बन दे दीजिए। बन का मतलब प्लानटेंशन नहीं है, रक्षण है।

नवीनतम वैज्ञानिक खोज यह है कि खेती की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में 17 व्यक्ति के पीछे एक हेक्टेयर भूमि रह जायेगी। कम जमीन पर यदि ज्यादा पैदावार लेनी हो तो वृक्ष की खेती करें, नढस और आइल देने वाले फल लगायें। पहाड़ में एक फल होता है चालू जिससे खूब तेल मिल सकता है। फल भी खूब होता है। मैंने जब पूछा कि फलों के पेड़ क्यों नहीं लगते तो अधिकारी ने जवाब दिया कि हिसाब देना पड़ता है। मैंने कहा दे दो हिसाब बच्चों ने खा लिये हैं।

पुराने जमाने में कुओं के पाश आवला लगाते थे। आवले में जल को शुद्ध करने की क्षमता है। पूरी दुनियां में खेती का भविष्य अंधकार मय हो रहा है क्योंकि भूमि का लवणीकरण हो रहा है। सब्जी के बीज पहाड़ों के अच्छे माने जाते हैं इसीलिये सरकार ने बीज भण्डार कुल्लू में खोला है। प्रत्येक सरकारी इण्टर कालेज के आस पास की भूमि का सर्वेक्षण होना चाहिए। हिमांचल प्रदेश ने मेरी बात मानी। पानी का प्रबन्ध हुआ, फलों के पेड़ लगे। जल प्रबन्ध के बिना वृक्षारोपण व्यर्थ है। हम टेहरी बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसकी भुखमरी का कारण यह बांध है। उपजाऊ जमीन बांध के नीचे डुबों दी गई। बच्चों में पानी के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी।

प्रातः काल ही हमारे मुँह में माल्टीनेशनल पहुँच जाता है कोलगेट के रूप में/क्यों नहीं पहाड़ में उपलब्ध टिमरू के बीज से प्रभावकारी मंजन बनायें। सरकार को सदैव स्वतन्त्र प्रयोगों से मार्ग दर्शन मिलता है।

मैं कामना करता हूँ कि अगली गोष्ठी कार्यशाला के रूप में हो,न ये प्रयोग लेकर आये।

मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, के पदाधिकारियों को एवं राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद से आए हुए शिक्षाविदों की तथा शिक्षा जगत के महानुभावों को इस आयोजन के लिये बधाई देता हूँ।

धन्यवाद।

———

सुझाव एवं संस्तुतियाँ/समस्याएँ एवं समाधान

शैक्षिक प्रबन्ध

(1) विद्यालयों में भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। इस कार्य हेतु शासकीय सहायता के अतिरिक्त सामाजिक सहभागिता, विद्यालय में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास किये जायँ।

(2) विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन स्थानीय परिवेशको ध्यान में रखते हुए किये जायँ जिनके माध्यम से अध्यापकों और छात्रों के बीच मानवीय सम्बन्धों का सृजन हो, और छात्रों की प्रतिभा की पहचान हो सके।

(3) कक्षा में छात्र पढ़े और अध्यापक पढ़ायें इसके लिए विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को ठीक किया जाय। शैक्षिक सामग्री, भवन, साथ-सज्जा, काष्ठोपकरण की समुचित व्यवस्था की जाय। अध्यापकों में ज्ञानवर्द्धन की रुचि विकसित की जाय। शिक्षण विधियों में सुधार किया जाय। अध्यापकों के सेवारत अभिनवीकरण प्रशिक्षण की प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर व्यवस्था की जाय। अध्यापकों में प्रतिबद्धता की भावना का विकास किया जाय। प्रशासन और शिक्षण संवर्ग के बीच मानवीय सम्बन्धों का विकास किया जाय, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अभिनव प्रयोग करने की की स्वतंत्रता दी जाय, शिक्षण बालकेन्द्रित बनाया जाय, छात्रों के प्रति स्नेह और अपनत्व की भावना का विकास हो, उनकी अभिरुचि तथा क्षमता का ध्यान रखा जाय तथा समय सारिणी का वैज्ञानिक विधि से अध्यापक की क्षमता के अनुरूप निर्माण किया जाय।

(4) छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए निदानात्मक परीक्षा (डाइगनोटिक टेस्ट) लेने की व्यवस्था की जाय जिससे छात्रों की अभिरुचि के अनुसार उन्हें विषय आवंटित किये जायँ।

(5) छात्रों के लिए प्राइवेट ट्यूशन तथा कोचिंग प्रथा को विद्यालयीय शिक्षण स्तर की उपयुक्तता के द्वारा हतोत्साहित किया जाय।

(6) प्रति कक्षा छात्रों की संख्या अध्यापक छात्र अनुपात के मानक के अनुसार निर्धारित की जाय।

(7) गृह कार्य और कक्षा के लिखित कार्य के संशोधन पर समुचित ध्यान दिया जाय।

(8) परीक्षा की सुविधा को बनाये रखने के लिए अभिभावकों, अध्यापकों तथा छात्रों का सहयोग प्राप्त किया जाय। बाह्य अव्यवस्था पर नियन्त्रण पाने हेतु जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस की सहायता ली जाय। निरीक्षकों तथा केन्द्र व्यवस्थापकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय। प्रश्नपत्रों के अनेक सेट एक ही केन्द्र पर प्रयोग में लाये जाँय।

(9) गृह परीक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य की परीक्षा अन्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा लेने की व्यवस्था की जाय।

(10) मूल्यांकन कार्य हेतु उन्हीं अध्यापकों की नियुक्ति की जाय जो योग्य तथा निष्ठा युक्त हो।

(11) मूल्यांकन कार्य हेतु पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी की जाय।

(12) गेस पेपर और नोट्स के प्रकाशन एवं मुद्रण पर रोक लगाई जाय।

(13) नकल करना और नकल करवाना दण्डनीय अपराध घोषित किया जाय।

(14) छात्रों के गृह कार्य पर अंक आवंटित किये जायँ और उनके द्वारा मासिक परीक्षाओं में अर्जित अंकों को समुचित वेटेज दिया जाय।

(15) अध्यापकों को मात्र परीक्षाफल के आधार पर दण्डित करने की परम्परा का त्याग किया जाय।

(16) जिन विद्यालयों में प्रवेश की समस्या गम्भीर हो वहाँ द्विपाली योजना लागू की जाय।

(17) आवश्यकतानुसार नये सेक्शन खोलने तथा समुचित संख्या में अध्यापकों तथा भौतिक सामग्री की व्यवस्था की जाय।

(18) मात्र राजनैतिक दबाव के कारण नये विद्यालय न खोले जायँ। जब तक पर्याप्त मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध न करा दिये जायँ नये विद्यालय नहीं खुलने चाहिए। वर्तमान स्थिति में जो विद्यालय चल रहे हैं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु समुचित उपाय किये जायँ।

(19) शैक्षिक प्रबन्ध को वस्तुनिष्ठ, सरल व सुगम बनाने हेतु इसमें संवेदनशीलता तथा मानवीय सम्बन्धों का समुचित रूप से समादेश किया जाय।

(20) शैक्षिक प्रबन्ध में सहकार और जनतांत्रिक भावना का समावेश किया जाय। त्वरित निर्णय लेने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिप निष्पक्ष भाव से प्रयास किये जायँ।

(21) शैक्षिक प्रशासन के मनोवैज्ञानिक आधार को सम्पुष्ट करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायँ।

(22) शिक्षा के प्रबन्ध में सामाजिक भागीदारी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाय। अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की सक्रिय भूमिका निर्धारित की जाय।

(23) एक प्रधानाचार्य के लिए प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर प्रबन्धकीय, अकादमिक वित्तीय तथा विकासात्मक अभिनवीकरण प्रशिक्षण आयोजित किये जायँ।

(24) सभी स्तर के अध्यापकों को शिक्षा के नये संदर्भों तथा नवीनतम शैक्षिक विधियों से अवगत कराने के प्रयास किये जायँ।

(25) उनकी व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायँ।

(26) सभी शैक्षिक कर्मियों के लिये आचार संहिता का निर्माण किया जाय और उसे कठोरता से पालन करने पर बल दिया जाय।

(27) अध्यापकों की सेवा शर्तों को विधिक आधार प्रदान किया जाय।

(28) संस्थागत नियोजन की अनिवार्यता कर दी जाय और नियोजनगत लक्ष्यों की सम्प्राप्ति की आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने पर बल दिया जाय।

(29) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों का अकादमिक मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु प्रभावी उपाय किये जायँ।

(30) पर्वतीय अंचल के विद्यालयों को मैदानी विद्यालयों की अपेक्षा निर्माण कार्य हेतु अधिक वित्तीय अनुदान स्वीकृत किये जायँ।

(31) व्यावसायिक शिक्षा योजना हाई स्कूल स्तर पर लागू करने पर ध्यान दिया जाय और उसे सामान्य शिक्षा धारा से अलग प्रभावी रूप से विकसित किया जाय।

कार्य परक विन्दु

(1) देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संहिता में आवश्यक परिवर्तन किये जांयँ और आचार संहिता का पुनर्मूल्यांकन किया जाय।

(2) शैक्षिक कर्मियों को सेवा शर्तों की स्पष्ट व्याख्या की जाय और उन्हे विधिक आधार प्रदान किया जाय।

(3) शैक्षिक प्रबन्ध को पर्याप्त रूप से सफल और गतिशील बनाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि की जाय।

(4) शैक्षिक प्रबन्ध को अपेक्षित रूप से प्रभावी बनाने हेतु प्रधानाचार्य के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक के उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित और परिभाषित किया जाय और इसके लिये आवश्यक नियम बनाये जायँ जिनका कठोरता से पालन किया जाय।

(5) प्रधानाचार्य के पद पर पद स्थापित करने के पूर्व उनमें व्यावहारिक दक्षता तथा कार्य निर्वहन क्षमता विकसित करने हेतु उनके लिये आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय जिसमें उन्हें शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय दायित्वों के पूर्ण करने हेतु पर्याप्त रूप से सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान दिया जाय।

(6) प्रधानाचार्य में प्रशासन, निरीक्षण, मूल्यांकन और अनुश्रवण की योग्यताएँ विकसित करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष बाद उनके लिए अभिनवीकरण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

(7) किसी भी विद्यालय में तीन माह से अधिक प्रधानाचार्य का पद रिक्त न रखा जाय और प्रोन्नति देते समय वरिष्ठता का समुचित ध्यान रखा जाय।

(8) पर्वतीय अंचल में नये विद्यालय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तभी खोले जायँ जब उनके लिये मानवीय और भौतिक संसाधनों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

(9) शिक्षा जगत से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण की एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जाय और उसका कड़ाई से पालन किया जाय।

(10) प्रत्येक विद्यालय के लिए संस्थागत नियोजन करना अनिवार्य कर दिया जाय और उसके क्रियान्वयन की आख्या प्रतिवर्ष शासन को प्रस्तुत की जाय।

(11) पर्वतीय मण्डलों में भवन निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त वित्तीय अनुदान स्वीकार किया जाय।

(ख) परीक्षा व्यवस्था :

(12) सतत व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था अपनायी जाय।

(13) प्रत्येक छात्र का शैक्षिक प्रगति डाटा निर्मित किया जाय और उसके शैक्षिक मूल्यांकन में इससे सहायता ली जाय।

(14) प्रश्न पत्रों के समान स्तर के सेट एक ही केन्द्र पर दिये जायँ जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके।

(15) गृह परीक्षाओं में भी प्रयोगात्मक परीक्षा का सम्पादन अन्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा सम्पन्न कराया जाय।

(16) छात्रों के गृह कार्य पर भी अंक आवंटित किये जायँ तथा मासिक परीक्षाओं के महत्व को पुनः स्थापित किया जाय।

(17) परीक्षकों की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य हेतु दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि की जाय और प्रति परीक्षक प्रतिदिन मात्र 20 से 25 तक उत्तर पुस्तकें मूल्यांकन हेतु दी जायँ।

(18) परीक्षा केन्द्रों पर अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने तथा असामाजिक तत्वों द्वारा अनियमित कार्यों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर पुलिस और जिला प्रशासन को सहायता से प्रभावी अंकुश लगाया जाय।

(19) परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण व्यक्तियों अथवा राजनैतिक दबाव से मुक्त रह कर किया जाना चाहिए,

(20) परीक्षा केन्द्र के रूप में उन्हीं विद्यालयों का चयन किया जाय जिनकी भवन व्यवस्था सुदृढ़ हो।

(21) सचल दल प्रतिदिन प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर जाँच करने के लिये जायँ। सचल दल में निष्पक्ष तथा साहसी राज्य कर्मियों को रखना चाहिए जो उस जिले से सम्बन्धित न हो जहाँ वह सचल दल के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे है। उनके आवास और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

(22) निरीक्षण कार्य में लगे हुए अध्यापकों की सुरक्षा की पूर्ण गारण्टी शासन द्वारा दी जानी चाहिए।

(23) नकल करना और नकल कराना दण्डनीय अपराध घोषित होना चाहिए और इसका निष्पक्षता और कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक नियमों का निर्माण करे।

(24) शिक्षक की गोपनीय आख्याओं में प्रविष्टि उसकी अध्यापन क्षमता, कार्य कुशलता तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा और लगन के आधार पर की जाना चाहिए, वाह्य परीक्षाफल पर ही नहीं। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने चाहिए।

(25) शिक्षण कार्य के प्रति उदासीन अध्यापकों को दण्डित करने हेतु नियमों का आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(26) बाजार में बिकने वाले नोट्स, गेस पेपर आदि के प्रकाशनों पर कठोरता के साथ रोक लगायी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में शासन को त्वरित प्रयास करना चाहिए।

पाठ्यक्रम निर्माण कार्य तथा अन्य शैक्षिक आवश्यकताएं

(27) पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की आवश्यकताओं, छात्र की आयु के अनुसार अभिरुचि एवं सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

(28) पर्वतीय अंचलों में जहाँ प्रति जनपद राजकीय विद्यालयों की संख्या अधिक है विद्यालय भवनों की सुरक्षा, सज्जा, उनकी मरम्मत तथा नये भवन, कक्ष अथवा चहार दीवारी के निर्माण हेतु जनपद स्तर पर एक अपर अभियन्ता तथा मण्डल स्तर पर एक सहायक अभियन्ता (निर्माण कार्य) की नियुक्ति की जाय, जबतक यह सम्भव न हो सके निर्माण कार्य अथवा मरम्मत हेतु समस्त आगणन सा० नि० वि० के माध्यम से प्राप्त करके तद्नुसार अनुसार स्वीकृति किये जावँ।

(29) अध्यापकों में ट्यूशन करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने हेतु आवश्यक कठोर नियम बनाये जायँ और जिलाधिकारियों द्वारा उनका कठोरता से पालन कराने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायँ।

(30) विद्यालय में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु क्रीड़ा क्षेत्र की व्यवस्था की जाय तथा क्रीड़ा शुल्क की धनराशि में अपेक्षित वृद्धि की जाय। शासन द्वारा भी समय-समय पर क्रीड़ा सामग्री क्रय करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाय।

(31) जिला स्तर पर खेलकूद के प्रशिक्षण हेतु निगम की स्थापना की जाय और

खेलों का प्रशिक्षण देने हेतु योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाय । विद्यालयों के पी० टी० शिक्षकों को प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाय जिससे वह वर्ष पर्यन्त प्रभावी रूप से अपने विद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित कर सके ।

(32) सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्तसाहित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य संगीत में पारंगत अध्यापकों की नियुक्ति की जाय और सांस्कृतिक आयोजनों को सम्पन्न कराने तथा आवश्यक संगीत तथा पाठ्य उपकरणों के क्रय हेतु विद्यालयों को विशेष अनुदान स्वीकृत किये जायँ ।

(33) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले विद्यालयों, अध्यापकों, छात्रों को विभाग द्वारा पुरस्कृत करने की योजना कार्यान्वित की जाय।

(34) निर्धारित मानक के अनुसार प्रति विद्यालय विषय अध्यापकों की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाय जिससे शिक्षकों को वही विषय पढ़ाने को दिये जायँ जिनके लिए वह अर्ह तथा सक्षम है ।

(35) प्रतिदिन प्रति अध्यापक द्वारा पढ़ाने के दिनों में कमी की जाय जिससे वह लिखित कार्य की जाँच करने हेतु पर्याप्त समय प्राप्त कर सके । यह भी आवश्यक है कि प्रति कक्षा छात्रों की संख्या 50 से अधिक न हो । इसके लिये आवश्यक नियम बनाये जायँ जिनका निष्ठापूर्वक पालन किया जायँ ।

(36) सभी विषय अध्यापकों की प्रति दो वर्ष बाद अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जाय । इस प्रशिक्षण में उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों की जानकारी देने के साथ उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय के सम्बन्ध में अधुनातम ज्ञान प्रदान किया जाय ।

(37) शैक्षिक संगोष्ठियों में अध्यापकों के प्रतिभाग पर समुचित बल दिया जाय । विभाग द्वारा समय-समय पर प्रत्येक विषय के अध्यापकों हेतु शैक्षिक विचार गोष्ठियों के आयोजन कराये जायँ ।

(38) व्यावसासिक शिक्षा धारा की सामान्य शिक्षा प्रणाली से अलग विकसित किया जाय । इसके लिये ट्रेड्स का आवंटन स्थानीय सर्वेक्षण के उपरान्त आवश्यकता से अनुसार किया जाय । पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, ट्रेड्स का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु पूर्णकालिक सुयोग अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाय ।

सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा वस्तुपरक परिस्थितियों में कार्यपरक जानकारी पर बल अधिक बल दिया जाय ।

(39) हाई स्कूल से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय ।

(40) सभी स्तर के शिक्षकों को पुस्तकालय, वाहन, चिकित्सा, क्षेत्रीय भ्रमण तथा नान ट्यूशनल एलाउन्स दिये जाने की व्यवस्था की जाय । राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की जाय जिससे स्थानान्तरित होने पर उन्हें आवासीय असुविधा न हो और वह मनोयोग पूर्वक अध्यापन कार्य में लग सके । उनकी अध्यापकीय प्रतिभा एवं उत्कृष्टता को निष्पक्ष रूप से आकलित किया जाय और उन्हें पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करने की योजना बनायी जाय ।

———— —

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी, पौड़ी गढ़वाल

विचार पत्रक

शैक्षिक प्रबन्ध–समस्यायें और समाधान

स्थान—आई०, डी० पी० एल० इण्टर कालेज, वीरभद्र, देहरादून

विचारणीय बिन्दु :

- शैक्षिक प्रबन्ध के समक्ष उपस्थित कठिनाईयों और समस्याओं का स्वरूप क्या है और उनके निराकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ?
- वर्तमान वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु शैक्षिक प्रबन्ध को क्या उपाय करने चाहिए ?
- शैक्षिक प्रबन्ध की सफलता के लिए शैक्षिक नियोजन का क्या स्वरूप होना चाहिए ?
- शैक्षिक प्रबन्ध में संवेदनशीलता और मानवीय सम्बन्धों का सद्भावेश किस सीमा तक हो पाया है ? शैक्षिक प्रबन्ध से इस दिशा में क्या अपेक्षाएँ ?
- शैक्षिक प्रबन्ध से समाज क्या अपेक्षाएँ रखता है ? इन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिए ?
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी शैक्षिक प्रबन्ध का प्रथम दायित्व है । इस दायित्व का निर्वाह किस प्रकार किया जा रहा है ?
- शैक्षिक प्रबन्ध द्वारा मानवीय तत्वों में प्रतिबद्धता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु किस प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं ?
- शिक्षा के प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने में हमारे शैक्षिक आयोजक, नीति निर्धारक, कार्यकारी अधिकारी किस प्रकार भागीदार बन सकते हैं ?
- शैक्षिक प्रबन्ध को वस्तुनिष्ठ, सरल और सर्वसुलभ बनाने हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए ?
- शैक्षिक प्रबन्ध में त्वरित निर्णय लेने तथा उसे कार्यान्वित करने हेतु किस प्रकार के उपाय अपेक्षित हैं ?
- यदि विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबन्ध आवश्यक है तो उसका क्या स्वरूप होना चाहिए ?

पृष्ठभूमि :

1 : शैक्षिक प्रबन्ध की शास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत करना इस पत्रक का अभिप्राय नहीं है। शैक्षिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि शैक्षिक प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना ही इसका प्रमुख दायित्व है। शैक्षिक प्रक्रिया का सम्बन्ध शिक्षण और सीखने की क्रियाओं से है जिनसे सम्बन्धित लक्ष्यों, नीतियों और उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास की प्रक्रिया को संचालित करना और इसके लिए आवश्यक भौतिक और मानवीय तत्वों की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रबन्ध के क्षेत्र में आता है। एक ओर जहाँ मानवीय तत्वों के अन्तर्गत शैक्षिक प्रशासक, अधिकारी, अध्यापक, छात्र तथा अन्य कार्यकर्ता आ जाते हैं वहीं दूसरी ओर भौतिक तत्वों के अन्तर्गत विद्यालय भवन, शैक्षिक सामग्री, साज-सज्जा, फर्नीचर आदि की सुविधायें सम्मिलित होती हैं। इस तथ्य से हम सब भली प्रकार अवगत है। और इस पर विशेष मीमांशा की आवश्यकता भी नहीं है। इस पत्रक के द्वारा वस्तुतः उन कतिपय स्थितियों/परिस्थितियों/कठिनाइयों तथा समस्याओं को उभारने की चेष्टा की गई है जो अपने समाधान की अपेक्षा करते हैं और जिन पर विचार विमर्श करके हम कुछ ठोस परिणाम पर पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं।

3. संकल्पना :

शैक्षिक प्रबन्ध कौशल की नवीन संकल्पना, उद्योगों और व्यवसायों के क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों के आधार पर विकसित हुई। प्रबन्ध विज्ञान की अवधारणा तथा तकनीक प्रमुखता इन्हीं क्षेत्रों से मूलतः सम्बन्धित है। वास्तव में उद्योगों और वाणिज्य को प्रबन्धकीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही प्रबन्धकीय वैज्ञानिकों ने उन बहुत से अमूल्य प्रदत्तों को खोज निकाला जो मानवीय व्यवहार तथा व्यवस्था,आदान प्रदान और निर्णय करने की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इन प्रदत्तों की प्रासंगिकता का अनुभव किया जाता और ऐसा हुआ भी। किन्तु जिस प्रबन्धकीय कौशल का विकास उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र में हुआ उसका यथावत अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर पाना न तो सम्भव था और न समीचीन ही। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा का सम्बन्ध मानव व्यवहार से है जिसकी जटिलता, अकथनीय और अकल्पनीय है। कदाचित ही कोई अन्य क्रिया उतनी क्लिष्ट, विशाल, क्रमिक तथा तथ्यों और मूल्यों की पेचीदगी से पूर्ण होगी जितनी कि शिक्षा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धकीय प्रक्रिया का स्वरूप एक भिन्न रूप से ग्रहण किया गया। इस प्रबन्धकीय प्रक्रिया के लिए नियोजन, प्रेरणा और नियंत्रण तीन आवश्यक तत्व स्वीकार किये गये यद्यपि इनके साथ संगठन, निर्देशन और मूल्यांकन को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया।

2.1 एबल (Ebel) की शैक्षिक शोध इनसाइक्लोपिडिया में मिलेट (Millett) ने शैक्षिक प्रबन्ध के दो पक्षों का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रथम पक्ष के अन्तर्गत वे क्रियाएँ आती हैं जिनका सम्बन्ध नियोजन करने, कार्यक्रम निर्धारण करने, वित्तीय व्यवस्था करने,

कार्मिक प्रबन्ध करने, निर्माणात्मक कार्य करने, आपूर्ति तथा सेवा सम्बन्धी कार्य करने तथा मूल्यांकन करने से है और दूसरे पक्ष के अन्तर्गत वे क्रियायें आती हैं जिनका सम्बन्ध नेतृत्व प्रदान करने तथा संगठन, संप्रेक्षण और समन्वयन से है।

शैक्षिक प्रबन्ध के आधार :

3 : सामाजिक आधार

3 : 1 शिक्षा मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब भी हम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करते हैं उसका माध्यम और धरातल समाज ही होता है। व्यक्ति के विकास की कल्पना सामाजिक परिवेश के बिना नहीं हो सकती। एक ओर समाज शिक्षा को दूसरी ओर शिक्षा समाज को प्रभावित करती है। अस्तु, कुशल प्रशासक सामाजिक वातावरण की विशेषताओं, क्रियाओं, मांगों और आदर्शों को ध्यान में रखकर विद्यालय का संगठन करता है और विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम में उन्हीं सामाजिक क्रियाओं और अनुभवों को स्थान देता है जो वाह्य समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्रसिद्ध समाज शास्त्री फ्रैंकलिन का मत है कि, "समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान कौशलों, आदर्शों और आदतों का प्रसार करने और सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो उसके स्वयं के स्थायित्व और निरन्तर विकास के लिए परमावश्यक है। "अतः विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह बालक और बालिकाओं को समाज के आदर्शों विचार धाराओं और परम्पराओं आदि से अवगत कराये और उनमें समाज को समृद्ध बनाने की उत्कण्ठा उत्पन्न करे।

3 : 2 अपेक्षाएँ :

- विद्यालय कार्यक्रम और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय को अपने कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए समाज के समस्त साधनों का उपभोग करना चाहिए और समाज को अपने समस्त साधनों द्वारा विद्यालय के कार्य में सहायता करनी चाहिए।
- विद्यालय सामाजिक विकास की योजनाओं में सक्रिय भाग लेकर समाज को योग्य नेतृत्व प्र ान करे और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे।
- विद्यालयों को लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए और उन्हें सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का सशक्त माध्यम बनना चाहिए।

3 : 3 समस्यात्मक बिन्दु :

- विद्यालय का शैक्षिक प्रशासन उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है।
- शैक्षिक प्रबन्ध में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के उपाय अपेक्षित हैं ?
- शिक्षा के प्रबन्ध में सामाजिक भागीदारी की अपर्याप्तता के क्या कारण हैं ?
- शिक्षा और समाज, समाज और शिक्षा एक दूसरे के अनुगामी हैं, पूरक हैं और उनमें अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। शैक्षिक प्रबन्ध इस सम्बन्ध को किस प्रकार मूर्तरूप दे सकता है ?

4 : मनोवैज्ञानिक आधार :

4.1 शिक्षा का सम्बन्ध मानव व्यवहार से है और जहाँ "व्यवहार" है वहीं मनोविज्ञान है। शिक्षा मानव संसाधन के विकास का साधन है। बालक के विकास का अर्थ है बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक विकास। इसके लिए शैक्षिक प्रबन्ध को शिक्षण-अधिगम-मूल्यांकन की रणनीति स्थिर करनी होती है। दूसरी ओर जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में संलग्न हैं, उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता का ध्यान रखना होता है। तीसरी ओर उन व्यक्तियों की सन्तुष्टि और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी होती है। चौथी ओर समाज के मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना होता है। इस प्रकार विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन की नींव निश्चित ही मनोविज्ञान है। विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन में मुख्यतः प्रधानाचार्य और अध्यापकों को पग-पग पर यह ध्यान रखना है कि उनका प्रमुख कार्य शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के रूप में ढालना है। इसके लिए छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता होती हैं। विद्यालय के वातावरण को प्यार, अपनत्व और बच्चों में जिज्ञासा कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। समग्र रूप से विद्यालय प्रशासन को सफलता शिक्षण-अधिगम मूल्यांकन प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिकीकरण पर निर्भर है।

4 :2 अपेक्षाएँ :

- शैक्षिक प्रशासन को फाइल केन्द्रित न होकर व्यक्ति केन्द्रित होना चाहिए।
- "बालक" के समुचित विकास को दृष्टि में रखते हुए उसको विकसित करने वाले समस्त अभिकरणों को भी दृष्टि में रखना चाहिए।
- शैक्षिक प्रशासन में शिक्षकों और अन्य सम्बद्ध कर्मियों की रुचियों, शक्तियों क्षमताओं आदि को ध्यान में रखते हुए कार्य विभाजन करना चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।

- विद्यालय का वातावरण स्नेह और अपनत्व से पूर्ण होना चाहिए जहाँ सब लोग बच्चों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दें और उनमें जिज्ञासा कौशल का विकास हो ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालय प्रशासन को सर्वाधिक बल छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण के विकास पर देना चाहिए ।

4 : 3 समस्यात्मक बिन्दु :

- प्रति कक्षा छात्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप छात्र केन्द्रित शिक्षण में कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं । इनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है ।
- विद्यालयों में उपयुक्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अभाव कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता को बाधित करता है । इन कठिनाइयों का निस्तारण वर्तमान वित्तीय संसाधनों तथा प्रशासनिक नीतियों के तहत किस प्रकार किया जा सकता है ?
- वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम-मूल्यांकन प्रक्रिया के मनो वैज्ञानिकीकरण के लिये जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता है उसके विकास के लिये किस प्रकार के उपाय अपेक्षित हैं ?

5 : संवेदनशीलता :

शैक्षिक प्रबन्ध का मुख्य गुण उसकी जनसाधारण की समस्याओं तथा प्रशासनिक दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता है । शैक्षिक प्रबन्ध को छोटी से छोटी समस्या का सहजभाव से निराकरण करने हेतु सदैव सजग एवं सक्रिय रहना चाहिए । उपयुक्त निर्णय लेने तथा उसके कार्यान्वयन में किंचित मात्र भी विलम्ब गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसके कुप्रभाव को मिटाना सम्भवतः आसान नहीं होता है । संवेदनशील प्रशासन का अर्थ यह है कि प्रशासन प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रति उत्तरदायी हो । डब्लू० विलसन के शब्दों में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता हैं :—

"Public administration should crown its duties wtth dutifulnees. It should be responsive and responsible."

5 : 1 अपेक्षाएं (जिला स्तर) :

1. अधिकारी/कर्मचारी तथा जनसाधारण के बीच संवाद तथा संप्रेषणीयता का होना ।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनहित की समस्याओं के त्वरित निष्पादन में विलम्ब न होना ।

(3) सार्वजनिक व्यवहार में सम्मानपूर्ण, नम्र व्यवहार एवं विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाना ।

(4) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय से उपस्थित होना, उन्हें सर्वसुलभ होना तथा प्रभावित व्यक्ति की अवहेलना न करना ।

5 : 2 विद्यालय स्तर :

- विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षक जनता और जन प्रतिनिधियों से मिलें । विद्यालयीय कार्यकलापों, नवीन शैक्षिक प्रयोगों की चर्चा करें । उनकी समस्यायें सुनें और अपनी कठिनाइयाँ बतायें ।
- अध्यापकों तथा छात्रों में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न की जाय ।
- छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समाधान शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक उपायों से किया जाय और उन्हें अनावश्यक टाला न जाए ।
- अभिभावकों द्वारा यदि छात्रों की किसी समस्या को उठाया जाता है तो उन्हें पूर्णतया आश्वस्त करने के साथ समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी उपाय भी तत्काल किये जायें ।
- जनसाधारण की भावनाओं का आदर किया जाय, उनकी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाय और कृत कार्यवाही से उन्हें अवगत कराया जाय ।
- लम्बित प्रसंगों को यथाशीघ्र निस्तारित करने पर समुचित ध्यान दिया जाय ।
- जनसहयोग से शैक्षिक गोष्ठियाँ, सामयिक बैठकें और सम्मेलन आयोजित किये जायँ तथा प्राप्त सुझावों का सम्मान किया जाय ।

5 : 3 समस्यात्मक बिन्दु :

उपर्युक्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु शैक्षिक प्रबन्ध की कार्य प्रणाली तथा सोच में आवश्यक परिवर्तन करना अनिवार्य होगा । इस सम्बन्ध में किस प्रकार से उपाय करना उचित होगा यह एक विचारणीय बिन्दु है ।

शैक्षिक प्रबन्ध के आवश्यक तत्व

6 : नियोजन :

6 : 1 शैक्षिक नियोजन ही उत्तम शैक्षिक प्रबन्ध की आधार शिला है । नियोजन के द्वारा ही भावी कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु उपयुक्त निर्णय लिये जा सकते हैं और सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है । इस प्रकार शैक्षिक नियोजन में तीन तत्व प्रमुख रूप से सामने आते हैं—

(1) पूर्व निर्धारित उद्देश्य।

(2) सीमित संसाधनों का उपयोग।

(3) उपयुक्त निर्णय लिया जाना

6 : 2 शैक्षिक नियोजन के लिए उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण करना अत्यावश्यक है। तदुपरान्त अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को योजनाबद्ध रूप से शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम निर्धारण प्रक्रिया निम्नवत् हो सकती है :

(1) परम्परागत कार्यों की सूची बनाने के बाद एक सर्वेक्षण किया जाए, जिसमें शिक्षण, सह शैक्षिक कार्यकलाप एवं परिसर के विकास के लिए सम्भावनाओं की पहचान की जाए।

(2) परम्परागत व्यवस्था का मूल्यांकन करके आवश्यक कार्यों को ग्रहण कर उन्हें समय तथा आवश्यकता के अनुरूप ढाला जाय।

(3) व्यवस्था योजना का निर्माण सभी शिक्षकों तथा छात्रों के परामर्श तथा प्रजातांत्रिक विधि से किया जाय जिससे उसके क्रियान्वयन में उनका समुचित योगदान प्राप्त किया जा सके।

(4) व्यवस्था में समयबद्धता, सर्वांगीणता तथा सामान्य सुरुचि का अवश्य ध्यान रखा जाय।

(5) उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य व्यवस्था के मूल्यांकन की विधा भी निर्धारित की जाय जिससे भविष्य में आवश्यक सुधार सम्भव हो सके।

6 : 3 सीमित संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से तीन बिन्दु विचारणीय है :

1. सीमित समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराया जाना।

2. विद्यालय में उपलब्ध भवन, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि का अधिकतम उपयोग किया जाना तथा वित्तीय व्यवस्था को उपलब्धिपरक स्वरूप दिया जाना।

3. विद्यालयीय संसाधनों के अतिरिक्त स्थानीय समाज से संसाधन जुटाने की योजना बनाया जाना और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना।

6 : 4 उपर्युक्त निर्णय लेने के सम्बन्ध में विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य तथा जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका निर्णय जनहित में न्यायपूर्ण तथा तर्कपूर्ण होना चाहिए और उन्हें निर्णय तथा निःशंक होकर उचित कार्य हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। उच्चाधिकारी प्रबन्धक अथवा राजनैतिक तत्वों के अनुचित हस्तक्षेप अथवा धमकी के आगे निर्णय को एकांगी अथवा अवैधानिक नहीं हो जाना चाहिए।

6 : 5 शैक्षिक नियोजन के लिए संस्थागत नियोजन ही सही आधार हो सकता है संस्थागत नियोजन से ही शिक्षा के मूलभूत बिन्दु जैसे छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान पाठ्यचर्या का विकास, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाना, उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, जनसमुदाय से सहयोग और शैक्षिक मूल्यांकन आदि के कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं।

6 : 6 अपेक्षाएँ :

- शैक्षिक नियोजन वास्तविकता एवं व्यावहारिकता पर आधारित होना चाहिए। उसे यूटोपियन या महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए।
- हम किस क्षेत्र में क्या नियोजन करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि एक बार जब हम कोई कार्यक्षेत्र अपना लें तो उससे पीछे न हटें। हमारे उद्देश्य भले ही सीमित हों परन्तु उनकी पूर्ति हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक सत्र के लिए एक कार्य योजना पारस्परिक विचार विमर्श से तैयार की जानी चाहिए और उसके कार्यान्वयन हेतु विद्यालय कर्मियों में विशेष दायित्व बोध की प्रेरणा उत्पन्न की जानी चाहिए।
- यह उपयुक्त होगा यदि प्रत्येक विद्यालय द्वारा न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि का एक उद्देश्यपरक कार्यक्रम तैयार किया जाए और उसे एक-एक वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष में आने वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभाजित किया जाय। वर्ष के अन्त में उस वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाय।
- कार्ययोजना की प्रतियां निरीक्षक अधिकारी को सुलभ करायी जानी चाहिए और यदि उसमें कुछ धनराशि की अपेक्षा हो तो उसकी आवश्यकता से विभाग को अवगत कराया जाना चाहिए।
- संस्थागत नियोजन के अन्तर्गत विद्यालय संकुल योजना को समाहित करना उचित होगा। विद्यालय संकुल योजना के तहत विभिन्न स्तर के विद्यालय पारस्परिक सहयोग से एक ऐसी इकाई के रूप में ढल सकते हैं जो शैक्षिक उन्नयन के लिए अत्यन्त लाभप्रद होगा।

6 : 7 समस्यायें :

- वर्तमान राज्य स्तरीय शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पक्ष जैसे निरीक्षक, अध्यापक, अभिभावक और छात्र का योगदान नहीं रहता।
- जनपदीय स्तरीय योजनाओं में किसी सीमा तक निरीक्षक वर्ग तो नियोजन प्रक्रिया से जुड़ रहा है किन्तु संस्था अथवा संस्थाओं के समूह इस प्रक्रिया से दूर ही हैं।

- वर्तमान शिक्षण पद्धति में अत्यधिक एकरूपता है और न्यूनाधिक रूप में सभी विद्यालय बँधी हुई लीक पर चल रहे हैं। अध्यापकों में सृजनशीलता, अभिनव प्रयोग करने की स्वतन्त्रता तथा नई दिशाओं में कार्य करने की रूचि का अभाव है।
- शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया से अध्यापक परिचित नहीं है और न शैक्षिक नियोजन की दिशा में हो रहे कार्यों से अवगत ही हैं।
- संस्थाओं को वर्तमान स्थिति अभावों से ग्रस्त है और उनके वित्तीय संसाधन सीमित हैं।
- विद्यालय में बढ़ती हुई छात्र संख्या तथा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की आनुपातिक अपर्याप्तता शैक्षिक नियोजन में अवरोध उत्पन्न करती है।
- संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा संस्था की कमियों का अध्ययन-विश्लेषण नहीं किया जाता है और न उन कमियों को उपलब्ध संसाधनों के अन्दर ही दूर करने के उपायों पर विचार किया जाता है।
- शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य मात्र भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव को दूर करना ही नहीं शैक्षिक उन्नयन की दिशा निर्धारित करना भी है। इस तथ्य से प्रशासन भली प्रकार अवगत नहीं है।
- विद्यालय संकुल योजना की सफलता के लिए विभागीय प्रयासों में अपेक्षित सक्रियता की कमी तथा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध प्रक्रिया का न अपनाया जाना सम्मिलित है।
- शैक्षिक नियोजन में अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय द्वारा रूचि, सहयोग तथा अपेक्षित योगदान न मिलना एक अवरोधक तत्व है।

6 : 8 उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य अनेक समस्यायें शैक्षिक नियोजन की सफलता में बाधक सिद्ध हो रही हैं जिनकी पहचान करना आवश्यक है। शैक्षिक नियोजन तभी सफल हो सकता है जब इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाय और शिक्षा से सम्बद्ध सभी पक्ष दृढ़ संकल्प के साथ इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समर्पित भाव से कार्य करें।

7 : व्यवस्था :

7 : 1 विद्यालय के व्यापक एवं दिन-प्रतिदिन विस्तारोन्मुख कार्यकलापों के आदर्श तथा सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने व्यवस्था की अनिवार्यता का अनुभव किया है। विद्यालय की वाह्य व्यवस्था के लिए शासन/प्रबन्ध समिति तथा समाज द्वारा बहुत कुछ किया जाता है किन्तु विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का सम्पूर्ण दायित्व विद्यालय परिवार का होता है जिसमें प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र तथा कार्यालय कर्मचारीगण एक साथ

भागीदार होते हैं। इनमें वस्तुतः प्रधानाचार्य ही इन सबका नियोजक, संचालक एवं नियामक होता है।

7 : 2 व्यवस्था की उपयोगिता :

(1) कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने में सहायता।

(2) संस्थाध्यक्ष को निर्देश देने में सुविधा।

(3) स्वतः स्फूर्त प्रतिभागिता, प्रायोजित प्रतिभागिता तथा अनिवार्य प्रतिभागिता के क्षेत्र निर्धारित करने में सुविधा।

(4) संचालकों को कार्य सम्पादन हेतु तैयारी का अवसर मिलना।

(5) छात्रों में समय से निर्देश प्राप्त होना तथा उनके द्वारा शैक्षिक क्रियाकलापों में पूरी तैयारी और मनोयोग से भाग लेने में सुविधा।

(6) अध्यापक एवं छात्रों की प्रतिभा का लाभ समस्त छात्रों को सुलभ कराने में सुविधा।

(7) अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करने में सुविधा।

(8) शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक कार्य कलापों के संपादन हेतु अध्यापकों तथा छात्रों को उपयुक्त वातावरण मिलना।

7 : 3 व्यवस्था के स्तर :

(1) प्रधानाचार्य द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों की व्यवस्था।

(2) अध्यापक द्वारा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षिक कार्यों की व्यवस्था।

(5) छात्रों द्वारा विद्यार्थी विकास समिति, गृह प्रणाली की व्यवस्था।

(4) कार्यालय कर्मियों द्वारा सेवा प्रकरण, छात्र पंजिका, वित्त व्यवस्था, पत्र व्यवहार, छात्रवृत्ति वितरण, पुस्तकालय, वाचनालय, फर्नीचर आदि की व्यवस्था में योगदान करना।

7 : 4 व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करना विद्यालय से सम्बद्ध सदस्य का सम्मिलित उत्तरदायित्व होता है। व्यवस्था का तात्पर्य केवल कार्य विभाजन ही नहीं है इसका तात्पर्य शैक्षिक प्रबन्ध की उत्तमता तथा पूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु पारस्परिक सहकार तथा सहयोग की भावना को विकसित करना है जिससे शैक्षिक प्रक्रिया अबाध गति से चलती रहे और उसके अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो सकें।

7 : 5 विचारणीय बिन्दु :

- विद्यालय के कार्यों की व्यवस्था के लिए पूर्व नियोजन क्यों आवश्यक है ? इस नियोजन का क्या स्वरूप होना चाहिए ?

- विद्यालय व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए ?
- विद्यालय व्यवस्था किस-किस स्तर पर किसके द्वारा की जानी चाहिए ?
- विद्यालय के दैनिक और सत्रीय कार्यों की सूची बनाने का क्या अभिप्राय है ? इसकी क्या उपयोगिता है ?
- व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों के समुचित सम्पादन के लिए भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए ?
- विद्यालयीय व्यवस्था में परम्परा से क्या ग्रहण किया जा सकता है ? उसमें किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित होंगे ?

8 : अभिप्रेरणा :

8 : 1 विद्यालय के शैक्षिक प्रबन्ध में अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व को जितनी चर्चा की जाय कम है। यों तो किसी भी कार्य के सम्पादन में सम्बद्ध व्यक्तियों में अभिप्रेरणा की उपस्थिति के कार्य के प्रारम्भ से अन्त तक आवश्यक है । इसमें पुरस्कार भी है और दण्ड भी । पुरस्कार शैक्षिक प्रक्रिया को गति देने का प्रबल अभिकारक है । दण्ड कर्तव्यहीनता पर अंकुश लगाने का साधन है । विद्यालय के शैक्षिक प्रशासन में इस तथ्य का सम्यक बोध प्रधानाचार्य, अध्यापक व छात्र को होना चाहिए कि कर्तव्यहीनता की स्थिति में वे दण्ड के भागी होंगे । यह आवश्यक है कि दण्ड का विधान और उसकी प्रक्रिया का एक मात्र लक्ष्य सुधार होना चाहिए ।

8 : 2 अपेक्षाएँ :

- शैक्षिक प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात पर सतर्क दृष्टि रखे कि कौन कार्यकर्ता अपने कर्तव्य पालन में कितना सक्षम और सबल है। अध्यापक से भी अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक छात्र के गुणों की परख करें और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु प्रयत्नशील रहें ।
- अकारण ही किसी कर्मचारी, अध्यापक तथा छात्र को मात्र सुनी सुनायी बातों के आधार पर दण्डित नहीं किया जाना चाहिए । दण्ड देने के पूर्व आरोपों की विधिवत् जाँच की जानी चाहिए और दण्डित किये जाने वाले व्यक्ति को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ।
- मात्र इस आधार पर किसी को पुरस्कृत न किया जाना चाहिए कि वह किसी विशेष व्यक्ति का कृपापात्र है अथवा उसमें अकारण प्रशंसा करने आदत है ।
- प्रशासन को जनहित में ही अपना निर्णय लेना चाहिए ।

8 : 3 समस्याएँ :

- शैक्षिक प्रशासन को बहुधा किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप

के कारण अपने निर्णय को एकांगी करना पड़ता है और पुरस्कार तथा दण्ड की प्रक्रिया को गहरा आघात होता है।

- कभी-कभी उस अध्यापक अथवा छात्र को पुरस्कृत करने की अनुशंसा करनी होती है जो उस पुरस्कार के योग्य नहीं होता है किन्तु उसे वंचित करने का अर्थ प्रशासन के लिए एक कठिनाई का कारण हो सकता है।
- दण्ड की प्रक्रिया भी अनुचित दबाव के कारण सार्थक नहीं हो पाती क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को न चाहते हुए भी अपने निर्णय को शिथिल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
- विद्यालय में बढ़ती छात्रों की अनुशासनहीनता, परीक्षाओं में बढ़ती अनुचित साधन प्रयोग करने की आदत, अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा समयनिष्ठता की अवहेलना, शिक्षण और सीखने की क्रियाओं पर अपेक्षित बल न दिया जाना, गृहकार्य एवं लिखित कार्य का संशोधन न किया जाना, आपसी दलबन्दी, अध्यापकों में बढ़ती व्यक्तिगत ट्यूशन की लालसा, नियमों की अवहेलना आदि अनेक कुरीतियाँ दण्ड प्रक्रिया के कुंठित होने का परिणाम है।

8 : 4 शैक्षिक प्रबन्ध में अभिप्रेरणा के तत्व का प्रभावी समावेश कैसे किया जाय यही एक सबसे बड़ी समस्या है।

9 : स्वतन्त्रता :

9 : 1 शैक्षिक प्रशासन में स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छन्दता अथवा मनमानी नहीं है प्रत्युत एक सीमा तक कार्य और व्यवहार करने की स्वतन्त्रता से है जिससे प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र अपने-अपने क्षेत्र में कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह कर सकें। प्रधानाचार्य को जनहित में तुरन्त निर्णय लेने और समस्या का निराकरण करने में स्वतन्त्र होना चाहिए और अध्यापकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन, शिक्षण विधियोंके चुनाव, क्रियात्मक अनुसंधान करने, अभिनव प्रयोग करने, छात्रों की प्रतिभा विकसित करने आदि कार्यों में वांछित स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। शैक्षिक कार्य स्वतन्त्रता के अभाव में निष्पादित कर कर पाना दुरूह होता है।

9 : 2 समस्याएँ :

- प्रशासनिक निर्णय लेने में प्रधानाचार्य को अपने मन में यह डर बनाये रखना होता है कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध कैसे निर्णय लें। क्या अमुक व्यक्ति को नाराज करना ठीक होगा। वह व्यक्तिगत हानि पहुँचा सकता है, यह मानसिक उलझन का कारण हो सकता है, उसका सम्पर्क अमुक नेता से है, वह प्रबन्ध समिति के अमुक सदस्य का निकटस्थ है आदि।

- प्रधानाचार्य यह भी सोचता है कि अमुक कार्य कैसे करे, उसके लिये प्रबन्ध तन्त्र प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति नहीं है और उस कार्य का संम्पादन तुरन्त आवश्यक है, अनुमति लेने का समय नहीं है अतः वह क्या करे आदि-आदि। इस प्रकार की अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं जो शैक्षिक अधिकारी की स्वतन्त्रता में बाधक होती है।
- इसी प्रकार ऐसी परिस्थिति आती है कि किसी अध्यापक को प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके अन्दर यह भय है होता कि यदि वह स्वयं निर्णय ले ले तो उसे प्रधानाचार्य का कोपभाजन बनना होगा और वह कठिनाई में पड़ सकता है आदि आदि।

इसी प्रकार अनेक समस्याएँ हैं जिनका समाधान स्वतन्त्रता के वातावरण को सृष्टि करके किया जा सकता है।

10 : प्रतिबद्धता :

10 : 1 प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने दायित्व के प्रति समर्पित भाव से दत्तचित होकर कार्य संपादन करना। शैक्षिक प्रबन्ध में प्रतिबद्धता का विशेष महत्व है। प्रतिबद्धता की आवश्यकताओं छात्रों में है अध्यापकों में है, प्रधानाचार्य में है, अभिभावक में है और सम्पूर्ण समाज में है जो शैक्षिक प्रक्रिया से किसी न किसी रूप से सम्बद्ध है।

10 : 2 अपेक्षाएँ :

- छात्रों को शिक्षण अधिगम के प्रति, स्वयं के विकास के प्रति, अच्छी भावनाओं, राष्ट्रीय एकता तथा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- अध्यापकों को प्रतिबद्ध होना चाहिए शिक्षण अधिगम के प्रति, छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति, अपनी वृत्ति के प्रति आदि।
- प्रधानाचार्य को प्रतिबद्ध होना चाहिए विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति तथा बालकों के समुचित विकास के प्रति आदि।
- अभिभावकों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, विद्यालय के प्रति, अपने पाल्यों के प्रति और राष्ट्र के वृहत्तर हितों के प्रति।

तात्पर्य यह है कि शैक्षिक प्रबन्ध तभी सफल कहा जा सकता है जब विद्यालय परिवार के सभी सदस्य प्रतिबद्धता की भावना से ओतप्रोत हों।

10 : 3 समस्यात्मक बिन्दु :

वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयीय वातावरण का किस प्रकार संरक्षण किया जाय जिससे प्रतिबद्धता की भावना का विकास सम्भव हो सके। इस समस्या के समाधान पर ही शैक्षिक प्रबन्ध की सफलता निर्भर है।

11 : शैक्षिक प्रबन्ध और जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासन :

11 : 1 अपेक्षाएँ :

- शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 20 (अध्याय 2) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा जिले में सभी स्तर पर शिक्षा की उन्नति तथा प्रसार पर सम्यक् दृष्टि रखेंगे ।
- अनुच्छेद 21 (अध्याय 2) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समस्त प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं (एग्लो इण्डियन विद्यालयों को छोड़कर) के शैक्षिक तथा वित्तीय दोनों पक्षों का पर्यवेक्षण करेंगे ।
- अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष बाद कम से कम एक बार जिले में बालकों के प्रत्येक मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का औपचारिक रूप से पूर्णतया निरीक्षण करेंगे ।
- अनुच्छेद 25 के अनुसार जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नियमित रूप से परिदर्शन (visit) करेंगे ।
- जिला विद्यालय निरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में सम्यक् जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे ।

11 : 2 विचार विन्दु :

(1) प्रत्येक विद्यालय द्वारा शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के सम्यक् क्रियान्वयन हेतु क्या किया जा रहा है तथा छात्र के संतुलित विकास के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(2) विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, क्रीड़ा सामग्री की क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं और उन सुविधाओं का उचित उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

(3) विद्यालय द्वारा संस्थागत नियोजन करके उसके अन्तर्गत किस प्रकार सुनियोजित प्रगति की जा रही है ।

(4) अध्यापकों द्वारा शिक्षण विधियों के सुधार हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ? उनके द्वारा अभिनव प्रयोगों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु किस सीमा तक प्रयास जिये गये हैं ? इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

(5) निरीक्षक से निम्नखित कार्यों के संपादन में किस प्रकार के निर्देशन की अपेक्षा की जा सकती है ?

नियमित समय सारिणी—शिक्षण कार्य, लेखो का रख रखाव, शैक्षिक सहायक सामग्रियों का समुचित सदुपयोग, छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता, कक्षा की स्वच्छता, विद्यालय की स्वच्छता, अध्यापक एवं छात्रों द्वारा निश्चित समय सारिणी का पालन, गृह कार्य तथा कक्षा के लिखित कार्य की नियमित जाँच, अध्यापक के अभिव्यक्ति वर्द्धन, कर्तव्य के प्रति जागरूकता, व्यवहार, आंचरण, वाणी की उत्तमता तथा कार्य के प्रति निष्ठा एवं तत्परता।

(6) प्रशासन में किसी कार्य संपादन में "करो" के स्थान पर "आओ करें" के सिद्धान्त का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है ?

(7) पाठ्यक्रम, नवीन शिक्षण विधियों तथा नवीन प्रयोगों, विभागीय नियमों, आयामों (अध्यापक अभिभावक एसोसियेशन का गठन, सतत् मूल्यांकन, विद्यालय संकुल, संस्थागत नियोजन) के क्रियान्वयन के लिए मार्ग दर्शन देने हेतु किस सीमा तक अपने ज्ञान व अनुभव का उपयोग कर पाता है ?

(8) निरीक्षक अपनी अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग अधीनस्थों के साथ मानवीय सम्बन्ध स्थापना एवं नेतृत्व प्रदान करने में सार्थक भूमिका किस प्रकार निभा पा रहे हैं ?

(9) प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में निरीक्षक किस सीमा तक पुरस्कार एवं दण्ड के सिद्धान्त का पालन करने में अपने को सफल पा रहे हैं ?

(10) निरीक्षण आज्ञा को समयान्तर्गत प्रेषित करके अनुपालन एवं अनुश्रवण करा-कर किस प्रकार शैक्षिक विकास को गति प्रदान कर रहे हैं ?

11 : 3 समस्याएँ :

- यह निरन्तर अनुभव किया जा रहा है कि निरीक्षणालय के बढ़ते हुए कार्यभार एवं उत्तरदायित्वों तथा निरीक्षकों एवं विद्यालयों की संख्या के आनुपातिक अन्तर में वृद्धि के कारण कार्य प्रायः उपेक्षित हो रहा है तथा जिस रूप में विद्यालय का निरीक्षण कार्य होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पा रहा है।
- जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रमुख दायित्व जिले के विद्यालयों को शैक्षिक मार्ग-दर्शन देना है किन्तु दैनिक कार्य प्रक्रिया में उन्हें अधिकतर समय प्रशासनिक, कार्यालयीय तथा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में व्यतीत करना होता है। चाहते हुए एवं प्रयत्न करने पर भी वे अकादमिक चर्चा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं जिससे वह एक अकादमिक अधिकारी की अपेक्षा प्रशासनिक अधिकारी ही बन कर रह जाते हैं।
- जिन परिस्थितियों में जिला शिक्षा अधिकारियों के पद सृजित कर दायित्व किए गए जनसंख्या विस्फोट ज्ञान विस्फोट एवं नये आयामों के उद्भव से वे निर्धारित

परिस्थितियाँ नहीं रहीं। दृष्टिकोण एवं सोच में भी परिवर्तन हुआ है। स्वाभाविक कार्याधिक्य ही आज की ज्वलन्त समस्या है।

11 : 4 संसाधन के सम-सामयिक विचार :

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक के दायित्वों के सम्यक् निर्वहन हेतु स्थापन से पूर्व उनमें शैक्षिक एवं व्यावसायिक दक्षता लाने के लिये गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे जनपद के प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय एवं अन्य कार्यों का संपादन करने में वह सक्षम एवं समर्थ हो सके। बिना प्रशिक्षण के पद स्थापन उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

(2) जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्य को प्रशासनिक अकादमिक एवं वित्तीय तीन भागों में विभक्त कर तीनों के लिये अलग-अलग पद निर्धारण किया जाना चाहिए जिनका नियन्त्रण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) कार्यरत् जिला विद्यालय निरीक्षकों को गहन सेवारत् प्रशिक्षण दायित्वों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

(4) जनपद के समस्त विद्यालयों का ए० बी० सी० में वर्गीकरण करके उन्हें शिक्षाधिकारियों को आबंटित किया जाना चाहिए तथा उनके उन्नयन के लिए प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति के साथ-साथ उन्हें उत्तरदायी बनाना चाहिए।

(5) निरीक्षण अधिकारी से अधीन स्थानीय आंचलिक नियोजन के आधार पर विद्यालय के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएँ बनायी जानी चाहिए तथा समुदाय की सहभागिता के आधार पर निरीक्षक की देख-रेख में उनका कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

12 : विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबन्ध :

12 : 1 अपेक्षाएँ :

(2) पर्याप्त शिक्षण सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के सम्बन्ध में संसाधनों तथा तत्सम्बन्धी परिवेश का उपलब्ध होना।

(3) शैक्षिक वातावरण के सृजन के लिए पारस्परिक मानवीय व्यवहारों एवं अनुक्रियाओं में सामन्जस्य स्थापित होना।

(4) समुदाय तथा स्थानीय संस्थाओं का पारस्परिक सहयोग, सहकार होना।

12 : 2 समस्याएँ :

(1) भौतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्ध न होना।

(2) छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अध्यापकों की संख्या में कमी।

(3) शिक्षण सामग्री की कमी एवं उपलब्ध उपकरणों का प्रर्याप्त रूप से उपयोगी न होना

(4) छात्र पाठक नहीं परिक्षार्थी बन रहे हैं। परीक्षा की शुचिता समाप्तप्राय है।

(5) प्रवेश का दबाव है। विद्यालय में उपस्थिति प्रायः न्यून रहती है। अधिगम के वातावरण का अभाव है।

(6) शिक्षण और शिक्षा के प्रति शिक्षकों एवं छात्रों में अपेक्षित सोच का अभाव परिलक्षित होता है।

(7) मस्तिष्क, हृदय, हाथ तीनों के सम्यक् विकास हेतु अपेक्षित दृष्टि विद्यालयों में न तो पायी जाती है और न तदनुरूप विद्यालय को गतिशील पाया जाता है।

(8) विद्यालय प्रशासन पर विभिन्न कार्यों के लिए बाह्य दबाव के कारण उत्पन्न समस्याएँ।

12 : 3 विचारणीय बिन्दु :

(1) भौतिक और मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ?

(2) वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति हेतु शासन पर निर्भरता के अतिरिक्त और क्या उपाय किये जाने चाहिए ? इसके लिए सामुदायिक सहभागिता किस सीमा तक सहायक हो सकती है ?

(3) क्या उपाय किये जायँ कि छात्र पढ़ें और अध्यापक पढ़ायें ?

(4) शैक्षिक उन्नयन हेतु समग्र रूप में कौन-कौन सुझाव वर्तमान परिवेश में उपयोगी होंगे ?

(5) परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के लिए कौन-कौन से उपाय सुझाये जा सकते हैं ?

(6) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के विकास हेतु विद्यालय स्तर पर क्या किया जाना चाहिए ?

(7) प्रधासाचार्य की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

(8) प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन के पूर्व व्यावहारिक दक्षता हेतु प्रशिक्षण की बाध्यता कहाँ तक उपयोगी होगी ?

(9) प्रधानाचार्य में मानवीय सम्बन्ध स्थापना हेतु किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है ?

(10) प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक तथा विद्यालयीय क्रिया कलापों में सामान्जस्य स्थापित करने वाला होता है। इस गुण के विकास के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

(11) प्रधानाचार्य, विद्यालयीय क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु होता है। उसमें प्रशासन, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की योग्यताएँ होनी चाहिए। इनके विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

(12) शैक्षिक प्रशासन में अध्यापकों का किस सीमा तक किस प्रकार योगदान लिया जा सकता है ?

(13) संस्थागत नियोजन एवं पड़ोसी विद्यालय सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रधानाचार्य की दक्षता किस सीमा तक शिक्षोन्नयन में सहायक होगी ?

———

शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी-पौड़ी मण्डल की कार्यक्रम सारिणी

संगोष्ठी स्थल—आई० डी० पी० एल० इ० का० वीरभद्र ऋषिकेश

दिनांक 23, 24, 25 फरवरी, 1991

विषय —शैक्षिक प्रबन्ध समस्यायें और समाधान

कार्यक्रम संचालन—श्रीमती सुमित्राधूलिया प्रोफेसर मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग इलाहाबाद

दिनांक 23 फरवरी 1991

प्रथम पाली	1. प्रतिभागियों का पंजीकरण	प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक
	2. संगोष्ठी में प्रतिभाग करने आये शिक्षाधिकारियों तथा संस्थाध्यक्षों का स्वागत	उप शिक्षा निदेशक
	3. संगोष्ठी के उद्देश्यों का सूक्ष्म विवेचन श्रीमती सूमित्रा धूलिया प्रोफेसर राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद	11·00 से 11.30 तक
	4. विषय प्रपर्तन	श्री उमेशदत्त पाण्डेय, प्रोफेसर, राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद ।
	5. मुख्य अतिथि का स्वागत,	उप शिक्षा निदेशक
	6. दीप प्रज्वलन तथा उद्घाटन भाषण	श्री कौजीलाल, महाप्रबन्धक आई० डी० पी० एल० वीरभद्र ऋषिकेश
	मध्यान्तर	1.00 से 5.00 बजे तक

द्वितीय पाली	1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, तथा अधिनस्थ इकाई का परिचय	श्रीमती सुमित्रा धूलिया प्रोफेसर राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद
	2. प्रतिभागियों से अपेक्षा	श्री रामकृष्ण जायसवाल वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी, राजकीय सी० पी० आई० इलाहाबाद
	3. शैक्षिक प्रबन्ध में अनुभूत कतिपय समस्याएँ	श्री सुरेश जोशी, जि० वि० नि० टिहरी
	4. जनपदवार टोलियों का गठन तथा विषय आवंटन	श्री उमेशदत्त पाण्डेय प्रोफेसर राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद
	5. टोलीगत कार्य-पारस्परिक विचार विमर्श आख्या लेखन	प्रतिभागियों द्वारा

दिनांक 24-2-91

प्रथम पाली	1. सम्पूर्ण दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा	श्रीमती सुमित्रा धूलिया प्रोफेसर
	2. टोलीगत विचार-विमर्श समस्याओं पर विवेचन आख्या लेखन	प्रतियोगिता द्वारा
	3. उद्‌बोधन एवं मार्गदर्शन	डा० गोविन्द सिंह विष्ट अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)

मध्यान्तर लंच

द्वितीय पाली	जनपदवार टोलियों द्वारा विर्मित आख्याओं का उन पर पूरे सदन द्वारा विचार विमर्श आख्या प्रस्तुतकर्ता अधिकार	श्री गोपाल कृष्ण पाँथरी (चमेली) श्री राम प्रसाद चमोली (टिहरी) श्री प्रताप सिंह रावत (पौड़ी)

दिनांक 25-2-91

प्रथम पाली	पूर्व प्रस्तुत आख्याओं की समीक्षा देहरादून तथा उत्तरकाशी जनपदों की टोलियों द्वारा आख्याओं वाचन	प्रो० यू० डी० पाण्डेय श्री पी० एन० ममगाई (देहरादून जनपद) श्री देवेन्द्र प्रसाद नौटियाल (उत्तरकाशी)
	आख्याओं में उठाये गये समस्यात्मक विन्दुओ के समाधान	डा० गोविन्द सिंह विष्ट अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)
द्वितीय पाली	समापन कार्यक्रम	
	मुख्य अतिथि श्री सुन्दर लाल बहुगुणा का स्वागत तथा संगोष्ठी की समग्र रूप से समीक्षा	डा० गोविन्द सिंह विष्ट अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय)
	उद्‌बोधन एवं आशीर्वचन	श्री सुन्दरलाल बहुगुणा

पौड़ी गढ़वाल मण्डल

प्रतिभागियों की सूची

गोष्ठी स्थल—आई० डी० पी० एल० इण्टर कालेज, वीरभद्र

दिनांक 23, 24, 25 फरवरी, 1991

प्रतिभागी – अधिकारी गण

1. श्री मित्रलाल मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक पौड़ी
2. श्रीमती सरस्वती खन्तू मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका पौड़ी
3. श्री दयानन्द खरकवाल – जिला विद्यालय निरीक्षक देहरादून
4. श्री सुरेश जोशी—जिला विद्यालय निरीक्षक टिहरी
5. श्री प्रताप सिंह रावत—जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

जनपद देहरादून

1. श्री बी० एन० ममगाई – श्री गुरुतमराय इ० का० नेहराग्राम देहरादून
2. डा० सुधा सिंह—मसूरी मर्ल्स इ० का० मसूरी
3. श्री डी० डी० तिवाड़ी—श्री भरत मन्दिर इ० का० ऋषिकेश
4. श्री वी० डी० मेहता—आई० डी० पी० एल० इण्टर कालेज वीरभद्र
5. कु० हरिबोधिनी उनियाल - राजकीय बा० इ० का० लक्खीबाग देहरादून

जनपद टिहरी

1. श्री देवदत्त, राजकीय इ० क० डांगचौरा टिहरी गढ़वाल
2. श्री के० एस० सजवान राजकीय इ० का० जाजल टिहरी गढ़वाल

3. श्री वाचस्पति मैठाणी बालगंगा रा० इ० का० कमरा

4. श्री राम प्रसाद चमोली रा० प्रताप इ० का० टिहरी

5. श्री राजेन्द्र प्रसाद रतूडी—रा० इ० का० काफलपानी

6. डा० वी० के० जौहरी—रा० इ० का० सिराई

7. श्री मोहन लाल भट्ट—रा० इ० का० गरखेत जौनपुर

8. श्री देवेश्वर प्रसाद रा० इ० का० चम्बा

9. कु० शान्ति गुप्ता—रा० बा० इ० का० देव प्रयाग

10. प्रेम नारायण कनौजिया – प्रवक्ता रा० इ० का० अंजनी सैंण

11. डा० उप्पा भसीन—रा० बा० इ० का० टिहरी

जनपद उत्तर काशी

1. श्री प्रताप सिंह राणा रा० इ० का० उत्तरकाशी
2. श्री देवेन्द्र प्रसाद नौटियाल रा० इ० का० डुण्डा
3. श्रीमती कुसुम भटनागर रा० बा० इ० का० उत्तरकाशी
4. श्री अवतार सिंह बागड़ी रा० इ० का उत्तरकाशी

जनपद चमोली

1. श्री गोपाल कृष्ण पाथरी रा० इ० का० गोपेश्वर
2. श्री पान सिंह राणा रा० इ० का० अलकापुरी
3. श्री दामोदर भट्ट रा० इ० का गौरना
4. श्री प्रताप सिंह झिक्वाण रा० इ० का० कर्ण प्रयाग
5. श्री नन्द दीपमल्ल रा० इ० का० चन्द्रपुरी
6. श्री शिव प्रसाद पुरोहित रा० इ० का० गोचर
7. श्री सुरेशानन्द सिंह रा० इ० का० देवलकोट
8. श्री गोविन्द सिंह चौहान रा० इ० का० रतूडा (मनपुर)
9. श्रीमती आशा तोमर रा० बा० इ० का० जोशीमठ

जनपद पौड़ी

1, श्री सीताराम भट्ट रा० उ० मा० वि० क्यार्क
2, श्री चन्दन सिंह रावत रा० उ० मा० बौन्जली
3. कु० शौकत जफर रा० बा० इ० का० लैन्सडाउन

4. कु० सत्यवती गुसाई रा० बा० इ० का० पौड़ी

5. श्री जी० के० भण्डारी रा० उ० मा० वि० स्यूंसी

6. श्री एस० सी० जैन रा० इ० का० लैंसडाउन

7. श्री भरवदत्त शर्मा (प्रवक्ता) रा० इ० का० कोटद्वार

8. श्री कृष्णपाल सिंह रावत रा० इ० का० मोटा ढांक कोटद्वार

अधिकारी गण— 5

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या—30

प्रवक्ता 2

मण्डलीय शैक्षिक सम्बोध संगोष्ठी

पौड़ी मण्डल

बाह्य संन्दर्भदाता/विशेषज्ञों की सूची

1. श्री कौजीलाल	महाप्रबन्धक, आई० डी० पी० एल० वीरभद्र ऋषिकेश जनपद, देहरादून
2. डा० गोविन्द सिंह् विष्ट	अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), शिक्षा निदेशालय 18 पार्करोड लखनऊ
3. श्री सुन्दर लाल बहुगुणा	लब्ध प्रतिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता
4. श्री रामकृष्ण जायसवाल	वरिष्ठ शोध अधिकारी, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद
5. श्री उमेशदत्त पाण्डेय	प्रोफेसर, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद
6. श्री सुमित्रा धूलिया	प्रोफेसर राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद

आन्तरिक संन्दर्भदाता/विशेषज्ञ

1. श्री मित्रलाल	उप शिक्षा निदेशक पौड़ी

NIEPA DC
D07714

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7714
Date 01-09-93